


तृतीय वार्षिक रिपोर्ट 2014–15



जैव प्रौद्योगिकी उद्योग
अनुसंधान सहायता परिषद
(भारत सरकार का उपक्रम)



माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और प्रो. जोम्स डेल क्यूयूटी, आस्ट्रेलिया में अपने ग्रमण के दौरान क्यूयूटी-वाइरेक केला जैवसुदृढ़ीकरण परियोजना पर चर्चा कर रहे हैं।

तृतीय वार्षिक रिपोर्ट

2014 - 2015



त्रिलोकपुरी कला एवं प्रौद्योगिकी संस्कारण
उम्मीद और उत्तमता के लिए

बाइरैक के बारे में

दृष्टि

समाज के व्यापक वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए सस्ते उत्पादों के सृजन से भारतीय जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र, विशेषकर नये उद्यमों एवं लघु एवं मध्यम उद्योगों की सामरिक अनुसंधान तथा नवाचार क्षमताओं को प्रोत्साहित, पोषित एवं प्रवर्धित करना।

लक्ष्य

उद्योग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों एवं सेवाओं में नवाचार विचारों को लाने एवं उन्हें अंतरित करने की सुविधा एवं सलाह प्रदान करना, शोध क्षेत्र – उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ बढ़ाना, प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना और जैव उद्यमों के सृजन एवं सततता को गति देना।

ध्यान

वहनीय उत्पाद विकास के लिए बायोटेक नवीनतम ईकोप्रणाली को सशक्त तथा सक्षम बनाना।

मुख्य कार्यनीतियां

- } अनुसंधान के सभी स्थानों में तीव्र नवीनता एवं उद्यमशीलता
- } प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में वहनीय नवाचार को प्रोत्साहन देना
- } शुरुआती और छोटे तथा मध्यम उद्यमों पर उच्च फोकस
- } क्षमता में बढ़ोतारी हेतु साझेदारों के माध्यम से अनुदान
- } साझेदारों के माध्यम से नवीनता के प्रसार को बढ़ाना
- } खोज का व्यवसायीकरण सक्षम बनाना
- } भारतीय उद्यमों के वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करना

मूल मान्यताएं

- } ईमानदारी
- } पारदर्शिता
- } समूह कार्य
- } उत्कृष्टता
- } बचनबद्धता

obj 81, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थापित धारा 8 "अलाभकारी कंपनी" है जो उद्योग-शैक्षणिक संबंधों को बढ़ाने वाली एक अंतरापृष्ठ एजेंसी है। इसे जैव प्रौद्योगिकी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण एवं सशक्तिकरण और उदीयमान जैव प्रौद्योगिकी उद्योग प्रणाली के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन का अधिदेश सौंपा गया था। एक अनुसूची 'बी' सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, बाइरैक को वरिष्ठ व्यावसायिकों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं तथा उद्योगपतियों को लेकर बनाए गए स्वतंत्र निदेशक मंडल द्वारा मार्गदर्शन मिलता है। बाइरैक अपने अधिदेश के विभिन्न आयामों को पूरा करने के लिए मुख्यतः तीन क्षेत्रों में प्रचालनरत है। निवेश योजनाओं में खोज से लेकर संकल्पना प्रमाण और आरंभिक तथा विलंबित चरण के विकास से सत्यापन एवं उन्नयन, पूर्व वाणिज्यिकरण से पहले उत्पाद विकास मूल्य श्रंखला के सभी चरणों के लिए आरंभ होने वाली कंपनियों, छोटे तथा मध्यम उद्यमों और बायोटेक कम्पनियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें विशेष उत्पाद मिशन भी हैं। दूसरा क्षेत्र उद्यमशीलता विकास है, जो न केवल निधिकरण समर्थन पर केन्द्रित है, बल्कि इसमें सही मूल संरचना को उपलब्ध कराने, प्रौद्योगिकी अंतरण और लाइसेंसिंग हेतु मेंटरिंग और अन्य नेटवर्क कार्यों, बौद्धिक सम्पत्ति और व्यापार मेंटरिंग सहित विनियामक मार्गदर्शन भी निहित है। अंत में बाइरैक सामरिक भागीदारी समूह के साथ सभी भागीदारों को लेकर कार्य करता है—राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों के सरकारी विभाग, उद्योग संगठन, अंतर्राष्ट्रीय द्विपार्श्वीय एजेंसियां, स्वयंसेवी संगठन और नैगम क्षेत्र शक्ति तथा विशेषज्ञता को विस्तारित करने और संसाधनों की उगाही तथा गतिविधियों के विस्तार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं।

बाइरैक, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन वर्ष 2012 में 'अलाभकारी सैक्षण 8 कंपनी और एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया। बाइरैक ने अपने अधिदेश को आकार देने एवं कार्यान्वित करने के साथ पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण घटकों पर कार्य किया है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बाइरैक को सौंपे गए अधिदेश के अच्छे परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।

पिछले 3 वर्षों की अवधि में बाइरैक ने निम्नलिखित सामरिक क्षेत्रों में अपने कार्यकलापों का विस्तार किया है:

क. जैव प्रौद्योगिकी नवाचार संस्कृति को प्रोत्साहित कर नये विचारों को बढ़ावा देना।

ख. निधिगत कार्यक्रम के द्वारा अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) अंतर को खत्म करना, लघु उद्योगों में उच्च—जोखिम अनुसंधान एवं विकास को संतुलित करना और उद्योग-शैक्षणिक समुदाय को एक साथ लाना।

ग. सम्बद्ध संगठनों के साथ सहयोग से भारतीय जैव प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र पर गुणक प्रभाव सुनिश्चित करना।

t ६ c ६ kxdh uokplj l Nfr dks c ६ kgr dj u; s fopkjka dks c<lok nsuk

पिछले 3 वर्षों में बाइरैक ने अपने उद्यमशीलता कार्यकलापों का आदर्श रूप में विस्तार किया है। प्रारंभिक चरण बीज निधिपोषण की कमी को पहचान कर, जुलाई 2012 में बायोटेकनोलॉजी इन्डिशन ग्रांट (बीआईजी) स्कीम प्रारंभ की गई थी जो अब देश में प्रारंभिक चरण बायोटेक बीज निधिपोषण में अधिक प्रिय बन गया है। बीआईजी ने जैव प्रौद्योगिकी स्टार्ट—अप में ऐसे नए वातावरण का संचार किया है जो पहले नहीं था। प्रारंभिक चरण के निधिपोषकों, विकासकों एवं अन्य बीज निधिपोषकों ने बीआईजी को परिज्ञान में लिया और अब कई बीआईजी ग्रेजुएट इसके अंतर्गत राशि प्राप्त कर रहे हैं। बीआईजी के साथ कदम मिलाते हुए 2012 में शुरू

किया गया बायोइंक्यूबेशन प्रोग्राम भारत में 15 स्थानों पर लाभदायक स्थिति वाले बायोइंक्यूबेशन स्थान स्थापित करने में सहायता दे रहा है। बीआईजी को मिली प्रशंसा और बायोइंक्यूबेशन को मिले समर्थन से बाइरैक ने 2014–15 में तीन नवीन प्रोग्राम शुरू किए जो हैं: 5 राज्य विश्वविद्यालयों में यूनिवर्सिटी नवाचार समूह (यूआईसी), सामाजिक नवाचार कार्यक्रम स्पर्श, जिसमें फैलोशिप है और जिसे एसआईआईपी कहा जाता है, तथा शृष्टि के सहयोग से उद्यमशील विचार और बाइरैक—शृष्टि जीवाईटीआई पुरस्कार प्रारंभ किए जिसका उद्देश्य नवीन विचारों को बढ़ावा देना और प्रारंभिक चरणों को पोषक सहयोग प्रदान करना है।

fuf/kxr dk; Zde ds }jk vuq alku , oa fodkl `vkj, Mh½ varj dks [Re djuk y?kj m|kxka ea mPp&t k[ke vuq alku , oafodkl dk; rjyfyr djuk vks m|kx&'kkl. kd l eplk dks, d l kfk ylk

बाइरैक ने पिछले 3 वर्षों में प्रारंभ से बाद के चरणों में उत्पाद विकास के निधिपोषित कार्यक्रम के अपने पोर्टफोलियों का विस्तार किया है। इन्हें वर्तमान कार्यक्रमों जैसे एसबीआईआरआई, बीआईपीपी और सीआरएस को पुनः परिभाषित कर बनाया गया है। बाइरैक ने एसबीआईआरआई, बीआईपीपी और सीआरएस जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से 230 कम्पनियों को सहायता दी है। निधिपोषण की कुल राशि vlbZuvkj 1452

djkm-gSजिसमें vlbZuvkj 640 djkm बाइरैक का योगदान है जबकि उद्योग vlbZuvkj 812 djkm के लिए प्रतिबद्ध है। यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है जो इस बात का प्रमाण है कि भारत में समग्र विकासोन्मुख उद्योग के बावजूद बाइरैक की एसबीआईआरआई एवं बीआईपीपी के सही निधिपोषण से उभरते हुए उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास के लिए रूचि बढ़ रही है। 2014 में बाइरैक के विभिन्न कार्यक्रम (विशेषकर एसबीआईआरआई एवं बीआईपीपी) ने उद्योग एवं शिक्षा क्षेत्र के बीच 89 l g; kx dk; Zde को प्रोत्साहित किया था।


इसके अलावा, बाइरैक ने नये प्रोग्राम जैसे स्पर्श, हूमेन पापिलामावाइरस (एचपीवी) में चुनौतियों से निपटने की स्पेशल कॉल, बायोफार्म के लिए मिशन आदि स्थापित किए हैं। इस निधिपोषण के प्रभाव का अनुमान विभिन्न निधिपोषक तंत्रों के माध्यम से मिले तथ्यों के आधार पर लगाया जा सकता है। बाइरैक ने 18 l Lrs mRi kks , oa15 ubZrduhdk का विकास किया है जो मेक्स इन इंडिया की दिशा में किए जा रहे इसके कार्यों को दर्शाता है। यह उत्पाद एवं तकनीक बायोफार्म, इंडस्ट्रियल बायोटेक और एग्रीबायोटेक्नालॉजी से जुड़ी है। उत्पादों में jkVksd (रोटोवाइरस वैक्सीन) जो बच्चों की रोटोवाइरल रोगों से प्रतिरक्षा करता है, eSDI ; ks ट्यूमर के उपचार में सहायता करता है (मैक्रिस्यो को ; wl , QMh, Dyh, jd भी प्राप्त हुआ है), फ्लोरेसेंस रीडर जो विविध संक्रमणों से रक्षा करता है, एआईएनए

डिवाइस (ब्लड ग्लूकोज, एचबीएसी, लिपिड, क्रिटेनाइन एवं हिमोग्लोबिन की गणना करता है), कैंसर के उपचार के लिए पीडीटी लेजर सिस्टम और मलेरिया, डेंगू तथा टाइफाइड के उपचार के लिए पीओसी शामिल हैं। बाइरैक निधिपोषण से छोटे उद्यम जैसे तरजीन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने अति महत्वपूर्ण 13 वेलेंट न्यूमोकोकल वैक्सीन पर प्रारंभिक अध्ययन सफलतापूर्वक पूरा किया। इस सफलता के आधार पर, नये उद्यमों ने इस घरेलू वैक्सीन के फेज-1 ट्रायल के लिए बड़े फार्मा के साथ संयुक्त उद्यम समझौता किया।

1 Ec) 1 &Bukadsl kfkl g; kx 1 shkjr h t \$ ck\$ kxdh i kfjLFkrdh r= ij xqkd ckho l quf' pr djuk

बाइरैक के कार्यों का दायरा बढ़ा है और बाइरैक ने पिछले 3 वर्षों के दौरान जिन सम्बद्ध संगठनों से भागीदारी की है, उनकी संख्या बढ़ी है इससे बाइरैक के प्रयासों का गुणक प्रभाव दिखा है। यदि भारत में बड़े चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं के लिए डीबीटी, बिल एवं मेलिंडिया गेट फाउंडेशन और बाइरैक के बीच भागीदारों को देखा जाए तो परियोजना प्रबंधन ईकाई के रूप में भागीदारी के लिए बाइरैक की भूमिका उत्कृष्ट रही है। बाइरैक अब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी करने में सक्षम है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे वेलकम ट्रस्ट, यूएसएआईडी, सीईएफआईपीआरए, बीपीआई फ्रांस, सीएफसीएल-कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ भागीदारी की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर नये संगठन जैसे डाइटी, सीडीएसए, एबीएलई, सीआईआई, फिक्की, श्रृंगि और आईकेपी नॉलेज पार्क के साथ भागीदारी है। इस भागीदारी के माध्यम से बाइरैक वस्तुतः अपना प्रभाव बढ़ाने, देश के बायोटेक इकोसिस्टम के व्यापक लाभ के लिए सूचना एवं बेहतर पद्धतियों का आदान-प्रदान करने में सक्षम है।

पिछले तीन वर्षों में बाइरैक के कार्य इस बात को दर्शाते हैं कि यह शैक्षणिक विकास और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सक्षम है। इसका प्रभाव दिख रहा है और बाइरैक ने जरूरत के हिसाब से तेजी से निश्चित रणनीतियों के द्वारा अपने प्रभाव को और गहरा, पुनःपरिभाषित एवं विस्तारित किया है।



निदेशक मंडल



(बायें से दायें) : डॉ. दिनकर मसानू सालुंके, प्रो. अशोक झुनझुनवाला, डॉ. गगनदीप कांग,
प्रो. के. विजयराधवन, डॉ. रेनू स्वरूप, प्रो. दीपक पेटल, डॉ. मो. असलम

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरेक)

सीआईएन : U73100DL2012NPL233152

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, एमटीएनएल भवन, 9, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

वेबसाइट : www.birac.nic.in ई-मेल : birac.dbt@nic.in टेली : 011-24389600 फैक्स : 011-24389611

सूचना

सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने के लिए तृतीय वार्षिक आम सभा निम्नानुसार होगी:

दिन व तिथि : बुधवार, 9 सितम्बर, 2015

समय: सायं 4.30 बजे

स्थान : प्रथम तल, एमटीएनएल भवन, 9, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

साधारण कार्य:

- 31 मार्च, 2015 को कंपनी के लेखापरीक्षित तुलन पत्र सहित निदेशकों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 146(6) (बी) के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना।
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139(5) के प्रावधानों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।

टिप्पणियां:

- उपस्थित एवं वोट देने के पात्र सदस्य अपने बदले उपस्थित होने एवं वोट देने के लिए एक या अधिक प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकते हैं। प्रतिनिधियों को बैठक के निर्धारित समय से न्यूनतम 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- कंपनी के केवल मूल सदस्य, जिनके नाम सही तरीके से भरी हुई एवं हस्ताक्षरित वैध उपस्थिति पर्चियों में दर्ज हैं, के अनुरूप सदस्यों के रजिस्टर में शामिल हैं, उन्हें बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी। कंपनी को बैठक में गैर सदस्यों के भाग लेने को प्रतिबंधित करने के लिए अनिवार्य पाए गए सभी कदम उठाने का अधिकार है।
- कंपनी के लेखा और प्रचालनों पर किसी भी पूछताछ, अगर कोई हो, को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिन्हें बैठक के दस दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेजा जाए, ताकि तत्काल सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

बोर्ड के आदेशानुसार
कविता अनंदानी
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:

प्रथम तल, एमटीएनएल भवन, 9, सीजीओ कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 19 अगस्त, 2015

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

पुरस्कार

सीएसआई निहिलैंट ई-गर्वनेंस पुरस्कार 2013-14



बाइरैक को अपने 3आई पोर्टल – “उद्योग नवाचार अनुसंधान के लिए निवेश” हेतु सीएसआई निहिलैंट ई-गर्वनेंस पुरस्कार 2013-14 दिया गया था। पोर्टल बाइरैक द्वारा संचालित एवं प्रबंधित राष्ट्रीय महत्व की निवेश योजनाओं की सततता, जवाबदेही, पारदर्शी शासन एवं प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है।

वर्ष 2014-15 के लिए बेस्ट न्यू पब्लिक सैक्टर के रूप में प्राइड ऑफ इंडिया पब्लिक सैक्टर एक्सीलेंस स्पेशल एवार्ड



बाइरैक को वर्ष 2014-15 के लिए बेस्ट न्यू पब्लिक सैक्टर के रूप में प्राइड ऑफ इंडिया पब्लिक सैक्टर एक्सीलेंस एवार्ड दिया गया था। दैनिक भास्कर द्वारा 4 जून, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में श्री अरुण जेटली, माननीय केन्द्रीय वित्त, कॉर्पोरेट मामले और सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा यह एवार्ड दिया गया था।



अध्यक्ष का संदेश

मुझे बाइरैक की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

एक संगठन के तौर पर विशेषकर आंतरिक अवसंरचना एवं प्रक्रियाओं के संबंध में इसकी उत्पत्ति और अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम के डिजाइन एवं कार्यान्वयन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रभाव का प्रमाण बाइरैक की उल्लेखनीय यात्रा को दर्शाता है। यह सब शेयरधारकों के बीच इसकी विश्वसनीयता का परिणाम है जो हम भविष्य में भी जारी रखना चाहेंगे।

अगले तीन वर्षों में बाइरैक के लिए अपने प्रचालनों का विकास और इनमें ज्यादा प्रभावकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। इस ऊंचाई को हासिल करने के लिए, बाइरैक उन प्रोग्राम में ध्यान दे रहा है जो उसके कार्यों में अंतरित हों और समाज में पोषण, रवच्छता, स्वास्थ्य सहित मातृत्व-शिशु स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य में बायोटेक अनुप्रयोगों को बढ़ावा दें। इस वर्ष से बाइरैक अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के अलावा राज्य सरकारों के साथ भागीदारी बढ़ाने का कार्य करेगा।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम निवेश को सुगम बनाने, नवीनता को गति देने, कौशल विकास विस्तार, बौद्धिक सम्पदाओं की रक्षा और उन्नत विनिर्माण अवसंरचना के विकास के लिए है। बायोटेक उद्योग के पास इस राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप कार्यक्रम को गति देने और इसमें अपना योगदान देने हेतु वर्तमान एवं भविष्य के लिए अपार क्षमता है।

कुछ ऐसे घटक हैं जिन्हें भारत को बायो-विनिर्माण के मुखिया के तौर पर रथापित करने के लिए सही रूप से एक साथ जोड़ने की जरूरत है। इन घटकों में नवाचार के प्रत्येक चरण में इस्टतम निधिकरण, एक स्पष्ट विनियोजक लैंडस्केप, मानव संसाधन को बढ़ावा देने एवं कौशल विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान एवं विकास शामिल है। इसके अलावा कुछ अन्य आधारभूत कारक जैसे व्यापार में सरलीकरण, मूल अवसंरचना एवं ऊर्जा उपलब्धता भी हैं, जो कार्यक्रम के परिणामों को प्रभावित करेंगे।

इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि मेक इन इंडिया एक सांतन्यक है – अर्थात् विनिर्माण के विचार से लेकर स्थापना तक जो मांग को पूरा करता है। हमें नवाचार बढ़ाने की जरूरत है जो पूर्णतः आधुनिक विचारों से परिपूर्ण हो – जिसका परिणाम विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ायेगा। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें एक साथ मिलकर एक ओर जहां नवाचार करना है तो दूसरी ओर इसे प्रमाणीकरण कर आगे बढ़ाना है। बाइरैक का फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे बायोटेकोलॉजी इन्जिनियरिंग ग्रांट, बायोइनकुबेशन प्रोग्राम और अनुसंधान के लिए समाज के साथ इसकी साझेदारी तथा सतत प्रौद्योगिकी एवं संस्थान (श्रृंगि), अगले चरण में उत्पाद संरचना के लिए नये विचारों को लाने में सक्षम बनाने के लिए सभी नवाचार विकास की रणनीतियां हैं।

विनिर्माण क्षेत्र में हमारे सामने मुख्य चुनौती उत्पाद उत्कृष्टता और आसान उपलब्धता के बीच अंतर को खत्म करना है। भारत प्रायोगिक प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराता है जहां हम इस अंतर के खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं और ऐसा करने से हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नई पहचान बना सकते हैं। रोटावायरस वैक्सीन "रोटोवैक" की सफलता ने इस दिशा में नये मार्ग खोल दिए हैं। इसी प्रकार, हमने कई उत्पाद विकास परियोजनाओं में सहायता की है जिसके परिणामस्वरूप सर्ते उत्पाद एवं तकनीक का सृजन हुआ है।

जैव विनिर्माण में उत्कृष्टता उद्योग एवं शिक्षा के बीच बेहतर सम्पर्क एवं संगठनों के बीच विविधतापूर्ण साझेदारी के लिए जरूरी है। इसके अलावा, विविध मंचों एवं नेटवर्क का सृजन भारत के लिए महत्वपूर्ण जैव विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगा। यह बाइरैक की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आगे भी जारी रहेगी। मैं इस अवसर पर बाइरैक के सभी कर्मचारियों एवं शेयरधारकों का उनके अतिविशिष्ट सहयोग एवं जोश के लिए आभार प्रकट करता हूं और नये उद्यमों को आवश्यक पोषण एवं परामर्श प्रदान करने एवं उत्पाद शोध में तेजी के लिए जैव प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में सहभागिता मजबूत बनाने तथा जैव नवाचारकों को गति देने एवं उनका विस्तार करने की प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर भारत को 'बायोटेक स्टार्ट अप राष्ट्र' बनाने की बाइरैक की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं।

दिनांक: 19 अगस्त, 2015

स्थान: नई दिल्ली

प्रो. के. विजयराधवन
अध्यक्ष, बाइरैक



प्रबन्ध निदेशक का संदेश

बाइरैक ने 20 मार्च, 2014 को अपने प्रचालन के 3 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। मुझे आपके सम्मुख तृतीय वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है। बाइरैक ने नये उद्यमों एवं लघु उद्यमों में नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देने और बायोटेक इनोवेशन इकोसिस्टम के सशक्तिकरण एवं सक्षमता की दिशा में अपनी यात्रा के 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बाइरैक के मुख्य कार्यकलाप तीन आयामों – उच्च जोखिम नवाचार अनुसंधान का वित्तपोषण, इकोसिस्टम के विकास के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना और वैश्विक आधार पर जुड़ने एवं इसे आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी बनाने पर केन्द्रित हैं। पिछले तीन वर्षों में, बीआईजी की शुरुआत से उद्यमशीलता कार्यकलापों में तेजी आई जिसने बाइरैक उद्यमशीलता में नया जोश भर दिया। बीआईजी आज एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसने लगभग 150 उद्यमशील विचारों को पोषित करने और 50 से अधिक नई कम्पनियों के सृजन में सफलतापूर्वक सहयोग दिया है। सम्पूर्ण मूल्य-श्रंखला में बाइरैक द्वारा निधिपोषित अवसरों ने बायोटेक इनोवेशन इकोसिस्टम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। बाइरैक ने इकोसिस्टम के आवश्यक घटकों के मजबूतीकरण की दिशा में विशेष प्रयास किया है जिसमें इक्यूबेशन स्पेस, तकनीक एवं आईपी प्रबंधन तकनीक एवं व्यवसाय निगरानी, नेटवर्किंग से लेकर उपयुक्त सामरिक साझेदारी शामिल हैं।

वर्ष के दौरान नवाचारकों के लिए सही दिशा बनाना बाइरैक की एक प्रमुख पहल थी और यह यूनिवर्सिटी इनोवेशन काउंसिल (यूआईसी) तथा गांधी युवा भारत नवाचार पुरस्कार हेतु शृष्टि के साथ बाइरैक की साझेदारी के माध्यम से पूरा किया गया। विश्वविद्यालयों के प्रि-इक्यूबेशन सेन्टर में यूआईसी स्थापित किए गए हैं और इनका मुख्य उद्देश्य पीओसी के लिए अपने विचार बताने हेतु छात्रों को एक सुगम मार्ग प्रदान करना है।

जैसा कि बाइरैक की यात्रा वाइब्रेट इनोवेशन सिस्टम के सृजन की दिशा में जारी है। यह वर्ष के दौरान की गई एक प्रमुख घोषणा थी जिसमें बाइरैक एसीई निधि – युवा नवाचारकों को सहायता देने की इकिवटी आधार फंडिंग योजना प्रारंभ की गई थी। अपने मार्ग पर चलते हुए बाइरैक का न केवल अपने प्रचालनों का विस्तार करना है बल्कि गहन नॉलेज सेन्टर बनाने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख स्टेकहोल्डरों को भी शामिल करना है जो सर्ते उत्पाद विकास में अपना योगदान दे सकते हैं और इसके द्वारा वैश्विक बायोटेक इनोवेशन हब के रूप में भारत की पहचान सुनिश्चित होगी।

दिनांक: 19 अगस्त, 2015

स्थान: नई दिल्ली

डॉ. रेनू स्वरूप
प्रबन्ध निदेशक, बाइरैक

निदेशक मंडल

प्रो. के. विजयराघवन
डॉ. रेनू स्वरूप

: अध्यक्ष
: प्रबन्ध निदेशक

गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक

प्रो. अशोक झुनझुनवाला	: निदेशक
डॉ. गगनदीप कांग	: निदेशक
प्रो. दीपक पेटल	: निदेशक
डॉ. दिनकर एम सालुंके	: निदेशक

सरकार द्वारा मनोनीत

डॉ. मो. असलम : निदेशक



प्रो. के. विजयराघवन का परिचय

प्रो. के. विजयराघवन, 28 जनवरी, 2013 से भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव हैं। इसके पहले वे टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान (टीआईएफआर) के राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केन्द्र (एनसीबीएस) के निदेशक तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के एक नए स्वायत्त संस्थान, स्टेम कोशिका जीव विज्ञान और पुनर्जनन चिकित्सा (इन स्टेम) के अंतरिम अध्यक्ष थे। प्रो. के. विजयराघवन ने एक विकास जीव वैज्ञानिक के रूप में विज्ञान को अपना योगदान दिया और उन्हें व्यापक मान्यता प्राप्त है।

उन्हें 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग द्वारा मानद डॉ. ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जे.सी. बोस अध्येतावृत्ति प्राप्त हुई है। उन्होंने 2010 में रायल सोसाइटी में जे.सी. बोस स्मृति व्याख्यान दिया और उन्हें 2009 में जीवन विज्ञान में आरंभ किया गया इंफोसिस पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें 1998 में भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भट्टनागर पुरस्कार प्रदान किया गया। वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और भारतीय विज्ञान अकादमी के सदस्य हैं एवं उन्होंने परिषद के लिए भी कार्य किया है। प्रो. के. विजयराघवन एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें यूरोपियन मौलिक्यूलर बायोलॉजी आर्गनाइजेशन का सहयोग निर्वाचित किया गया है। वर्ष 2012 में प्रो. के. विजयराघवन को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया और वर्ष 2014 में यू.एस. राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के विदेशी एसोसिएट चुने गये।



डॉ. रेनू स्वरूप का परिचय

डॉ. रेनू स्वरूप वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) में वरिष्ठ सलाहकार हैं। डॉ. रेनू स्वरूप आनुवंशिकी और पादप प्रजनन में पीएचडी हैं और उन्होंने राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति के तहत जॉन इंस सेन्टर, नार्विच, यूके में अपनी पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति पूरी की और भारत वापिस आकर जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार में 1989 के दौरान विज्ञान प्रबंधन के पद पर कार्यभार संभाला। डीबीटी में वे राष्ट्रीय जैव संसाधन विकास बोर्ड की प्रमुख हैं और ऊर्जा जीव विज्ञान, जैव संसाधन विकास तथा उपयोगिता एवं पादप जैव प्रौद्योगिकी—जैव पुर्वानुमान, ऊतक संवर्धन एवं बायोमास से जुड़े अन्य कार्यक्रमों के क्षेत्र में विकास, निधिकरण एवं निगरानी कार्यक्रम में शामिल हैं। विज्ञान प्रबंधक के रूप में उनके कार्य में नीति आयोजन एवं कार्यान्वयन से संबंधित मामले शामिल रहे। वे 2001 में जैव प्रौद्योगिकी संकल्पना के निर्माण तथा 2007 में विशेषज्ञ समिति की सदस्य सचिव के रूप में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति में सक्रिय रूप से शामिल रही। वे प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार समिति द्वारा गठित विज्ञान में महिलाओं के कार्यबल की सदस्य भी हैं। वे राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की सदस्य हैं और उन्हें 2012 में “बायोस्पेक्ट्रम पर्सन ऑफ दि एयर अवार्ड” से सम्मानित किया गया था।

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

डॉ. अशोक झुनझुनवाला



डॉ. अशोक झुनझुनवाला, अभियांत्रिकी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, भारत में प्रोफेसर हैं। बी. टेक करके उन्होंने मैन विश्वविद्यालय से एमएस एवं पीएचडी डिग्री हासिल की। 1979 से 1981 तक वह वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर थे। वर्ष 1981 से वह आईआईटी मद्रास में पढ़ा रहे हैं।

डॉ. झुनझुनवाला को अनुसंधान एवं विकास, नवाचार तथा उत्पाद विकास की दिशा में भारत में उद्योग-शिक्षा सहयोग को बढ़ावा देने में अग्रणी माना जाता है। उन्होंने भारत में पहला रिसर्च पार्क (आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क) की परिकल्पना की तथा उसे बनाया जिसमें इसके 1.2 मिलियन वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र में 100 से अधिक आरएंडडी कम्पनियां हैं। आईआईटी मद्रास में 100 से अधिक कम्पनियों को कार्य करने की सुविधा प्रदान करने के रूप में उद्यमशीलता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए टीआईई ने उन्हें ड्रोणाचार्य की उपाधि प्रदान की है। वह आईआईटीएम इन्क्यूबेशन प्रकोष्ठ तथा ग्रामीण विकास तथा व्यवसाय इन्क्यूबेटर (आरटीबीआई) के प्रमुख हैं। उन्होंने टेलीकम्पूनिकेशन्स और कम्प्यूटर नेटवर्क ग्रुप (टीईएनईटी) का भी नेतृत्व करते हैं जिसने भारतीय संचार, बैंकिंग एवं ऊर्जा उद्योग के लिए कई उत्पादों के विकास में उद्योग के साथ मिलकर कार्य किया है।

पिछले दो से अधिक दशकों में उनके प्रमुख कार्यों में टेलीकॉम आरएंडडी का विकास शामिल है। भारत में पहले वॉयरलैस इन लोकल लूप (सीओआरडीईसीटी) उत्पाद के विकासकर्ता के रूप में वे पहचानते हैं कि पर्याप्त वायरलाइन अवसंरचना न होने के बावजूद भारत को निम्न पावर प्रति बिट के साथ उच्च बिट रेट प्रति हर्टज उपलब्ध स्पेक्ट्रम सुपुर्द कराना होगा। वह स्वास्थ्य देखरेख में विकास के लिए टेलीकॉम एवं आईसीटी का उपयोग, शिक्षा, कृषि, आजीविका और वित्तीय समावेशन में कार्य कर रहे हैं। वह भारत के मोबाइल पेमेंट फोरम के संस्थापक अध्यक्ष हैं जिसने भारत में मोबाइल भुगतान को सक्षम बनाया।

पिछले कुछ वर्षों में टेलीकॉम क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के बाद, उन्होंने ऊर्जा पर ध्यान दिया है और अपने सोलर-डीसी इनोवेशन का उपयोग कर चाहे कितनी भी बिजली की कमी हो, उन्होंने भारत के हर घर को चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया है। वह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष हैं।

वह आईआईटी एवं एनआईटी पर काकोडकर समिति के सदस्य हैं। “अभियांत्रिकी शिक्षा में गुणवत्ता विस्तार” पर एमएवआरडी समिति के अध्यक्ष एवं एआईसीटीई की समीक्षा समिति के सदस्य के रूप में वह शिक्षा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार के लिए सार्वजनिक एवं निजी दोनों इंजीनियरिंग कॉलेजों को लक्षित कर रहे हैं।

जल पर एसएसी-पीएम की समिति के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने भारत में पानी की समस्या, गुणवत्ता और प्रदूषण के बारे में विभिन्न उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट दी है और भारत में इन समस्याओं से निपटने के लिए अनुसंधान व विकास, कार्यान्वयन एवं नीति को भी बताया है।

डॉ. झुनझुनवाला विभिन्न सरकारी समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य हैं और देश के विभिन्न शिक्षा संस्थानों के बोर्ड में हैं। वर्तमान में वह कुछ सार्वजनिक एवं निजी कम्पनियों के बोर्ड में भी है और उन्होंने कम्पनियों में विशेषकर तकनीक के क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए हैं। वह भारतीय स्टेट बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एचटीएल, एनआरडीसी, आईडीआरबीटी, बीएसएनएल के बोर्ड में निदेशक थे। वर्तमान में वह टाटा कम्प्यूनिकेशन्स, महिन्द्रा रेवा, पोलोरिस, सासकन, तेजस नेटवर्क, टीटीएमएल, इटलेक्ट एंड एग्जिकॉम में बोर्ड मैम्बर तथा सेबी के तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष हैं।

डॉ. झुनझुनवाला को पद्मश्री, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, विक्रम साराभाई अनुसंधान पुरस्कार, एच.के.फिरोडिया पुरस्कार, सिलिकॉन इंडिया लीडरशिप पुरस्कार, इंडियन साइंस कांग्रेस में मिलेनियम मेडल, यूजीसी हरिओम आश्रम पुरस्कार, आईईटीई राम लाल वाधवा स्वर्ण पदक, जे.सी. बोस फेलोशिप, बनार्ड लो हयमेटेरियन पुरस्कार तथा कई अन्य पुरस्कारों से नवाजा गया था। वह आईईईई, आईएनएसए, एनएएस, आईएएस, आईएनएई तथा डब्ल्यूडब्ल्यूआरएफ के फेलो हैं। उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीन तथा ब्लैकिंज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्वीडन द्वारा मानद डॉक्टोरेट उपाधि भी प्रदान की गई है।

डॉ. गगनदीप कांग



डॉ. गगनदीप कांग बेल्लोर, भारत में क्रिश्चयन मेडिकल कॉलेज (सीएमसी) में जठरांत विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हैं। वे वैलकम ट्रस्ट रिसर्च लेबोरेटरी तथा सीएमसी के जठरांत विज्ञान विभाग की प्रमुख हैं।

डॉ. कांग का अनुसंधान कार्य बाल आंत्रशोथ पर अनुसंधान रोटोवायरस महामारी विज्ञान, रोकथाम एवं टीका विकास पर केन्द्रित है। उन्होंने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इपिडेमियोलॉजी में कार्य किया है तथा इंडियन रोटोवायरस नैदानिक निगरानी साइटों एवं प्रयोगशालाओं के नेटवर्क का विकास किया। वह दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के लिए

डब्ल्यूएचओ रोटोवायरस रिफरेंस लेबोरेटरी की प्रमुख है जो रोग पर वैक्सीन के प्रभाव की निगरानी एवं रोग को दूर करने में उच्च गुणवत्ता जांच एवं सहायता सुनिश्चित करने के प्रयासों में सहयोग करता है। इसके अलावा, सीएमसी समूह रोटोवायरस एवं पोलियो वैक्सीन में विलनिकल रिसर्च निष्पादित करता है तथा इसकी कॉम्प्लैक्स फील्ड स्टडी और वैक्सीन के कार्यनिष्पादन का प्रयोगशाला मूल्यांकन किया जाता है। आंत्रशोथ कार्य पर संपूरक अध्ययन आंत्रशोथ संक्रमण तथा दीघकालिक विकास एवं वृद्धि में इसके प्रभाव की जांच करता है।

डॉ. कांग के कार्य को यूएस राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, द वेलकम ट्रस्ट, द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, द यूरोपियन यूनियन तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय फंडिंग द्वारा वित्तीय सहायता मिली है। उनके कार्यों को उच्च मानक वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 200 से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया और उनके योगदान को मान्यता प्रदान की गई। वह पहली महिला और पहली भारतीय है, जिन्हें प्रतिष्ठित ट्रॉपिकल मेडिसिन के मानसून पुस्तक के सम्पादन के लिए आमंत्रित किया गया था। उनके समूह द्वारा किए गए अनुसंधान का अधिकांश हिस्सा आंत्रशोथ रोग को रोकने के लिए व्यवहारिक समस्या को दूर करने और उपचार तकनीक एवं टीका के रूप में बेहतर कार्य के लिए बुनियादी कार्य को जारी करने पर केन्द्रित हैं।

उन्होंने सीएमसी से एमबीबीएस, एमडी और पीएचडी डिग्री प्राप्त की है और उन्हें रॉयल कॉलेज ऑफ पैथोलॉजिस्ट, लंदन की अद्येतावृत्ति प्रदान की गई है। वे भारतीय विज्ञान अकादमी, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और अमेरिकन अकादमी ॲफ माइक्रोबायोलॉजी की निर्वाचित अध्येता भी हैं। वह डब्ल्यूएचओ के दक्षिण-पूर्व क्षेत्र के लिए प्रतिरक्षण तकनीकी सलाहकार समूह की अध्यक्ष हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूहों में कार्य किया और वे वैक्सीन सेपटी पर डब्ल्यूएचओ की वैश्विक सलाहकार समिति तथा प्रतिरक्षण एवं वैक्सीन कार्यान्वयन अनुसंधान सलाहकार समिति की सदस्य हैं।

प्रो. दीपक पेंटल



प्रोफेसर दीपक पेंटल दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और वर्तमान में विश्वविद्यालय के साउथ कैम्पस में आनुवंशिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री वनस्पति विज्ञान विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय से प्राप्त की और उसके बाद रूटर्जस यूनिवर्सिटी, यूएसए से पीएचडी डिग्री हासिल की। वह 1978–84 तक नाटिंघम विश्वविद्यालय में पोस्टडॉक्टोरल एवं यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलो थे। प्रोफेसर पेंटल के अनुसंधान कार्यों में मुख्यतः सरसों एवं कपास का प्रजनन शामिल है।

उन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समूह समीक्षा पत्रिकाओं में लगभग सत्तर से अधिक पेपर प्रकाशित किए हैं और उनके कार्य ने हाइब्रिड बीज उत्पादन तकनीकों में महत्वपूर्ण बदलाव किया। वह राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और भारतीय विज्ञान अकादमी तथा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के निर्वाचित सदस्य हैं। प्रो. पेंटल को कई पुरस्कार मिला हैं जिनमें शामिल हैं – 2004 में जवाहर लाल नेहरू फेलोशिप; 2007 में फ्रांस गणराज्य सरकार द्वारा 'आफिसर डेस पाल्मेस एकेडमिस्क्यू'; 2008 में ओम प्रकाश भसीन पुरस्कार; 2010 में जे.सी.बोस फेलोशिप; जीवन विज्ञान में नवाचार आरएंडडी के लिए 2010 में फिक्की पुरस्कार और 2012 में नाटिंघम विश्वविद्यालय से डी.एससी (ऑनर्स)।

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

डॉ. दिनकर मसानू सालुंके

डॉ. सालुंके वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय केन्द्र, फरीदाबाद के अधिशासी निदेशक हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर से पीएचडी (1983) करने के बाद उन्होंने यू.एस.ए. के ब्रांडीज विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति की जिसके उपरांत 1988 में उन्होंने नई दिल्ली के भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान में जहां उनकी लीन है, अनुसंधान शुरू किया। डॉ. सालुंके की अनुसंधान रुचियां हैं प्रतिरक्षी पहचान का संरचनात्मक जीव विज्ञान, आण्विक मिमिक और एलर्जी। वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (2004), भारतीय विज्ञान अकादमी (2001), राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (1995) और वैश्विक विज्ञान अकादमी (2014) के अध्येता हैं।



डॉ. सालुंके को कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जिनमें जैविक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता हेतु जी एन रामाचंद्रन स्वर्ण पदक (2010), जे.सी.बोस राष्ट्रीय फेलोशिप पुरस्कार (2007), चिकित्सा विज्ञान में मूलभूत अनुसंधान के लिए ऐनबकरी अनुसंधान पुरस्कार (2002), जैविक विज्ञान हेतु शांति स्वरूप भट्टनागर पुरस्कार (2000) और राष्ट्रीय जीव विज्ञान पुरस्कार (1999) आदि शामिल हैं।

सरकार द्वारा नामित

डॉ. मो. असलम



डॉ. मो. असलम वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) में सलाहकार (वैज्ञानिक 'जी') हैं। वह प्लांट जैव प्रौद्योगिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न आरएंडडी कार्यक्रमों की योजना, संयोजन तथा निगरानी में शामिल हैं। वर्तमान में, वह डीबीटी के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे जैव प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केन्द्र, औषधीय व सुगंधीय संयंत्रों से परिष्कृत उत्पादों के अनुवादात्मक अनुसंधान और सिल्क में प्रौद्योगिकी विकास का संचालन कर रहे हैं। डॉ. असलम जैव प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केन्द्र के तकनीकी सलाहकार समिति, औषधीय व सुगंधीय संयंत्रों से परिष्कृत तथा उत्पादों के अनुवादात्मक अनुसंधान में डीबीटी के विशेषज्ञ समूहों और सिल्क में प्रौद्योगिकी विकास के सदस्य सचिव हैं। वह तीन स्वायत्त संस्थानों – राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान (एनआईआई), नई दिल्ली; जैव संसाधन एवं स्थायी विकास संस्थान (आईबीएसडी), इम्फाल, मणिपुर; और अंतर्राष्ट्रीय जनेरिक इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईसीजीईबी), नई दिल्ली के लिए डीबीटी में तथा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट्स काउंसिल में भी नोडल अधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं।

कॉर्पोरेट सूचना

पंजीकृत कार्यालयः

प्रथम तल, एमटीएनएल बिल्डिंग, 9, सीजीओ कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
सीआईएन U73100DL2012NPL233152
वेबसाइट www.birac.nic.in

Email : birac.dbt@nic.in फोन: +91-11-24389600
फैक्स: +91-11-24389611

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स सम्पर्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

102-03 / 106 / 302, तीसरा तल, नीलकंठ हाउस,
एस-524, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-110092
फोन: +91-11-22481918, 22482446

बैंकर्स

कॉर्पोरेशन बैंक
ब्लॉक-11, सीजीओ कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
कोर-6, स्कोप कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

कम्पनी सचिव

सुश्री कविता अनंदानी



निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

1. बाइरैक के बारे में

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक), कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थापित एक गैर-लाभकारी सैक्षण 'बी' कम्पनी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसूची 'बी' सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है जो उभरते हुए जैव प्रौद्योगिकी उद्यम को मजबूत एवं सशक्त करने, सामरिक अनुसंधान एवं नवाचार सम्पादित करने, राष्ट्रीय स्तर पर संगत उत्पाद विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक इंटरफेस एजेंसी है।

बाइरैक एक नया उद्योग-शिक्षा इंटरफेस है और यह कई प्रभावी पहलों जैसे लक्षित निधि के माध्यम से जोखिम पूँजी की पहचान करना, आईपी प्रबंधन एवं हैंडहोल्डिंग योजना के माध्यम से बायोटेक फर्मों को नवाचार उत्कृष्टता दिलाना और उन्हें वैशिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के माध्यम से अपने अधिदेशों को कार्यान्वित करता है। स्थापना के तीन वर्षों में बाइरैक ने कई योजनाएं, नेटवर्क एवं प्लेटफार्म बनाए हैं जो उद्योग-शिक्षा के बीच वर्तमान अंतर को खत्म करने तथा अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से श्रेष्ठ, उच्च गुणवत्ता वाले सस्ते उत्पाद उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। बाइरैक ने अपने अधिदेशों को पूरा करने के उद्देश्य से कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहभागियों के साथ साझेदारियां की हैं।

2. हमारी विचारधारा एवं उपलब्धियां

बाइरैक की विचारधारा बायोटेक के नये उद्यमों को बढ़ावा देना तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के नवाचारी अनुसंधान को प्रोत्साहन देकर वहनीय एवं प्रतिस्पर्धी उत्पादों के विकास पर केन्द्रित है। बाइरैक की चार्टर में जो विज्ञन और मिशन उल्लिखित है, उन्हें हासिल करने की विभिन्न कार्यविधियों में नये उद्यमों, लघु एवं मध्यम उद्योगों, अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थानों में बायो-नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई साझेदारियों को शामिल करने की नीति की आवश्यकता है।

पिछले तीन वर्षों और विशेषकर 2014–15 में बाइरैक ने देश में जैव अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा

में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बाइरैक की नीति जैव अनुसंधान के प्रत्येक चरण जैसे विचारधारा, परिकल्पना जांच, वैधता एवं सीमा पर केन्द्रित रही है। इसके अलावा, बाइरैक ने इकोसिस्टम के मुख्य अंतर की पहचान की है और श्रेष्ठ बायोथिपेटिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं गैर-सूक्ष्मजीवी प्रतिरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनेक कदम उठाए हैं। वर्ष 2014–15 में बाइरैक ने 361 नये उद्यम, लघु एवं मध्यम उद्योग तथा उद्यमशीलता को सहायता दी है।

बीज निधिकरण एवं उद्यमशीलता विकास

बाइरैक इस बात को समझता है कि नये उद्यम ही नये अनुसंधान का आधार हैं और यह पहले चरण में बीज-पूर्व एवं बीज अनुदान, फेलोशिप, उद्यमशीलता जागरूकता कार्यशालाओं के माध्यम से "उद्यमशीलता विकास (ईडी)" पर सक्रियता से कार्यरत है। बाइरैक का बीआईजी देश में नये बायोटेक उद्यम लाने की दिशा में पलैगशिप कार्यक्रम है। छह बीआईजी कॉल में बाइरैक ने 154 उद्यमियों को सहायता की जो नवीनतम विचार एवं परिकल्पना देने के इच्छुक थे। इनहाउस डाटा इस बात को दर्शाता है कि पहले कॉल से परियोजना समर्थित 22 नये उद्यम स्थापित किए गए और बीआईजी की चौथी कॉल तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक छोटे से कदम से बाइरैक ने जैव-नवाचार राष्ट्र बनाने का आधार तैयार कर लिया है। बाइरैक ने कुछ बीआईजी अनुदान प्राप्त ग्रेजुएट को बाइरैक या अन्य एजेंसियों के माध्यम से नियमित रूप से फड़िंग देना भी जारी रखा है।

बाइरैक ने शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बाइरैक शृष्टि एवार्ड के माध्यम से आईआईएम अहमदाबाद में सृष्टि के साथ साझेदारी की है जिसमें विश्वविद्यालय स्तर पर 15 नवाचार विचारों को 15 लाख के प्रि-सीड अवार्ड और अन्य 100 विचारों को 1 लाख के अवार्ड प्रदान करेंगे। उद्यमशीलता विकास नीति के अनुसरण में, बाइरैक ने सामाजिक नवाचार इमरशन फेलोशिप कार्यक्रम (एसआईआईपी) के माध्यम से सामाजिक उद्यमियों के विकास में ध्यान केन्द्रित किया है और 16 सामाजिक उद्यमी 4 कार्यान्वयन भागीदारों के यहां प्रशिक्षण के लिए चुने गए हैं। इसी तरह, बाइरैक ने यूनिवर्सिटी इनोवेशन कलस्टर (यूआईसी) के माध्यम से 5 राज्य विश्वविद्यालयों में पोस्टडॉक्टोरल एवं पोस्टमास्टर्स फेलोशिप के माध्यम से उद्योग आधारित बाजार विनिर्देशित आरएंडडी पर ध्यान केन्द्रित किया है।

बाइरैक श्रृंखि सहभागिता, एसआईआईपी, यूआईसी सभी का उद्देश्य उद्यमशीलता विकास के लिए आधार तैयार करना है और आशा है कि ऐसे कई विचार बाद में प्रचलित होंगे और यह बीआईजी या अन्य चालित निधियों के सहयोग से उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे।

बाइरैक क्षेत्रीय नवाचार वातावरण बनाने की दिशा में कार्यरत है और बाइरैक के क्षेत्रीय नवाचार केन्द्र (बीआरआईसी), आईकेपी के साथ साझेदारी से हैंदराबाद कलस्टर का प्रतिचित्रण हुआ है जबकि बंगलौर, चेन्नई एवं तिरुवनंतपुरम के प्रतिचित्रण की योजना बनाई जा रही है। इस प्रतिचित्रण से, बाइरैक ने उभरते हुए उद्यमशील प्रतिभा एवं तकनीक की पहचान की है जो अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों में विकसित की जा रही है।

इस नीति के अनुसरण में बाइरैक बायोइंक्यूबेशन सहायता कार्यक्रम वर्तमान में 1,20,000 वर्ग फीट बायोइंक्यूबेशन स्पेस को शामिल करते हुए 15 बायोइंक्यूबेशन सुविधाओं को सहायता करते हैं और नये उद्यमों को सेवाएं देते हैं तथा देश में उभरते हुए बायोटेक एवं मेडिटेक नये उद्यमों को विकसित करते हैं जिम्मे केन्द्रित सेवाएं, उच्च छोर सामान्य इंस्ट्रूमेंटेशन, नेटवर्क की पहचान एवं निगरानी शामिल है। वर्तमान में यह 100 से अधिक उद्यमियों को इंक्यूबेशन सेवाएं प्रदान कर रहा है। वर्ष 2014–15 में, बाइरैक ने एचटीआईसी (आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क) में मेडिटेक केन्द्रित इंक्यूबेटर, आईआईटी मद्रास (आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क) में बायोइंक्यूबेशन सुविधा और महिलाओं के लिए गोल्डन जुबली बायोटेक पार्क (चेन्नई) में सहायता प्रदान की तथा यह देश में बायोटेक के विकास के लिए मूल्यसंवर्धित स्पेस एवं नेटवर्क जोड़ रहा है।

बाइरैक निरंतर कार्यशालाओं के माध्यम से उभरते हुए नये उद्यमों एवं लघु उद्यमों के मूल्य संवर्धन के लिए संघर्षरत है। वर्ष 2014–15 में 171 उद्यमियों एवं सक्षम उद्यमियों को अपनी कार्यशालाओं या बायोटेक सम्बद्ध उद्यम संघ, भारत में नोडल बायोटेक इंडस्ट्रीय संगठन के माध्यम से उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षण दिया गया। बाइरैक ने उद्यमशीलता अध्ययन केन्द्र (सीएफसीएल), जज बिजनैस स्कूल, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ अपनी उत्कृष्ट सहभागिता जारी रखी जहां सीएफईएल के अग्रणी इगनाइट प्रोग्राम जो पूरे विश्व में उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं, में 5 बीआईजी अनुदानकर्ता शामिल किए गए।

उत्पाद विकास के लिए पूर्व एवं बाद के चरणों का निधिकरण

बाइरैक का मुख्य ध्यान नवाचार उत्पाद विकास को बढ़ावा देना है और यह जैव प्रौद्योगिकी उद्यमों विशेषकर लघु एवं मध्यम उद्योगों, जो उत्पाद विकास के लिए उपयुक्त हैं, को कई तरह की नियमित फ़ाइंग प्रदान करता है। बाइरैक के फ्लैगशिप कार्यक्रमों जैसे लघु व्यवसाय नवाचार अनुसंधान पहल (एसबीआईआरआई), जैव प्रौद्योगिकी उद्योग सहभागिता कार्यक्रम (बीआईपीपी) और अनुबंध अनुसंधान योजना (सीआरएस) के माध्यम से इसे कार्यान्वित किया जाता है। एसबीआईआरआई नये उद्यमों एवं लघु उद्यमों को अगले चरण की निधिगत सहायता देती है जहां आईएनआर 1 करोड़ तक की परियोजनाओं को सहायता दी जाती है जबकि बीआईपीपी का उद्देश्य पूर्व एवं बाद के चरण तथा सह-निधिकरण मॉडल के माध्यम से अनुसंधान के उच्च जोखिम अनुसंधानों को दूर करना है। सीआरएस के माध्यम से बाइरैक का उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास में उद्योग-शिक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। बायोटेकनोलॉजी पद्धतियों के माध्यम से सामाजिक चनौतियों से निपटने की बाइरैक की प्रतिबद्धता उत्पादों पर इसके सामाजिक नवाचार कार्यक्रम : सस्ता एवं संगत सामाजिक स्वारस्थ्य (स्पर्श) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

पूर्व में किए गए उल्लेख के अनुसार इन फ्लैगशिप कार्यक्रमों के माध्यम से वर्ष 2014–15 में हरित ऊर्जा से संबंधित विविध नवाचार, ड्रग डिलीवरी के लिए एग्री बायोटेक की नई तकनीक से जुड़े 361 उद्यमों को सहायता दी गई थी। इस निधिपोषित सहायता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2014–15 में बाइरैक की सहायता से 5 नई तकनीकों का विकास किया गया और बाजार में उत्पाद लाए गए तथा 5 परिकल्पनाओं पर पूर्ण चरण तकनीक बनाई गई।

एसबीआईआरआई के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में 148 कम्पनियों को जोड़ा गया जबकि बीआईपीपी में, 110 कम्पनियों ने उच्च जोखिम नवाचार अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में सहायता प्रदान दी (कुल 326 परियोजनाओं का निधिपोषण किया गया)। स्पर्श में, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी 10 परियोजनाओं को सहायता दी गई और जैसा कि पूर्ण उल्लेखित किया गया है 16 एसआईआईपी फेलो वर्तमान में सक्रिय हैं।

बायोफार्म/फार्मा क्षेत्र के विकास की धीमी गति को ध्यान में रखकर इसे आगे बढ़ाने के लिए 2014–15 में कई क्रियाकलाप प्रारंभ किए गए जिसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट (एएमआर) पर सलाह और बायोफार्मस्यूटिकल्स के पूर्व विकास के लिए त्वरित डिस्कवरी अनुसंधान हेतु मिशन प्रारंभ किया गया। इसके अलावा, बाइरैक ने सी–सीएमपी, बंगलौर में 'पूर्व अनुवादात्मक उत्प्रेरक' की परिकल्पना की शुरुआत की है जो शिक्षा क्षेत्र में पूर्व अनुवादात्मक खोजों की पहचान एवं बढ़ावा देने में सहायता करेगा।

बाइरैक नियमित रूप से नये उद्यमों एवं लघु एवं मध्यम उद्योगों को उत्पाद विकास श्रंखला के माध्यम से उनके नवाचारं में सहायता प्रदान करने एवं उन्हें नवाचार के लिए सक्षम बनाने में संघर्षरत है। आईपी एवं तकनीक प्रबंधन तथा ठेका एवं तकनीक हस्तांतरण लाइसेंसों के लिए कानूनी सलाह इकोसिस्टम में बड़ा सहयोग है।

सहभागिता विकास

आधुनिक उत्पाद विकास के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूँढ़ने के उद्देश्य से बाइरैक ने 5 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहभागिताएं की हैं। बिल एंड मेलइंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) के साथ भारत में कृषि एवं पोषण, स्वच्छता, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य में बड़ी चुनौतियों से निपटने की योजना प्रारंभ की गई। इस सहभागिता के माध्यम से कुल 11 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई। इसी प्रकार, वेल्कम ट्रस्ट, यूके (संक्रामक रोगों के निदान के लिए), दि फ्रेंच एजेंसी सीईएफआईपीआरए (क्रोनिक रोगों जैसे हृदय रोग, मानसिक रोग एवं प्रमस्तिष्क घात के आणविक निदान के लिए) संयुक्त कॉल प्रारंभ की गई थी। बाइरैक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डाइटी), भारत सरकार के साथ मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में भागीदार है (वर्तमान में सहभागिता हटाई जा रही है) और इसके अलावा "टीबी के लिए त्वरित निदान सुविधा" में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यूएसएआईडी एवं आईकेपी नॉलेज पार्क के साथ त्रिपक्षीय भागीदारी की गई थी।

नेटवर्क एवं बिजनैस प्लेटफार्म

बाइरैक ने अपने स्वयं के नेटवर्क एवं प्लेटफार्म (नवाचारक बैठक, रोड शो, आईपी एवं विनियामक कार्यशालाओं) के माध्यम से और बायोएशिया (हैदराबाद), बंगलौर इंडिया बायो (बंगलौर),

बायोजापान और बायो यूएसए के सहयोग से नेटवर्क एवं प्लेटफार्म सृजन के प्रयास किए हैं। बाइरैक ने मार्च 9–13 के दौरान राष्ट्रपति भवन में नवाचार उत्सव में भाग लिया।

बाइरैक 22 एवं 23 सितम्बर, 2015 को अपनी नवाचारक बैठक के माध्यम से स्टेकहोल्डर शामिल करने के लिए प्रयासरत रहा और 19 एवं 20 मार्च, 2015 को स्थापना दिवस मनाया गया। इन दोनों कार्यक्रमों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों ने भाग लिया और जैव प्रौद्योगिकी नवाचार में उभरते विषयों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई और नये समाधानों के लिए नीति बनाई गई। श्री वाई एस चौधरी, माननीय राज्यमंत्री ने बाइरैक की एसीई फंड – एक नई इकिवटी आधारित निधि के शुभारंभ की घोषणा की जिसका भविष्य में कार्यान्वयन करने का बाइरैक का उद्देश्य है।

बाइरैक ने काफी कम समय में राष्ट्रीय नवाचार परिदृश्य में अपनी पहचान बनाई है। बाइरैक को 3आई पोर्टल के लिए वर्ष 2014–15 में सीएसआई निहिलेंट ई-गर्वेंस पुरस्कार (2013–14) से सम्मानित किया गया जिसके द्वारा बाइरैक के लाभार्थियों को पारदर्शी एवं प्रभावी इंटरफेस उपलब्ध कराया गया है। बाइरैक को वर्ष 2014–15 के लिए श्रेष्ठ नये सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में प्राइड ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज एक्सीलेंस एवार्ड भी दिया गया है। श्री अरुण जेटली, माननीय केन्द्रीय वित्त, कॉर्पोरेट मामले एवं सूचना व प्रसारण मंत्री द्वारा यह पुरस्कार दिया गया।

बाइरैक 2014–15 के दौरान या उससे पहले प्रारंभ किए गए अपने सभी विविध कार्यक्रमों के उद्देश्यों पर पूरी तत्परता एवं विस्तार से कार्य करेगा।

3आई पोर्टल

बाइरैक की विभिन्न निधिकरण योजनाएं बाइरैक 3आई पोर्टल की सहायता से कुशलतापूर्वक संचालित की जा रही है। यह पोर्टल बहुत कुशल एवं प्रभावी है और अधिकतर योजनाओं में अंतिम समाधान प्रदान करता है। पोर्टल द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में प्रस्तावों का ऑनलाइन जमा, समीक्षा, बैठक प्रबंधन, अनुमोदन जारी करना एवं प्रकाशन आदेश, निगरानी, ऑटो-ई-मेल, रिमाइंडर्स, रिपोर्ट आदि शामिल हैं। वर्ष के प्रारंभ में ही बैठकों की विषयसूची डिजिटल पद्धति में भी तैयार की गई थी और पोर्टल पर इसे गैर-प्रिंट प्रारूप में विशेषज्ञों के

लिए उपलब्ध कराया गया। इसके द्वारा हमने लगभग 10,000 पृष्ठ प्रतिमाह की बचत की। पोर्टल द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को नियमित रूप से उन्नयित एवं विस्तारित किया जाता है और हमें आशा है कि हम सभी योजनाओं को जल्द की अँनलाइन करने की आशा रखते हैं।

3. लेखापरीक्षा समिति

बाइरैक एक अलाभकारी कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत है। यह एक निजी लिमिटेड कंपनी है, जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। लेखापरीक्षा समिति का गठन कंपनी के लिए लागू नहीं है जैसा कि यह एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। हालांकि, लेखापरीक्षा समिति के गठन में डीपीई दिशानिर्देशों की नैगम शासन पर आवश्यकता होती है। तदनुसार, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन तीन निदेशकों के साथ किया गया था, जिनमें से दो स्वतंत्र निदेशक थे।

4. वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरण, दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों के अनुसार ऐतिहासिक लागत नियमों के तहत लेखांकन की प्रोटोकॉल विधि के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

5. वार्षिक प्रतिफल का सारांश

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क) के अनुसार में वार्षिक प्रतिफल के सारांश निर्धारित प्रारूप में निदेशकों की रिपोर्ट के संलग्नक—1 में दिए गए हैं।

6. बोर्ड बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष के दौरान बोर्ड की पांच बैठकें हुईं जिसका विवरण कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है और जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। दो बैठकों के आयोजन के बीच का अंतर कम्पनी अधिनियम, 2013 और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार था।

7. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कम्पनी ने प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अधीन विनिर्देशित स्वतंत्र निदेशक के रूप में सभी मापदंडों

को पूरा करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अंतर्गत आवश्यक घोषणापत्र प्राप्त किया है।

8. संबद्ध पार्टियों के साथ किए गए अनुबंध एवं व्यवस्था के विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के प्रावधानों के अनुसार बाइरैक ने सम्बद्ध पार्टियों के साथ कोई भी अनुबंध या व्यवस्था नहीं की।

9. सूचना का अधिकार

बाइरैक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2004, समय-समय पर यथासंशोधित एवं सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक प्रक्रियाओं एवं नियमों का पालन करता है। इसने सीपीआईओ एवं अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति की है। विस्तृत विवरण हमारी वेबसाइट www.birac.nic.in पर उपलब्ध हैं।

10. जोखिम प्रबंधन नीति

बाइरैक ने उचित जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है।

11. कार्यस्थल पर यौन शोषण (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अधीन प्रकटन

कम्पनी ने शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार के मामले में विनिर्देशित दिशानिर्देशों और सीसीएस (कंडक्ट) नियम के अंतर्गत अपेक्षित संदर्भ की शर्तों के अनुसार शिकायत समिति गठित की है जो कार्यस्थल पर यौन शोषण (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के रूप में भी कार्य करती है।

इस नीति के अंतर्गत सभी कर्मचारी (स्थाई, ठेका, अस्थाई, प्रशिक्षु सहित) शामिल हैं। वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान कम्पनी को इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली।

12. समझौता ज्ञापन (एमओयू)

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बाइरैक ने 24 मार्च, 2014 को प्रशासनिक मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ वर्ष 2014–15 में पहला समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया था।

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

13. निदेशकों के दायित्व का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसरण में निदेशकगण उल्लेख करते हैं कि :

- | वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय सामग्री विचलन के संबंध में उचित व्याख्या के साथ लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;
- | निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर अपनाया है तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान प्रस्तुत किए हैं जो सही एवं न्यायोचित है और वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी के सभी मामलों तथा इस अवधि के लिए लाभ एवं हानि लेखा का सही एवं पारदर्शी विवरण देते हैं;
- | निदेशकों ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी की परिस्थितियों की सुरक्षा तथा किसी भी चूक एवं अन्य अनियमिताओं को रोकने एवं पहचानने के लिए पर्याप्त लेखा रिकार्ड के रखरखाव में उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया है;
- | निदेशकों ने सभी लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध उचित प्रणाली को अपनाया था और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और कुशलापूर्वक परिचालित थीं।

14. कॉर्पोरेट अभिशासन

कॉर्पोरेट अभिशासन पर एक अलग रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

15. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

समीक्षाधीन अवधि (वित्तीय वर्ष 2014–15) के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मैसर्स सम्पर्क एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को आपकी कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट/सीएजी रिपोर्ट वित्तीय विवरणों में संलग्न है और विभिन्न लेखा टिप्पणियों में स्व-व्याख्यात्मक एवं सही रूप से उल्लेखित है।

16. बैंकर्स

बैंकर्स हैं:

- | कारपोरेशन बैंक, ब्लॉक-11, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

| स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, कोर-6, स्कोप कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

17. निदेशकों का विवरण

बाइरैक का अपना बोर्ड है जिसमें वरिष्ठ व्यावसायिक, शिक्षाविद्, नीति निर्धारक और उद्योग के प्रतिष्ठित व्यावसायिक शामिल हैं। प्रो. के. विजयराघवन, सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग बोर्ड के अध्यक्ष हैं तथा डॉ. रेनू स्वरूप, वरिष्ठ सलाहकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग प्रबंध निदेशक हैं।

बोर्ड में 4 स्वतंत्र निदेशक अर्थात् प्रो. अशोक झुनझुनवाला, प्रोफेसर, आईआईटी चेन्नई, डॉ. गगनदीप कांग, प्रोफेसर एवं प्रमुख, जठरांत्र विज्ञान, क्रिएश्चियन मेडिकल कॉलेज, वैल्लौर, प्रो. दीपक पेटल, आनुवंशिक विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, डॉ. दिनकर मसानू सालुके, कार्यपालक निदेशक, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केन्द्र हैं और डॉ. मो. असलम, वैज्ञानिक 'जी' जैव प्रौद्योगिकी विभाग सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं।

18. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अधीन अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:

क. ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा संरक्षण से संबंधित प्रकटन हमारी कंपनी पर लागू नहीं है।

ख. प्रौद्योगिकी समावेशन, अंगीकरण एवं नवाचार

कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3)(बी) के अधीन अपेक्षित विवरण नहीं दिए गए हैं जेसा कि कम्पनी के प्रत्यक्ष अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप नहीं हैं। हालांकि बाइरैक का मुख्य कार्य नवाचार विचारों को लाने एवं रूपांतरण को जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों/तकनीकों में बदलने के लिए वित्तीय सहायता देना, अनुसंधान के सभी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना और सहभागिता के माध्यम से नवाचार के प्रचार को प्रोत्साहित करना है। विस्तृत विवरण प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट, संलग्नक 1 एवं 2

में दिए गए हैं।

ग. विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:-

दान के रूप में विदेशी मुद्रा अंतर्वाह	शून्य
विदेशी मुद्रा से बहिर्वाह	
क. पुस्तिका, पत्रिका और डाटाबेस अंशदान	USD 178, 383 & GBP 7,500
ख. कर्मचारियों द्वारा विदेश यात्रा	USD 1,450 & AUD 5,800
ग. उद्यमशीलता विकास	AUD 50,312
आयात का सीआईएफ मूल्य	शून्य

आभार

निदेशकगण लेखापरीक्षकों, बैंकों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए उनकी सराहना करते हैं। निदेशकगण कंपनी के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किए गए कठिन प्रयासों के लिए उनकी सराहना करते हैं।

कृते और बोर्ड की ओर से

प्रो. के. विजयराघवन

अध्यक्ष

दिनांक: 19 अगस्त, 2015

स्थान: नई दिल्ली

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

संलग्नक-1

वार्षिक प्रतिफल का सारांश

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में)

1. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

- (i) सीआईएन : U73100DL2012NPL233152
(ii) पंजीकरण तिथि : 20 मार्च, 2012
(iii) कम्पनी का नाम : जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद
(iv) कम्पनी की श्रेणी/उप-श्रेणी : शेयर द्वारा सेवक लिमिटेड कम्पनी (सरकारी कम्पनी)
(v) कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का पता और सम्पर्क विवरण : प्रथम तल, एमटीएनएल बिल्डिंग, 9, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, वेबसाइट www.birac.nic.in
Email : birac.dbt@nic.in फोन नं. +91-11-24389600
(vi) क्या सूचीबद्ध कम्पनी है हॉ/नहीं : नहीं
(vii) रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता एवं फोन नं. : स्काईकाइन फाइनेंसियल सर्विसेज प्रा. लि., डी-153ए, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020
सम्पर्क व्यक्ति: श्री वीरेन्द्र राणा

2. कम्पनी के प्रमुख व्यवसाय कार्यकलाप

सभी व्यवसाय कार्यकलाप कम्पनी के कुल कारोबार में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान दे रहे हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	मुख्य उत्पाद/सेवा का नाम व विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआइसी कोड	कम्पनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1	प्राकृतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी (एनएसई) पर अनुसंधान एवं प्रयोगात्मक विकास	73100	100:

3. होल्डिंग, सहायक एवं सम्बद्ध कम्पनियां

क्र.सं.	कम्पनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/सहायक/सम्बद्ध	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

4. शेयरधारिता पद्धति (कुल इकिवटी के प्रतिशत के रूप में इकिवटी शेयर पूँजी ब्रेकअप)

1. श्रेणीवार शेयरधारिता

शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं.				वर्ष की समाप्ति पर धारित शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान प्रतिशत बदलाव
	डिमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डिमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
व्यवितरण/एचयूएफ									
(ii) केन्द्र सरकार	लागू नहीं	10000	10000	100	लागू नहीं	10000	10000	100	लागू नहीं

शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं.				वर्ष की समाप्ति पर धारित शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान प्रतिशत बदलाव
	डिमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डिमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
(iii) राज्य सरकार
(iv) कॉर्पोरेट निकाय
(v) बैंक / वित्तीय संस्थान
(vi) कोई अन्य
उप योग (क) (1)	लागू नहीं	10000	10000	100	लागू नहीं	10000	10000	100	शून्य
(2) विदेशी
(क) एनआरआई—व्यक्तिगत
(ख) अन्य—व्यक्तिगत
(ग) कॉर्पोरेट निकाय
(घ) बैंक / वित्तीय संस्थान
ड) कोई अन्य
उप योग (क) (2)
प्रवर्तक (क) की कुल शेयरधारिता = (क)(1) + (क)(2)	लागू नहीं	10000	10000	100	लागू नहीं	10000	10000	100	शून्य
ख. सार्वजनिक शेयर धारिता
1. संस्थान
क) स्पूचुअल फंड
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान
ग) केन्द्र सरकार
घ) राज्य सरकार
ड) वेन्चर कैपिटल फंड
च) बीमा कंपनियां
छ) एफआईआई
ज) विदेशी वेन्चर कैपिटल फंड
झ) अन्य (विनिर्देशित)
उप योग (ख) (1)
2. गैर—संस्थान
क) कॉर्पोरेट निकाय
(i) भारतीय
(ii) विदेशी

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं.				वर्ष की समाप्ति पर धारित शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान प्रतिशत बदलाव
	डिमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डिमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
ख) व्यक्तिगत									
(i) व्यक्तिगत शेयरधारक रु. 1 लाख तक न्यून शेयर पूँजी धारक									
(ii) व्यक्तिगत शेयरधारक रु. 1 लाख से अधिक न्यून शेयर पूँजी धारक									
ग) अन्य (विनिर्देशित)									
उप योग (ख)(2)									
कुल शेयरधारिता (ख) = (ख)(1)+(ख)(2)									
जीडीआर एवं एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर									
कुल योग (क+ख+ग)	लागू नहीं	10000	10000	100	लागू नहीं	10000	10000	100	लागू नहीं

(2) प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयर धारिता में बदलाव का प्रतिशत
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में भारप्रस्त/अधिभारित शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में भारप्रस्त/अधिभारित शेयरों का प्रतिशत	
1	भारत के राष्ट्रपति	9000	90%	शून्य	9000	90%	शून्य	शून्य
2	प्रो. विजयराघवन, सचिव, डीबीटी एवं अध्यक्ष, बाइरैक (भारत के राष्ट्रपति की ओर से)	900	10%	शून्य	900	10%	शून्य	शून्य
3	डॉ. रेनू स्वरूप, एमडी, बाइरैक (भारत के राष्ट्रपति की ओर से)	100	1%	शून्य	100	1%	शून्य	शून्य
	कुल	10000	100	शून्य	10000	100%	शून्य	शून्य

(3) प्रवर्तक शेयरधारिता (कृपया विनिर्देशित करें) में परिवर्तन, यदि कोई परिवर्तन है तो)

	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान समेकित शेयरधारिता	
	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान प्रवर्तक शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का कारण बताते हुए तिथिवार वृद्धि/कमी (अर्थात् आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)				
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष की समाप्ति पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(4) शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारिता पद्धति (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर एवं एडीआर के धारकों के अलावा)

प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान समेकित शेयरधारिता	
	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान प्रवर्तक शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का कारण बताते हुए तिथिवार वृद्धि/कमी (अर्थात् आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)				
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष की समाप्ति पर (या पृथकरण की तिथि पर, यदि पृथकरण वर्ष के दौरान हुआ है तो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(5) निदेशकों और मुख्य प्रबंधन कार्मिकों की शेयरधारिता

(क) प्रो. के विजयराघवन, अध्यक्ष

प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान समेकित शेयरधारिता	
	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष के प्रारंभ में	900	9	900	9
वर्ष के दौरान प्रवर्तक शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का कारण बताते हुए तिथिवार वृद्धि/कमी (अर्थात् आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष की समाप्ति पर	900	9	900	9

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

(ख) डॉ. रेनू स्वरूप, प्रबंध निदेशक

	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता	वर्ष के दौरान समेकित शेयरधारिता		
प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के लिए	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष के प्रारंभ में	100	1	100	1
वर्ष के दौरान प्रवर्तक शेयरधारिता में वृद्धि/ कमी का कारण बताते हुए तिथिवार वृद्धि/ कमी (अर्थात् आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष की समाप्ति पर	100	1	100	1

(5) ऋणग्रस्तता

शेष ब्याज/भुगतान के लिए उपार्जित लेकिन देय नहीं सहित कम्पनी की ऋणग्रस्तता

	जमाराशियों को छोड़कर अप्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमाराशियों	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(1) मूल राशि				
(2) देय ब्याज लेकिन भुगतान न किया गया				
(3) उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं				
कुल (1+2+3)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता पर परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
• संयोजन				
• कटौती				
निवल परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्त वर्ष की समाप्ति पर ऋणग्रस्तता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(1) मूल राशि				
(2) देय ब्याज लेकिन भुगतान न किया गया				
(3) उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं				
कुल (1+2+3)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(6) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम	कुल राशि
		डॉ. रेनू स्वरूप, प्रबंध निदेशक
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ	लागू नहीं, उनके पास बाइरैक में प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार है
2.	स्टॉक विकल्प	

3.	स्वीट इविंगटी	
4.	कमीशन —लाभ का प्रतिशत —अन्य, विनिर्देशित	
5.	अन्य, कृपया विनिर्देशित करें	
	कुल (क)	
	अधिनियम के अनुसार सीमा	

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम				कुल राशि
		प्रो. अशोक झुनझुनवाला	प्रो. दीपक पेटल	डॉ. गगनदीप कांग	डॉ. दिनकर एम सालुंके	
1.	स्वतंत्र निदेशक बोर्ड समिति की बैठक में उपस्थिति के लिए शुल्क (5 बैठकें) • कमीशन • अन्य, कृपया विनिर्देशित करें • लेखापरीक्षा समिति (4 बैठकें) • स्वतंत्र निदेशक बैठक (1 बैठक)	35000 28000 7000	35000 28000 7000	35000 28000 7000	35000 28000 7000	140000 112000 28000
	कुल (1)	70000	70000	70000	70000	280000
2.	अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक	डॉ. मो. असलम (सरकारी नामिती)				
	• बोर्ड समिति की बैठक में उपस्थिति के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया विनिर्देशित करें	शून्य				
	कुल (2)	शून्य				
	कुल (ख) (1+2)	70000	70000	70000	70000	280000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	70000	70000	70000	70000	280000
	अधिनियम के अनुसार कुल सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा मुख्य प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

बाइरैक एक सरकारी कम्पनी होने के नाते प्रकटन से छूट



क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधन कार्मिक			
		सीईओ	कम्पनी सचिव	सीएफओ	कुल
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलक्ष्यों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ				

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

2.	स्टॉक विकल्प
3.	स्वीट इविवटी
4.	कमीशन —लाभ का प्रतिशत —अन्य, विनिर्देशित
5.	अन्य, कृपया विनिर्देशित करें
	कुल

7. उल्लंघनों का दंड/अर्थदण्ड/संयोजित

प्रकार	संक्षिप्त विवरण	लगाया गया दंड/ अर्थदंड/संयोजित शुल्क का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/ कोर्ट)	की गई अपील (विवरण दे)
क. कम्पनी				
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अर्थदंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संयोजित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. निदेशक				
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अर्थदंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संयोजित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी				
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अर्थदंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संयोजित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



प्रबंधन चर्चा
एवं
विश्लेषण रिपोर्ट

(2014–15 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का क्रमबद्ध भाग)

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

(2014–15 के लिए निदेशक की रिपोर्ट का क्रमबद्ध भाग)

1. औद्योगिक ढांचा एवं विकास

वैशिक जैव प्रौद्योगिकी उद्योग दुनिया के विकसित देशों, खासकर यूएसए के पूर्व और पश्चिम तट (मैसाचुसेट्स और केलिफोर्निया), यूके (कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और लंदन क्लस्टर्स), जर्मनी (विशेषतः म्यूनिख क्लस्टर), स्विट्जरलैंड, नॉर्डिक यूरोप (फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन), जापान और इजराइल, में केन्द्रीकृत है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग, खासकर उत्पाद विकास साइकिल के संबंध में, यानि 7 से 12 वर्ष तक का गर्भकाल और उत्पाद विकास की स्थिति, खासकर क्लिनिकल और फील्ड ट्रायल्स में असफलता की दर में अंतर्निहित जोखिम आदि में चुनौतियों का सामना कर रहा है। लंबा गर्भकाल जैव प्रौद्योगिकी इन्नोवेशन में निजी पूंजी निवेशकों की रुचि को कम कर देता है।

ग्लोबल डाटा बताता है कि 2014 में जैव प्रौद्योगिकी फर्मों द्वारा अर्जित कुल राजस्व 124 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचा और 94 अमेरिकी और यूरोपियन जैवप्रौद्योगिकी कंपनियों के 2014 में आईपीओ थे।

भारतीय संदर्भ में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग छोटा लेकिन तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों का 2013 में बायोफार्मा (बायोसिमिलर्स व वैक्सीन्स सहित) के साथ कुल रेवेन्यू 5 बिलियन यूएस डॉलर था जो रेवेन्यूज में 60 प्रतिशत का योगदान देता था, वहीं 18 प्रतिशत भागीदारी के साथ बायोसर्विसेज और 13 प्रतिशत भागीदारी के साथ कषि—जैवप्रौद्योगिकी इस उद्योग के अन्य महत्वपूर्ण खंड हैं। औद्योगिक जैवप्रौद्योगिकी खंड राजस्व का एक प्रतिशत है। यह एशिया पैसेफिक क्षेत्र का लगभग 25 प्रतिशत है और वैशिक बाजार के 2 प्रतिशत से भी कम है। फिर भी यहां विकास के लिए काफी संभावना है—भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग 2003 से प्रतिवर्ष औसतन 20 प्रतिशत बढ़ रहा है, 2003 में यह 500 मिलियन यूएस डॉलर था, जो 2014 में बढ़कर 6 से 7 अमेरिकी बिलियन डॉलर (भारतीय रूपए और डॉलर की विनिमय दरों पर निर्भर) हो गया है। यदि अन्य संबंधित बातों (नियमन, व्यवसाय आसान करना और पूंजी तक पहुंच) पर ध्यान दिया जाए तो उद्योग हर साल करीब 30 प्रतिशत बढ़ सकता है। भारत के पास विश्व की एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था बनने का अवसर है।

पिछले 3 सालों में बाइरैक ने जैव प्रौद्योगिकी ईकोसिस्टम में महत्वपूर्ण परिवर्तनों में सहयोग किया है, जो कि भविष्य में विकास के लिए ईंधन का काम कर सकता है। आरंभिक चरण में पूंजी तक पहुंच, खासकर शुरुआती सीड मनी जो कि अब उपलब्ध है, ने देश में जैवप्रौद्योगिकी स्टार्टअप को ऐड लगा दी है। बाइरैक के बड़े कार्यक्रम जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स के विकास को प्रोत्साहित करने में काफी मददगार रहे हैं, इसके अलावा कई बायोइन्क्यूबेटर्स उपरोक्त जिक्र की गई अवधि में परिचालन में आई हैं और बाइरैक का बायोइन्क्यूबेशन कार्यक्रम देश में 15 बायोइन्क्यूबेशन सुविधाओं के विकास की प्रमुख कुंजी रहा है। खासकर बाइरैक के माध्यम से होने वाली फंडिंग (इसकी फ्लैगशिप एसबीआईआरआई और बीआईपीपी के द्वारा) उत्पादों की वैधता, मानकता और व्यावसायीकरण में बेहद उपयोगी रही है। पिछले 3 वर्षों में कई वेंचर कैपिटल, बायोटेक / हेल्थकेयर उत्प्रेरक और आरंभिक चरण के निधिपोषक भारत में सक्रिय हुए हैं, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास में योगदान दे रहे हैं।

भारत में, खासकर बंगलौर में कई बायोक्लस्टर्स आकार ले रहे हैं, जो सबसे बड़े भारतीय बायोक्लस्टर्स बने हुए हैं और इसके बाद हैदराबाद है। हालांकि एनसीआर—दिल्ली, चेन्नई, पुणे बायोक्लस्टर्स में तेजी से विकसित हो रहे हैं, और भुवनेश्वर व कल्याणी भी बायोक्लस्टर्स में उभरते हुए क्षेत्र हैं।

यदि सही तत्वों को एक साथ लाकर जोड़ दिया जाए तो भारतीय जैवप्रौद्योगिकी उद्योग और भी अधिक विकसित होने के लिए तैयार है। इसके बड़ी फंडिंग, मार्गदर्शन और नए नेटवर्क बनाने की जरूरत है और बाइरैक को निधिपोषक, उत्प्रेरक और कनेक्टर की भूमिका को निभाने की जरूरत है।

2. ताकत व कमजोरियां

भारत में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग को सशक्त और सक्षम, खासकर ऐसी वैशिक जैव अर्थव्यवस्था, जो नवाचार से संचालित होगी, बनाने में बाइरैक की रणनीति और आदेशापत्र अर्थिक लहरों, वैशिक और राष्ट्रीय दोनों, से प्रभावित होगी, जो देश की वृहत् अर्थव्यवस्था पर असर डालेगी।

बाइरैक की कार्यान्वयन नीति फंडिंग, मार्गदर्शन और

नेटवर्क पर केंद्रित है, जो ईकोसिस्टम के महत्वपूर्ण तत्व हैं। हालांकि एक और महत्वपूर्ण घटक जो बदलते हुए क्षेत्र के परिदृश्य की व्याख्या करता है, रेगुलेटरी लैंडस्केप है। बाइरैक, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से, संबंधित एजेंसियों के साथ इंडस्ट्री इनपुट्स को आगे लाने और भारतीय नियामक वातावरण, चाहे वह बायोफार्मा के लिए हो या मेडिटेक या कृषि के लिए हो, को सरलीकरण करने और सकारात्मक साक्ष्यों पर आधारित नियामक बदलावों जैसे कि पूरे उद्योग के सामने आते हुए सकारात्मक प्रभावों पर सुझावों के लिए काफी काम कर रहा है। बाइरैक वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे बदलावों और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ परिष्कृत नियमन की आवश्यकता से संबंधित सूचनाएं नियामक एजेंसियों तक पहुंचाने में सकारात्मक भूमिका निभाएगा।

बाइरैक को एक और व्यवस्थागत बाधा पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, वह है स्टेकहोल्डरों की सोच को बदलना, खासकर कि एकेडेमिक और इंडस्ट्री में कैसे नवाचार के ये दो स्तम्भ हाथ मिलाकर, सहयोग कर और शोध व विकास को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों में बदल सकते हैं।

एक और मुद्दा जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, वह है संचार, नवाचार और समाज पर इसका प्रभाव का विज्ञान जैसे कि नेशनल नवाचार फंडिंग के मामलों में पब्लिक फंडिंग की जरूरत का लगातार बढ़ना। बीआईआरएसी 2015–16 में एक सुनियोजित संचार रणनीति पर ध्यान केंद्रित करेगा।

3. जोखिम और संचालन

राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास नीति 2007 में भारत सरकार द्वारा घोषित पहले अमल में है। इस नीति का आधार सहक्रिया के विस्तार के लिए पूरे क्षेत्र में विषयों के बीच सामंजस्य और संपर्क बनाने तथा विविधतापूर्ण कौशलों को एक साथ लाने पर ध्यान केंद्रित करना था। आर एंड डी, निवेश पूंजी का सृजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अवशोषण और प्रसार, बौद्धिक संपदा प्रशासन, नियमन मानक और प्रमाणन, विज्ञान और नवाचार के लिए पहले से तैयार मानव पूंजी और जनता में जैवप्रौद्योगिकी की समझ विकसित करने जैसी चुनौतियों का सामना करने की कोशिश इस नीति में निहित है।

भारत में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा सामना की जा रही

चुनौतियों में से कुछ हैं—उद्योग में यूनिवर्सिटी प्रतिभाओं का उचित और प्रासंगिक उपयोग। इस बिंदु पर सबसे बड़ी जरूरत पाठ्यक्रम सामग्री और प्रशिक्षण कर्मियों में सही आकार और सही दक्षता में संतुलन बनाना है ताकि छात्रों की एक नियुक्तियोग्य संख्या तैयार की जा सके। अनुसंधान विचारों को व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक परियोजनाओं में अनुदित करना, चुनौती का एक और क्षेत्र रहा है, क्योंकि हमारे ज्यादातर शैक्षणिक व शोध संस्थान नवाचार और अनुवादात्मक अनुसंधान का दायित्व लेने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। एक अन्य चिंता सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक विकासोनुभव पारिस्थितिकीय व्यवस्था है। कंपनियों के लिए जो तरह एक रेवेन्यू मॉडल के साथ पूरी रिसर्च या 7 से 8 साल के समयांतराल वाली प्रौद्योगिकी पर ध्यान देती हैं, एन्जेल निवेश के लिए अभी भी उस मानक पर नहीं हैं, जिसकी आवश्यकता है। इसलिए ज्यादातर संस्थाएं जो अर्ली स्टेज फंडिंग पर ध्यान देती हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

4. उत्पाद विकास के लिए खोज को सहयोग

बाइरैक मुख्य सामाजिक क्षेत्रों में वहनीय नवाचार को प्रोत्साहित करने के अपने उद्देश्यों को पूरा करने के एक हिस्से के तौर पर अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स/इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे जैव प्रौद्योगिकी के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में खोज से लेकर उत्पाद विकास तक, नवाचार रिसर्च के लिए सहयोग उपलब्ध कराता है। हैल्थकेअर दवाओं (ड्रग्स की डिलीवरी सहित), बायोसिमिलर्स (पुनरोत्पादक दवाओं सहित), वैक्सींस/विलिनिकल ट्रायल और उपकरण/डायग्नोस्टिक्स के क्षेत्र को कवर करता है, जबकि एग्रीकल्चर मार्कर असिस्टेड सलेक्शन (एमएएस), आरएनएआई, ट्रांसजेनिक्स एवं मिट्टी के संरक्षण तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग उत्पाद/प्रक्रिया एवं द्वितीयक कृषि को कवर करता है। वर्ष के दौरान सहायताप्राप्त 361 स्टार्ट-अप, लघु एवं मध्यम उद्योगों और युवा उद्यमियों ने वर्ष 2014–15 के दौरान इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की और पांच उत्पादों/प्रौद्योगिकियों, पांच प्रारंभिक चरण प्रौद्योगिकियों और पांच पेटेंट आवेदनों को सुपुर्द किया गया।

4.1 बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट (बीआईजी): “जैव प्रौद्योगिकी इन्नोवेशन में ग्रीन शूट्स प्लाट करना”

बाइरैक का विश्वास है कि देश की बायो- इन्नोवेशन केपिटल ऐसे बेहतर आइडिया से आएगी, जिनमें व्यावसायिक संभावनाएं हैं और जो रसार्ट-अप या एकेडेमिक स्पिन-ऑफ्स से विकिसत होते हैं। इसी लिए बाइरैक की रणनीति है कि ऐसे असंख्य रोचक आइडियाज को सहयोग दिया जाए, जिन्हें फंडिंग और मार्गदर्शन की अत्याधिक आवश्यकता है। यह रणनीति, एक सीड ग्रांट फंडिंग स्कीम, जिसे बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट (बिग) कहा गया है और जो उद्यमशील व्यक्तियों, वैज्ञानिक उद्यमियों, एकेडेमिया और स्टार्ट-अप्स के लिए उपलब्ध है, के माध्यम से पूरी की जाएगी। यह सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक को या तो एक इन्क्यूबेटी होना चाहिए या फिर एक सुचारू शोध व विकास प्रयोगशाला के साथ एक पंजीकृत कंपनी होना चाहिए। इस योजना की रचना डिस्कवरी और इन्वेन्शन के बीच के अंतर को पाठने के लिए बहुत आरंभिक अवस्था में सहायता उपलब्ध कराते हुए शोध खोजों के व्यवसायीकरण को उत्प्रेरित करना है।



श्रवण असमर्थता के लिए नवजात शिशु की जांच के लिए नॉनइन्वेजिव सुरक्षित प्रौद्योगिकी: सोहम इन्नोवेशंस

बीआईजी योजना का उद्देश्य व्यावसायिक संभावनाओं वाले आईडियाज की जेनरेशन को पोषण प्रदान करना और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज तक फंडिंग सपोर्ट उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत साल में दो बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के एक हिस्से के तौर पर सफल बीआईजी इन्नोवर्स व्यावसायिक संभावनाओं वाली अनुसंधान परियोजनाओं के लिए, 18 माह तक की अवधि के साथ ₹. 50 लाख रुपयों (करीब 100 हजार डॉलर) तक की राशि प्राप्त करते हैं।

बीआईजी कार्यक्रम ने भारत में एक बायोटेक स्टार्ट-अप संस्कृति को अंकुरित किया है और अभी तक छह बार प्रस्ताव बुलाए जाने की घोषणाएं की गई हैं। इन छह आमंत्रणों में भारत भर के 154 उद्यमियों को सहायता प्रदान की गई और इसकी व्यवस्था देश भर के 5 बिग पार्टनर्स, जैसे कि आईकोपी नॉलिज पार्क, हैदराबाद, सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मालिक्यूलररीस प्लेटफॉर्म्स (सी-कैप्प), बंगलौर, फाउंडेशन फॉर इन्नोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांस्फर (एफआईटी), नई दिल्ली, केआईआईटी टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर, भुवनेश्वर और वैंचर सेंटर (उद्यमशीलता विकास केंद्र), पुणे के माध्यम से की गई, जो मार्गदर्शन, निगरानी, नेटवर्किंग और अन्य व्यवसाय विकास संबंधी गतिविधियां उपलब्ध कराने के लिए इग्निशन ग्रांटीज (बिग इन्नोवेटर्स) के साथ काम करते हैं।



इंट्राओसियस डिवाइस: श्री जयंत एस कर्वे

ये पांच बीआईजी भागीदार न सिर्फ कार्यक्रम के कार्यालय करते हैं, बल्कि तकनीकी और व्यवसाय संबंधित विषयों में बीआईजी ग्रांटीज के अग्रसक्रिय मार्गदर्शक भी हैं।



बीआईजी पार्टनर्स, बीआईजी इनोवेटर्स के लिए, आईपी प्रबंधन, कानून और अनुबंध संबंधी गतिविधियों के लिए मार्गदर्शन व कंधे से कंधा मिलाकर चलना, बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट (बीआईजी इनोवेटर्स) के सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए संसाधनों का संचालन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां, बीआईजी इनोवेटर्स के लिए कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/मार्गदर्शन सत्र आयोजित करने, वरिष्ठ विशेषज्ञों व

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

अन्य एकेडेमिक पार्टनर्स के साथ चर्चा सत्र के लिए मंच उपलब्ध कराना और चुनी हुई परियोजनाओं के पूरा होने से पहले एक एकल मार्गदर्शन सत्र या प्रीग्रेज्युएशन समारोह का आयोजन जैसे कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं।

बीआईजी आमंत्रण 1–4 से प्राप्त डाटा से खुलासा होता है कि 22 व्यक्तियों ने स्टार्ट-अप स्थापित की, बीआईजी के माध्यम से सुजित रोजगार 231 था, 20 आईपी जेनरेटेड और 18 महिला उद्यमियों को सहायता दी गई।



सहायता के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण लीड्स हैं:

- | टीबी का पता लगाने के लिए एक एप्टामेर आधारित प्लेटफॉर्म का विकास
- | जख्मों के उपचार और अन्य उपयोगों के लिए मॉड्यूलर रेसिलिन मिनमेटिक इल्स्टोमेरिक प्लेटफॉर्म
- | मदिरा बनाने के लिए आम के गूदे का एजेंमेटिक मैसरेशन
- | एक नोवल कैंसर औषधि जांच पद्धति के लिए औद्योगिक अनुप्रयोग
- | परिष्कृत जैव-चिकित्सिकीयता के लिए सीएचओ एस सेल लाइन में फ्यूकोस नॉकआउट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का विकास
- | मल्टी ड्रग प्रतिरोध संक्रमण के उपचार के लिए डीएनए गिराज के नोवल इनहिबिटर्स.
- | टाइप 2 डायबिटीज के लिए एंटिसाइकोटिक ए-ऑक्साइड मेटाबोलाइट का फार्मकोलॉजिकल मूल्यांकन
- | नोवल ऑन्कोथेरेपेटिक मीजल्स वायरस, ईसेम सिस्टम यूज करना

| फेटल ईसीजी व यूटेराइन एक्टिविटी साइना; मैटर्नल ईसीजी से एक्स्ट्रैक्ट कर पारंपरिक ट्रांस्ड्युसर्स के उपयोग की जरूरत को घटाना।

बहुत से बिंग ग्रांटीज ने अब या तो बाइरैक के या अन्य एजेंसियों, जिनमें अलई स्टेज वैंचर कैपटलिस्ट्स और एंजेल फंडिंग भी शामिल है, के माध्यम से फॉलो ऑन फंडिंग प्राप्त करना आरंभ कर दिया है।

पिछले दो वर्षों में कई हेल्थकेअर केंद्रित उत्प्रेरक भारत में सक्रिय रहे हैं जिनका उद्देश्य उभरते हुए स्टार्ट-अप को फंड करना था। बायोटेक परिदृश्य में इन उत्प्रेरकों और अर्ली स्टेज एंजेल फंडर्स की गतिविधियों को समझने के लिए बाइरैक ने जीवविज्ञान उत्प्रेरकों के साथ दिसंबर 2014 में एक फोकर्स राउंडबेल का आयोजन किया। क्रियाशील उत्प्रेरकों के मॉडल, यूएस, यूके और इजराइल जैसे देशों में खासकर सरकार के साथ भागीदारी में, इन्नोवेशन के अंकुरण में उनकी भूमिका पर चर्चा की गई।

4.2 स्माल बिजनेस इन्नोवेशन रिसर्च इनिशिएटिव्स (एसबीआईआरआई)

एसबीआईआरआई उत्पादों के विकास और प्रक्रियाओं में, जिनमें अत्याधिक सामाजिक प्रासंगिकता है, लघु और मंझोले आकार की कंपनियों को शामिल करने के लिए, उनमें अति जोखिम इन्नोवेटिव शोध को सहयोग प्रदान करता है। इस योजना को डीबीटी द्वारा 2005 में पेश किया गया था और वर्तमान में यह बाइरैक द्वारा प्रबंध की जाती है। इस योजना से सर्वाधिक फंडिंग सहायता हेल्थकेअर और इसके बाद औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई। मार्च 2015 तक 86 परियोजनाएं चल रही थीं, जिनमें 26 सहपरियोजनाओं के रूप में थीं। 2014–15 के दौरान तीन आमंत्रणों की घोषणा की गई और 33 नई परियोजनाओं को फंडिंग स्वीकृत की गई, जिसमें रु. 16.77 करोड़ रुपए बीआईआरएसी योगदान और रु. 16.30 करोड़ की सहायता कंपनी योगदान के रूप में थी।

2014–15 के दौरान इस योजना के अंतर्गत सहायताप्राप्त परियोजनाओं से चार प्रौद्योगिकियां विकसित की गई, ये हैं:

- | मनुष्यों में मलेरिया एंटीजेन (संक्रमण) की गुणवत्तायुक्त पहचान के लिए एक त्वरित जांच। यह जांच बेहद संवेदनशील है और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम की अन्य किस्मों में भेद कर सकता है।

- i कृषि के क्षेत्र में, टमाटर की उच्च उपज वाली किस्म से लाइकोपीन, एक फिटोन्यूट्रिएंट, को अलग करने वाली एक प्रौद्योगिकी विकसित की जा चुकी है। यह प्रौद्योगिकी 2 टन प्रति घंटे क्रश करने की क्षमता के साथ प्रतिदिन 24 किलो लाइकोपीन उत्पादन करने के लिए वैधता प्राप्त कर चुकी है।
- i औद्योगिक जैवप्रौद्योगिकी के मोर्चे पर एक ई-कोली के 12 स्ट्रेन जो औद्योगिक और चिकित्सकीय महत्व वाले रिकॉम्बिनेंट प्रोटीनों की एक विविधता को स्नावित करता है, कल्वर मीडियम में विकसित किया गया। प्रौद्योगिकी सुविधाएं परिशोधन को सरल करती हैं, इसलिए प्रोसेसिंग और उत्पाद की लागत घटती है।
- i एक और शोध अध्ययन जिसका परिणाम डेक्स्ट्रानेस (30000 डीयू/ ग्राम) के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के रूप में सामने है, जिसमें देश में पहली बार ठोस अवस्था वाले खमीर (फर्मेटेशन) का प्रयोग किया गया। निर्मित डेक्स्ट्रानेस गन्ते की चीनी के उत्पादन की प्रक्रिया में डेक्स्ट्रन को करीब 50 प्रतिशत कम कर देता है।



इस योजना ने अतिरिक्त वैधता के लिए दो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स की जेनरेशन को भी सक्षम किया हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:

- i सोलिड स्टेट खमीर द्वारा एंटोमोपैथेजेनिक नेमाटोड 'नीमापॉवर' का उत्पादन, जो आर्किया नट में रूट ग्रेस के प्रबंधन में उपयोगी पाया गया है।
- i टाईप-|| डायबिटीज के उपचार में एक अनोखी अवधारणा का विकास, जैसे एंटीसाकोटिक ड्रग्स के एन-ऑक्साइड्स का उपयोग बीटा पैनक्रिएटिक कोशिकाओं में इंसूलिन के साव को प्रोत्साहित करने में किया जाएगा।



शिम्प, एरिस्टोजेन में वाइब्रिओ हार्वे का बैक्टीरियोफेज आधारित नियंत्रण


4.3 जैवप्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम (बीआईपीपी)

बीआईपीपी, एक आधुनिक प्रौद्योगिकी योजना, स्टार्टअप्स, एसएमईज और अन्य बायोटेक कंपनियों को, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स से उत्पाद के व्यावसायकीकरण की ओर ले जाने वाले वैलिडेशन तक, कॉस्ट शेयरिंग आधार पर उच्च जोखिम, परिवर्तक प्रौद्योगिकी/ प्रक्रिया विकास के लिए सहायता उपलब्ध कराती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत ; 51 प्रतिशत भारतीय हिस्सेदारी वाली और डीएसआईआर से मान्यताप्राप्त भारतीय बायोटेक कंपनिया, स्वतंत्र रूप से अथवा कंपनियों, नॉन फॉर प्राफिट संस्थाओं या शैक्षणिक भागीदारों की सहभागिता में, बीआईपीपी के लिए पात्र हैं।

अब तक 108 कंपनियों के साथ 134 अनुबंध साझन किए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 60 स्टार्टअप व एसएमईज सम्मिलित हैं। कुल ₹.894.23 करोड़ रुपए का निवेश (जिसमें बीआईआरएसी और कंपनी का योगदान शामिल है) भारत सरकार द्वारा ₹.345.29 करोड़ रुपए और ₹.548.93 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र के योगदान के रूप में के लिए स्वीकृत हुआ है।

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

मार्च 2015 तक, 64 परियोजनाएं जारी थीं, जिनमें 20 सहभागिता वाली थीं। 2014–15 के दौरान 3 सामान्य और एक विशेष आमंत्रिण की घोषणा हुई। बीआईआरएसी के रु.12.36 करोड़ रुपए के योगदान और रु.12.70 करोड़ रुपए के कंपनी योगदान के साथ 13 नए प्रस्ताव पिछले वित्त-वर्ष में स्वीकृत किए गए।



2014–15 के दौरान, बीआईपीपी योजना के अंतर्गत सहायताप्राप्त कंपनियों द्वारा तीन राष्ट्रीय पेटेंट्स फाइल किए गए। इनमें एक लिंगोसेल्युलोसिक बायोमास के एफिशिएंट एन्जिमेटिक हायड्रोलाइझिस के लिए पद्धति के विकास से संबंधित था, वहीं दूसरा परक्यूटेनियस एओर्टिक वाल्व और इसके इम्प्लान्टेशन से संबंधित था।

एक बीआईपीपी योजना के अंतर्गत, सेलेस्टियल बायोलॉजिकल्स लिमिटेड, अहमदाबाद ने 95 प्रतिशत की शुद्धता के साथ 2500 के मानक पर एल्ब्युमिन और आईवीआईजी उत्पाद के लिए एक प्रक्रिया विकसित की। इसने ट्रेड नाम एल्ब्युसेल और ग्लोब्युसेल के अंतर्गत बाजार में दो उत्पाद भी पेश किए।

एक और परियोजना तेरजेन बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड ने एक अफोर्डेबल एशियापैसेफिक 15–वैलेंट न्यूमोकोक्कल वैक्सीन, जो कि उपलब्ध 13–वैलेंट स्ट्रिफ़स वैक्सीन की तुलना में एक इम्युनोजेनिसिटी से युक्त है, के लिए प्रीविलिनिक स्टडी पूर्ण की और यह फॉर्म्युलेशन विलनिक ट्रॉयल के लिए उपलब्ध है।

अन्य संभावनाओं से भरी प्रौद्योगिकियां / उत्पाद, जो बीआईपीपी सहायता के माध्यम से विकास के विभिन्न चरणों पर हैं:

- | प्रभावशाली सीपीआर (कार्डियोपुलिमोनेरी रिससाइटेशन) के लिए अफोर्डेबल मैनेकिन प्रशिक्षण।

- | बैलून कैथेटर का विकास व उत्पादन
- | एनजीएस डाटा विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर
- | पॉलीसियालिलेटेड एरिथ्रोपोइटिन का विलनिकल ट्रायल्स
- | पॉइंट ऑफ केअर लोकेशंस पर सीडी4 सेल कार्डिंग के लिए फलो एनेलाइजर



बैलून कैटहीटर विनिर्माण सुविधा



माइक्रोफ्लूटिक फलो एनालाइजर

विकसित किए गए प्रोटोटाइप्स

1. बैलून कैथेटर



कैथोराइजेशन प्रक्रिया के दौरान उपयोगी और पीसीआई प्रक्रिया के दौरान बैलून की बेहतर विजिबिलिटी के लिए एक टेपर्ड रेडियो ओपेक्यू टिप के साथ।

2. नोवेल पोर्टबल ईईजी प्रणाली



एपिलिप्सी, स्लीप डिसऑर्डर्स, कोमा, एनसेफलपेथीज और ब्रेन डेथ के डायग्नोस्टिक्स के लिए उपयोगी, रिसर्च और डायग्नोस्टिक्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण उपकरण।

3. माइक्रोफ्लूडिक बेस्ड फलो एनेलाइजर



विभिन्न डिसऑर्डर्स के लिए, मुख्यतः पॉइंट ऑफ केंद्र लोकेशंस पर एचआईटी / एडस में सीडी४ / सीडी८ सेल कार्जटिंग के माध्यम से इम्पून रिस्पॉन्स मॉनिटरिंग के लिए प्रौद्योगिकी

4. अफोर्डेबल सीपीआर मैनेजिंग




प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए सीपीआर कक्षाओं में रिक्ल प्रैविट्स के लिए उपयोगी और नॉन-लिनेअर के साथ वैरिएबल कम्प्लिएंस प्रौद्योगिकी

बाइरैक कृषि में उत्पादकता, पोषण, बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और एबेटोटिक स्ट्रेस से मुकाबले के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को भी प्रोत्साहित करता है। यह सहायता चावल, मक्का, टमाटर, सरसो, अरहर, भिंडी जैसी फसलों में फंफूद कीट, इन्सेक्ट और कृषि जैसे बायोटिक स्ट्रेस के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त करने के लिए मार्कर असिस्टेड सलेक्शन के क्षेत्र में परियोजनाओं तक विस्तारित है। सहायताप्राप्त परियोजनाओं में से अधिकतर वैधता और उत्पाद विकास के चरण में है।

फंडिंग सहायता को भी बायोटिक स्ट्रेस के विरुद्ध भिंडी और टमाटर जैसी फसलों में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स के जेनेरेशन के लिए आरएनएआई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाली परियोजनाओं तक विस्तारित किया जा चुका है। उत्पाद विकास के लिए लाए जाने वाले विनियमन ट्रायल्स को भी मुख्यतः ब्रासिस्का जुनरेशन के लिए सहायता दी गई। कम इरुसिस एसिड और लो ग्लुकोजिनोलेट कंटेंट वाली पोषक परिष्कृत सरसो के विकास और ब्लास्ट

रोधी चावल की हायब्रिड / वैरायटी के लिए मार्कर असिस्टेड चयन का उपयोग किया गया।



भिंडी लाइन्स के लिए रिजेनेरेशन और ट्रांस्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स

कृषि में अग्रणी प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने के लिए सॉयल हेत्थ मैनेजमेंट भी बाइरैक अधिदेश का एक हिस्सा है और कीटनाशक के रूप में जिंक और सिलिका के नैनो-फॉर्म्युलेशंस के उपयोग के लिए परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है।

नेक्स्ट जेनेरेशन सीक्वेंसिंग (एनजीएस) सुइट: सॅनजेनिक्स को बाइरैक फंडिंग के माध्यम से विकसित किया गया है। सॅनजेनिक्स को नेक्स्ट जेनेरेशन सीक्वेंसिंग (एनजीएस) डाटा प्राइमरी, सेकंडरी और टेरिटरी एनेलेसिस के लिए डिजाइन किया गया है। यह सुइट एनएसजी डाटा के समेकित विश्लेषण के लिए एक पूर्वनिर्धारित और कस्टम वर्कफ्लोज के साथ एक मापनीय और उपयोगकर्ता अनुकूल समाधान प्रस्तुत करता है। सॅनजेनिक्स डाटा विश्लेषण से जुड़ी सभी बहुस्तरीय प्रक्रियाओं को स्वचालित

करता है और एक वहनीय व उपयोगकर्ता अनुकूल प्रारूप में अंतिम परिणाम प्रस्तुत करता है। यह सुईट इलुमिना, सोलिड, आईओएन टोरेंट, 454 और पैक बायो जैसे सभी प्रमुख एनजीएस प्लेटफॉर्मों को सपोर्ट करता है। सॅनजेनिक्स का बेहद इंटरेविटव डेशबोर्ड है, जो डाटा पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट के लिए एक सहज मार्ग उपलब्ध कराता है।



प्रोटीन थिरेपैटिक्स एवं पेप्टाइड के लिए एकीकृत सुविधाएँ: प्रोटीन थिरेपैटिक्स एवं पेप्टाइड के हाई एंड स्ट्रक्चरल एवं कार्यात्मक वर्गीकरण को सम्पादित करने के लिए 49 वर्ग मी. क्षेत्र में डेडीकेटेड फैसिलिटी विकसित की गई है। विभिन्न उपकरणों जैसे मास स्पेक्ट्रोमीटर, यूपीएलसी, माइनस 80 एवं माइनस 20 फ्रिजर्स, कंडेन्टरिटी मीटर, पीएच मीटर नाप तौल मशीन, सीडी स्पेक्ट्रोमीटर, यूवी, फ्लोरोसेंट रीडर एवं रेफ्रिजिरेटिड सेन्ट्रीफ्यूज को खरीदा एवं स्थापित किया गया है। दी जाने वाली सेवाओं में एन-टर्मिनल सारणीबद्धता, कैपेलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, विश्लेषण गात्मक वर्गीकरण, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, प्रोटीन स्ट्रक्चरल एवं स्टेबिलिटी एनालाइसिस और ग्लाइकॉन प्रोफाइन वर्गीकरण शामिल हैं। शिक्षा एवं उद्योग क्षेत्र को विभिन्न मूल्यों पर सेवाएं दी जा रही हैं।



4.4 अनुबंध अनुसंधान योजना (सीआरएस)

सीआरएस, उत्पाद विकास की दिशा में अनुवादात्मक अनुसंधान की शैक्षणिक दक्षताएं प्रदान करने की संगत योजना के रूप में नवाचार पर लागू होता है। यह अनुवादात्मक अनुसंधान एवं उत्पाद विकास के वाणिज्यीकरण के लिए उद्योग में शिक्षा क्षेत्र को शामिल करने को सक्षम बनाता है। शैक्षणिक के साथ-साथ औद्योगिक भागीदार दोनों को अनुदान के रूप में निधियां दी गई हैं। शैक्षणिक क्षेत्र के लिए इन-हाउस अनुसंधान के लिए निधि दी जाती है जो परिकल्पना प्रमाण की वैधता होती है जबकि आद्योगिक भागीदारों के लिए यह वैधता के लिए प्रदान की जाती है। आईपी अधिकार शिक्षा क्षेत्र के पास होते हैं। औद्योगिक भागीदार के पास नये आईपी के वाणिज्यिक शोषण को रोकने का पहला अधिकार है। सीआरएस के तहत, बाइरैक शिक्षा क्षेत्र द्वारा उद्योग को प्रचालन स्वतंत्रता (एफटीओ) खोज, आईपी प्रबंधन, सामग्री स्थानांतरण समझौता (एमटीए), समझौता ज्ञापन (एमओयू) और तकनीक हस्तांतरण में सुगम बनाता है।

2012 में शुरू की गई यह योजना जैव प्रौद्योगिकी के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाओं को निधि प्रदान करती है। 31 मार्च, 2015 तक प्रस्तावों के लिए सात कॉल घोषित की गई थी जिसमें से 15 शिक्षा क्षेत्र और 13 उद्योग भागीदारों को 13 प्रस्तावों के लिए रु. 13.48 करोड़ को अनुदान अनुमोदित किया गया था।

सीआरएस की सहायता से विकास के अधीन कुछ

महत्वपूर्ण तकनीकों/उत्पादों में शामिल हैं:

- | प्लाजमोडियम वाइवैक्स के लिए रिकम्बीनेट वैक्सीन
- | बायोरिएक्टर सिस्टम के माध्यम से लाखकेस का उत्पादन
- | जिनोम वाइड एसएनपी का प्रयोग कर कॉस्टर में लिंकेज मैप का विकास



प्लाजमोडियम वाइवैक्स डुफी बाइंडिंग प्रोटीन एंटीजन

4.5 उत्पादों के लिए सामाजिक नवाचार कार्यक्रम : सामाजिक स्वास्थ्य के लिए वहनीय एवं उपयुक्त (स्पर्श)

समाज की गहन समस्याओं का नवाचार समाधान पाने के लिए यह कार्यक्रम 15 अगस्त 2013 को प्रारंभ किया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे विचारों एवं नवाचार को आगे बढ़ाना था जो सभी भारतीयों के स्वास्थ्य देखभाल में सुधार एवं समाज में वहनीय उत्पाद उपलब्ध करा सकें। स्पर्श के पहले दो कॉल यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 4 एवं 5 अर्थात् शिशु मृत्युदर घटाना एवं मातृत्व स्वास्थ्य को सुधारने से जुड़े थे।

यह योजना सोशियल इनोवेशन इमरशन प्रोग्राम (एसआईआईपी) के माध्यम से सामाजिक नवाचारकों के लिए एक मंच भी प्रदान कर रही है जो स्वास्थ्य क्षेत्र में विशिष्ट जरूरतों एवं कमियों की पहचान करता है। एसआईआईपी को चार इन्क्यूबेशन सहभागियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है जो नवाचारकों को ग्रामीण एवं नैदानिक इमरशन सुविधाएं प्रदान करता है।

ये चार भागीदार हैं:



बाइरैक इमरशन प्रोग्राम के लिए रु. 254.5 लाख के लिए प्रतिबद्ध है। एसआईआईपी भागीदारों ने इमरशन के लिए 15 सामाजिक नवाचारकों को नियुक्त किया है। इन नवाचारकों को ग्रामीण इमरशन एवं नैदानिक कार्यों में दक्षता प्रदान की जाती है। ये प्रणालीगत निदान एवं समुदाय विश्लेषण, जरूरी आंकलन, सही एवं वहनीय तकनीकी विकास की निगरानी करते हैं। सामाजिक नवाचारक 2-3 विचारों पर विस्तृत दस्तावेजों के साथ शामिल होंगे जिसमें से एक प्रोटोटाइप विकास में सहायता करेगा।

बाइरैक सामाजिक नवाचारकों से निवेशकों के व्यवसाय योजना की तह तक पहुंचने या आगे की कार्रवाई के लिए उपयुक्त कुछ प्रारंभिक परिणामों के साथ अग्रिम प्रस्तावों की आशा करता है।

वहनीय विकास के अधिदेश के अंतर्गत स्पर्श ने पिछले दो वर्षों के दौरान दो कॉल के माध्यम से सात व्यक्तियों एवं दस कंपनियों को सहायता प्रदान की है। सीड निधि के रूप में लगभग रु. 695 लाख एवं पूर्व रूपांतरण के लिए रु. 113 लाख की निधि निश्चित की गई है।

स्पर्श योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही कुछ प्रौद्योगिकियों में शामिल हैं:

1. नवजात एवं मातृत्व स्वास्थ्य के लिए ऑन-चिप रियल-टाइप पीसीआर डिवाइस आधारित माइक्रोफलूडिक्स।
2. वॉल्यूम इमेंजिंग के माध्यम से भ्रूण के विकास की निगरानी और गर्भावस्था समय, अमोनियोटिक पलूड इंडेक्स का अनुमान तथा भ्रूण के गर्भाशय में होने



- वाले विकारों पर निगरानी की नवीन तकनीक।
3. ट्रांसक्यूटेनियस आयरन रिप्लेशमेंट के लिए नॉन-इनवेसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस
 4. इलेक्ट्रिसिटी-फ्री बेबी इन्क्यूबेटर

4.6 बाइरैक समर्थित विलनिकल ट्रायलों के प्रबंधन के लिए सीडीएसए के साथ सहभागिता

बाइरैक ने विलनिकल ट्रायलों एवं विनियामक आवश्यकताओं के संबंध में परियोजना प्रबंधन में अपनी दक्षताओं को मजबूत करने के लिए विलनिकल डेवलपमेंट सर्विसेज एजेंसी (सीडीएसए) के साथ सहभागिता की है। इस सहभागिता के अनुसार, सीडीएसए का कार्य प्रि-विलनिकल/विलनिकल विकास के क्षेत्रों में तकनीकी सलाह देना और बाइरैक निधिपोषित परियोजनाओं तथा योग्य निवेशकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करना है। इस सहभागिता के भाग के रूप में सीडीएसए निम्नलिखित विशिष्ट दक्षताएं प्रदान करता है:

- विलनिकल स्टडी प्रोटोकॉल एवं अन्य संगत दस्तावेजों की समीक्षा
- विलनिकल साइट आंकलन
- औषधियों, डिवाइस, बायोलॉजिकल्स एवं वैक्सीन की विलनिकल स्टडी का परीक्षण

सीडीएसए ने इस पहल के भाग के रूप में पहले ही 2014–15 में बाइरैक निधिपोषित कंपनियों में से एक द्वारा आयोजित विलनिकल स्टडी पर लेखा परीक्षण एवं रिपोर्ट जमा की है और वर्ष 2015–16 के दौरान सीडीएसए द्वारा दो और लेखा परीक्षण प्रस्तावित हैं।

5. सामरिक समझौता करना

5.1 अंतर्राष्ट्रीय समझौता

5.1.1 भारत की मुख्य चुनौतियाँ: डीबीटी-बाइरैक-गेट्स फाउंडेशन

जून 2012 में बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने स्वास्थ्य अनुसंधान एवं नवाचार को सहायता करने के लिए लक्ष्य निर्धारित अनुसंधान एवं भारत की मुख्य चुनौतियों पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य उन पहलों को सहायता करना है जो भारत में स्वास्थ्य एवं विकास परिक्षेत्र में बदलाव कर सकें तथा अन्य देशों की समान चुनौतियों से निपट सके।

बाइरैक ने, भारत के मुख्य चुनौती ढांचे में परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीएमयू) के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए आज तक तीन कॉल की घोषणा की। 20 मार्च, 2014 को बाइरैक स्थापना दिवस पर भारत की मुख्य चुनौतियों पर पहली पहल “कृषि एवं पोषण में स्वास्थ्यवर्धक वृद्धि हासिल करना” के अंतर्गत 5 पुरस्कार (2 इंटरवेंशनल डेवलपमेंट ग्रांट और 3 सीड ग्रांट) घोषित किए गए थे जिसके लिए क्रमशः निधियों को आवंटित किया गया और कार्यान्वयन साइटों पर परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया।

5 प्रस्ताव जो चयनित हुए थे वह नवाचार अनुसंधान का विकास जो कृषि पद्धतियों के एकीकरण और महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार से जुड़े पोषक परिणामों और बच्चों पर पड़ने वाले सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर केन्द्रित थे।

परियोजना का उद्देश्य है:

1. खाद्य आपूर्ति एवं आहार से जुड़ी पोषक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्थानीय उपलब्धता, आयु उपयुक्तता एवं वहनीय आहार की खाद्य उपभोग पद्धतियों और वर्तमान कृषि प्रणालियों का मूल्यांकन करना।
2. इन आईएफएस डिजाइनों के माध्यम से महिलाएं व लघु कृषक द्वारा सुगम पशुपालन एवं प्रोटीन युक्त सब्जियों एवं शहद की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
3. लघु उद्यमशीलता एवं तकनीक-सक्षम पहलों के माध्यम से छोटे कृषकों की आय एवं उत्पादकता बढ़ाना।
4. प्रतिदिन खाने में डिहाइड्रेटेड उत्पादों एवं इसके उपयोग पर जागरूकता लाना। मूल्य-श्रेणीकरण सहयोगियों के साथ स्थानीय स्तर पर सहभागिता।
5. एग्रोनोमिक बायो-फोर्टिफिकेशन द्वारा खाद्य फसलों में जिंक की पोषक स्थिति सुधारना।

अब तक हासिल उपलब्धियाँ:

- अब तक शामिल किसान – 440 लाभार्थी
- 4 वेगी लाइट, 42 वेगी मार्ट एवं वेगी हील ब्रांड स्थापित किए गए हैं।
- किसानों एवं अन्यों की संख्या जिन्होंने कार्यक्रम सहायता के परिणामस्वरूप तकनीकी सुधारों या प्रबंधन पद्धतियों के लिए आवेदन किया है : 200
- व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने लघु अवधि कृषि क्षेत्र

उत्पादकता या खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया है: 200 जैव प्रौद्योगिकी विभाग और बिल एवं मेलइंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 'रिइन्वेंट दि टॉयलट फेयर' संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। 22 मार्च, 2014 को कार्यक्रम के दौरान भारतीय एवं वैश्विक सहयोग से जुड़ी दूसरी जीसीआई पहल "रिइन्वेंट दि टॉयलेट चैलेंज", छ: भारतीय नवाचारकों (फील्ड ट्रॉयल ग्रांट में 1 और प्रूफ ऑफ कंसेप्ट में 5) को सम्मानित किया गया था। पुरस्कृत परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

1. रोगाणु और मलीय अवशिष्ट में दुर्घट फैलाने वाले बैक्टीरिया को मारने के लिए विषाणुजनित घटकों का उपयोग करने के लिए परिकल्पना विकास का प्रमाण और इसे अवशिष्ट उपचार प्रणाली के माध्यम से अलग करने के तरीकों का विकास।
2. एकल घर के साथ ही साथ 100 लोगों का समुदाय (25 परिवारों) के लिए विकेन्द्रित अवशिष्ट जल उपचार प्रणाली वित्तीय रूप से वहनीय एवं सरल प्रचालन का विकास जो सुरक्षित निपटान के लिए उच्च गुणवत्ता के निःसारों का उत्पादन करेगा। यह परियोजना "सशक्त सेप्टिक टैंक" के विकास एवं प्रदर्शन के लिए प्रस्तावित है।
3. शौचालय में उपयोग होने वाले पानी को अवशिष्ट सिंक में डालकर उसे ग्रेनुलर सामग्री को प्रारंभ में प्रवाही बेड से लाने का विचार जो वाल्व के माध्यम से बॉटम से निकाला जाता है।
4. मानव मलीय अवशिष्ट एवं अन्य शारीरिक अवशिष्टों के उपभोग के लिए ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा (बीएसएफएल) का प्रयोग।
5. संधारणीय एवं वहनीय स्व-निहित पर्यावरण प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए पारंपरिक टॉयलट शीट और अवशिष्ट उपचार टैंक प्रणाली की पुर्णयोजना।
6. नोवल ऑनसाइट अवशिष्ट जल उपचार के साथ स्लम ई-टॉयलट के एकीकरण द्वारा क्लोज्ड लूप रिसोर्स रिकवरी के उपयोग की तकनीक और रिकवरी सॉल्यूशन टर्म दि न्यू जनरेटर टीएम, एनएरोबिक मैम्ब्रेन बायोरिएक्टर (एएनएमबीआर) और सोलर (पीवी एवं थर्मल) तकनीकों को जोड़ना, न्यू जनरेटर टीएम द्वारा मानव अवशिष्ट से न्यूट्रिएंट, ऊर्जा एवं जल की रिकवरी निर्धारित करना।

अब तक हासिल की गई उपलब्धियां:

- प्रोटोटाइपों को अलग किया गया।

- कुछ स्थानों पर अवशिष्ट वर्गीकरण सम्पादित किया गया। भारत की मुख्य चुनौतियों पर पहल "रिइन्वेंट दि टॉयलट" को आगे बढ़ाते हुए बाइरैक ने बैंगलौर, भारत में 6 नवम्बर 2014 को सेंटर फॉर अर्बन ग्रीन स्पेस के सहयोग से " हरित शहरी भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन: विकासशील देशों में शहरी सेनिटेशन चुनौतियां : पहल एवं नवाचार नामक सम्मेलन में सहभागिता की। बैठक का मुख्य विषय "शहरों का भविष्य: जल एवं स्वच्छता" था।



अक्टूबर, 2014 में डीबीटी-बीएमजीएफ-बाइरैक ने तीसरी कॉल – "सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान" प्रारंभ की।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों का स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन सुनिश्चित करना है। प्रभावी परिणामों और सक्षम आवेदकों को इस विशेष अवसर का लाभ उठाने हेतु सशक्त बनाने के लिए 13 से 20 नवम्बर 2014 को पांच शहरों में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।



डीबीटी-बीएमजीएफ-बाइरैक द्वारा भारत की महाचुनौती कॉल-सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान" की घोषणा की।

(बायें से दायें): एलन ब्लॉडेट (कनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च), राजीव शाह (यूएसएआईडी), बिल गेट्स, मेलइंडिया गेट्स, कार्लोस गेलहा (स्वास्थ्य मंत्रालय, बिहार), एम के भान, (जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत इंडिया इन्विसिएटिव की ओर से) और गलेण्डा ग्रे (दक्षिण अफ्रीका विकिता अनुसंधान परिषद)

फोटो क्रेडिट : बिल एंड मेलइंडा गेट्स फाउंडेशन / बारबरा किन्नी



मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य के संदर्भ में मल्टी सैक्टोरल इंटरवेंशन, आरएफए के चयनित प्राथमिकताओं के क्रम में – सभी बच्चों के चेहरे पर मुख्कान,

19 नवम्बर, 2014

5.1.2 वेलकम ट्रस्ट

बाइरैक ने वेलकम ट्रस्ट, यूके का एक वैश्विक चैरिटी संगठन के साथ संचारी रोगों के लिए नैदानिक सुविधा के क्षेत्र में अनुवादात्मक औषधियों में नवाचार का पता लगाने एवं सहायता करने के लिए एक समझौता किया है। पहल का मुख्य उद्देश्य सहयोगात्मक अनुसंधान के माध्यम से भारत में सुरक्षित, प्रभावी एवं वहनीय स्वास्थ्यकर उत्पादों के लिए अनुवादात्मक अनुसंधान परियोजनाओं का पता लगाना है।

अब तक एक कॉल की घोषणा की जा चुकी है और बाइरैक द्वारा एक तथा वेलकम ट्रस्ट द्वारा एक निधिपोषित परियोजनाओं की पहचान की गई।

पहली परियोजना 'कारबेपेनम रेजिस्टेट ग्राम नेटिव वैक्टीरिया की पहचान के लिए एक बैंचसाइड मॉलिक्यूलर एसेज' और दूसरी परियोजना 'इमरजेंसी सेटिंग्स में रक्तजनित विषाणुओं की पहचान के लिए हाई सेंसिटीविटी मल्टीप्लैक्स प्लाइट-ऑफ-केयर एसेज सिस्टम' है।

5.1.3 सीईएफआईपीआर–बीपीआई फ्रांस

बाइरैक ने सीईएफआईपीआर–उच्च गुणवत्तापूर्ण द्विपक्षीय अनुसंधान को सहायता देने, सार्वजनिक, निजी अनुसंधान समूहों, उद्योग, नैदानिक केन्द्रों और अंत-उपयोगकर्ताओं के बीच इंडो-फ्रेंच सहयोग को सक्षम एवं बढ़ावा देने के लिए भारत में आधुनिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने



हेतु इंडो-फ्रेंच सेंटर के साथ समझौता किया है। फरवरी, 2014 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। पहल के अंतर्गत, बाइरैक फ्रेंच महाद्वीप के साथ दो सहभागिता कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं। एक फ्रेंच एम्बेसी (2014–2015) और दूसरा बीपीआई फ्रेंच फाइनेंसमेंट (2015–2016) के साथ। फ्रेंच एम्बेसी के साथ 19 मार्च 2014 को हृदयधात की संभावना, प्रौढ़ लोगों में मानसिक रोग या पागलपन का निदान या नवजात शिशुओं में मानसिक विकारों की पहचान और शारीरिक विकलांगता के चालन के लिए नई सहायक तकनीकों के लिए मॉल्यूकुलर नैदानिक सुविधाओं के थिमेटिक क्षेत्र में '2+2' मॉडल के रूप में पहली कॉल की घोषणा की गई थी। पहले कॉल में कार्डियोवेस्कुलर रोगों के लिए मॉल्यूकुलर नैदानिक सुविधाओं पर दो परियोजनाओं को निधिपोषित किया गया।

बीपीआई फ्रांस फाइनेंसमेंट एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट बैंक है जो ऋणों, गारंटियों एवं इक्विटी के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज को सीड फेज से ट्रांसफर तक व्यवसायों को वित्तपोषित करता है। बीपीआई फ्रांस से जुड़ी फर्म निर्यात गतिविधियों का विकास कर रही हैं और नवाचार परियोजनाओं को सहायता प्रदान करती हैं। प्रस्तावों के लिए दूसरी कॉल 20 मार्च 2015 को नये लक्ष्यों या बायोमार्कर जो सुग्राही, विशिष्ट एवं वहनीय नैदानिक जांचों, थिरेपेटिक प्रोटीन या वर्तमान थिरेपेटिक्स के लिए औषधि एवं वहनीय प्रक्रिया विकास के संबंध में नये थिरेपेटिक विकल्पों से जुड़ी हैं, के थिमेटिक क्षेत्र में '1+1' मॉडल के रूप में प्रारंभ की गई थी।

5.1.4 नैदानिक कार्यक्रम

बाइरैक ने यूएसएआईडी और आईकेपी के साथ सहभागिता कर टीबी के लिए नई नैदानिक तकनीकों में सहायता के लिए एक कॉल प्रारंभ की है। "भारत में तपेदिक (टीबी) नियंत्रण में नवाचार" को सहायता देने के लिए आईकेपी ने बाइरैक और यूएसएआईडी के साथ एक समझौता किया है।

प्रस्तावों के लिए कॉल का मुख्य उद्देश्य बाइरैक के साथ सहयोग से टीबी के लिए नई नैदानिक सुविधाओं को सहायता करना है। बाइरैक और यूएसएआईडी प्रत्येक से यूएसडी 1.0 मिलियन की फंडिंग के साथ इस कॉल के लिए आईकेपी का कुल यूएसडी 2.0 मिलियन का प्रस्ताव है। कार्यक्रम की अवधि 3 वर्ष है जो दो चरणों में फैली है। कार्यक्रम

के पहले चरण में नौ प्रस्तावों की आशा है। चरण-1 के अंत में अर्थात् एक वर्ष के बाद, तीन मुख्य परियोजनाओं को चरण-2 के लिए परिकल्पना विचार के साथ ले जाने का अनुमान है।

अधिदेश परिभाषा बैठकों की श्रृंखला के पश्चात एक विशेष केन्द्रित कॉल की घोषणा की गई है।

5.2 राष्ट्रीय समझौते

5.2.1 मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पर डायटी-बाइरैक उद्योग नवाचार कार्यक्रम

बाइरैक ने विशेष कार्यक्रम “मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पर उद्योग नवाचार कार्यक्रम” प्रारंभ करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डायटी) के साथ सहभागिता की है। कार्यक्रम का लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, एल्गोरिद्मिस और सूचना प्रौद्योगिकी के बहुआयामी क्षेत्रों में नवाचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय विविध पायलट परियोजनाओं के पोर्टफोलियों का निधिपोषण है जिसमें मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में चुनौतियों का निपटान और नये क्षेत्रों में त्वरित अनुसंधान एवं विकास भी शामिल है। सामरिक कार्यान्वयन एवं प्रक्रियाओं सहित कार्यक्रम निधिपोषण तरीकों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और मई 2015 में कॉल की घोषणा की गई।

5.2.2 द्वितीयक कृषि

कृषि उत्पादों पर कई सक्षम उच्च प्रभावी तकनीक और मूल्य संवर्धित उत्पाद विकास के विभिन्न चरणों में हैं और इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के समग्र प्रयास चल रहे हैं जो किसानों को लाभ दे सकें। बाइरैक कृषि उत्पादों की नई तकनीकों और मूल्य संवर्धित उत्पादों के विकास को सुगम एवं आगे बढ़ाने का इच्छुक है और यह खाद्य प्रसंस्करण, उप-उत्पाद उपयोग एवं जैवईंधन में भारतीय सांख्यिकी एवं ज्ञान आधार के व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ाने का भी इच्छुक है।

बाइरैक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए द्वितीयक कृषि पर विशेष जोर देते हुए संस्थानों को शामिल करने की प्रक्रिया में है।

बाइरैक का जिला स्तर पर लघु एवं मध्यम उद्यमों के लाभ के उद्देश्य से द्वितीयक कृषि बायो-कलस्टर (एसएबी)/बायो-इन्क्यूबेटर विकसित करने का प्रस्ताव है और पंजाब एवं हरियाणा में बायो-कलस्टर और बायो-इन्क्यूबेटर स्थापित करने के लिए उत्तरी क्षेत्र में दो स्थानों का चयन किया गया है। दो

चयनित संस्थान हैं सीआईएबी, मोहाली और निपटेम, सोनीपत तथा पीएससीटी, पंजाब जो द्वितीयक कृषि बायो-कलस्टर (एसएबी) के प्रबंधन में शामिल रहेंगे।

बाइरैक एमओएफपीआई के साथ सहयोग करने का भी इच्छुक है और इस पहल से किसानों के लाभ के लिए मूल्य संवर्धित कृषि के क्षेत्र में विभिन्न बदलाव लाने का अनुमान है।

6. वहनीय उत्पाद विकास – खोज अनुसंधान रूपांतरण

6.1 जैविकों के पूर्व विकास में त्वरित खोज अनुसंधान के लिए मिशन : राष्ट्रीय जैवऔषधि उत्प्रेरक कार्यक्रम

पिछले वर्षों में जैविक एवं जैविक औषधियों पर अनुसंधान मुख्य विषय के रूप में उभरा है। वर्तमान वैश्विक प्रयासों में आधुनिक जैविकों और जैविक औषधि अनुसंधान एवं विकास को गति देने के लिए अंतर-अनुशासनिक विज्ञान में ध्यान देना है। इन क्षेत्रों में भारत की दक्षता को भी बढ़ाने की जरूरत है जिससे भारत नवीन, वहनीय एवं प्रभावी जैविक औषधि उत्पादों के डिजाइन एवं विकास के हब के रूप में उभरे। बाइरैक का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्र में उद्योग-शिक्षा सहयोग के माध्यम से वैज्ञानिक नेतृत्व क्षमता में सटीक कौशल प्रदान करना है जिसमें पूर्व विकास में खोज अनुसंधान को गति देने के लिए नवाचार एवं अनुवादात्मक अनुसंधान पर लक्षित राष्ट्रीय मिशन भी शामिल है। बाइरैक स्वयं को जैविक एवं जैव औषधियों के राष्ट्रीय मिशन में कार्यात्मक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में प्रस्तुत करता है।

कार्यक्रम का विजन सम्पूर्ण जैव औषधि मूल्य श्रृंखला पर विशेष ध्यान द्वारा वहनीय एवं कम लागत उत्पाद विकास के लिए जैव औषधि में भारत की तकनीकी दक्षता को बढ़ाना है जिसके लिए देश में वर्तमान विनिर्माण क्षमताओं को आगे बढ़ाते हुए उत्पाद विकास के लिए (i) खोज इकाई और (ii) रसायन विनिर्माण एवं नियन्त्रण (सीएमसी) यूनिट का सृजन किया जा रहा है। इसमें देश में उपलब्ध कौशल, अवसंरचना और नई तकनीकों को जोड़ने और सीएमसी यूनिट के भाग के रूप में सेवा जैव विश्लेषण घटकों की स्थापना के लिए जरूरी प्रशिक्षण देने का भी प्रयास किया जाएगा।

बाइरैक ने विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त होने वाली रिपोर्ट के साथ ही प्रस्तावों की ड्राफ्टिंग के लिए

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

आईएवीआई द्वारा प्रबंधित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीपीएमयू) स्थापित की है। सलाहकार समिति का गठन किया गया और सलाहकार समिति के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। 'खोज अनुसंधान उत्प्रेरक' के भाग के रूप में वहनीय उत्पाद विकास पर चर्चा के लिए एक स्टेकहोल्डर बैठक का आयोजन किया गया था। भारत में बायोफार्म सेक्टर; मजबूती, अंतर एवं सहयोग अवसर पर 3 विस्तृत लैंडस्केप परिपोर्ट प्रस्तावित की गई हैं।

6.2 पूर्व ट्रांसलेशनल एक्सीलेरेटर (ईटीए) :

जीव विज्ञान के क्षेत्र में उत्पाद की विकास यात्रा एक बहु-स्तरीय प्रक्रिया है, जिसमें अनुसंधान (जो प्रयोगशाला में होता है), पूर्व ट्रांसलेशन और उत्पाद विकास; जोकि एक औद्योगिक गतिविधि है, शामिल हैं। इनमें से आवश्यक लिंक, पूर्व ट्रांसलेशन प्रायः गायब ही होता है, जो वास्तव में उस उत्पाद को सोसाइटी के लिए फायदेमंद उत्पाद में बदलने के वैज्ञानिक अनुसंधान में अवरोध पैदा करता है, जो अंतोगत्वा उसके किफायती होने की प्रक्रिया नहीं होने देता। इस अंतर में मूल अनुसंधान और उत्पाद के बीच पहल करने की आवश्यकता है, ताकि मूल अनुसंधान में पहले के अनुसंधानों को अपनाने से सशक्त रूप से बहुमूल्य विधिमान्य टेक्नालोजी को स्थापित करने में मदद मिल सके। भारतीय परिवेश में इस तरह के ट्रांसलेशनल मॉडल वर्तमान में मौजूद नहीं हैं और इस प्रकार प्रयोगशाला में अनेक प्रभावशाली अनुसंधान किए जाते हैं, इनमें से बहुत थोड़े ही वाणिज्यिक रूप ले पाते हैं।

बाइरैक का मिशन है कि जैव-तकनीक उत्पादों में नित नये उन्नत विचारों को लागू करने में मदद ली जाए और बाइरैक ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सी-कैप बैंगलोर में अर्ली ट्रांसलेशनल एक्सीलेरेटर (ईटीए) की मदद की है, ताकि पहले से ही शैक्षणिक अनुसंधानों की संभाव्य वाणिज्यिक और उसके सामाजिक प्रभाव की पहचान की जा सके तथा उन्हें संर्वद्वित करके उद्योग जगत को तैयार तकनीक मुहैया कराई जा सके। वर्ष के दौरान दो ऐसे अनुसंधानों की पहचान की गई और उन पर कार्य किया जा रहा है।

6.3 निश क्षेत्र बैठक :

बाइरैक ने आवश्यकताओं की पहचान करने और तदनुसार नीतियों को प्रतिपादित करने के लिए शिक्षा एवं उद्योग जगत के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर निश

क्षेत्र में चर्चा बैठक का आयोजन किया।

वर्ष 2013–14 के दौरान दो बैठकें, एक "एचपीवी" पर और दूसरी "ऊर्जा के दुरुपयोग" पर आयोजित की गई और इन बैठकों में की गई सिफारिशों को वर्ष 2014–15 के लिए अप्रेषित किया गया। बीआईपीपी भाग के रूप में एचपीवी के क्षेत्र में प्रस्तावों के आमंत्रण द्वारा एक विशेष कॉल की घोषणा की गई थी और प्रस्तावों पर की गई सिफारिशों को निधिपोषित किया जा रहा है। चर्चा बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार "ऊर्जा के दुरुपयोग" पर एक मिशन कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है और कार्यक्रम शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है।

6.4 नई पहलें

6.4.1 प्री-क्लीनिकल टोक्सीकॉलोजी; आयुश विज्ञान) व फेज़-I विलनिक ट्रांयल-। के लिए अंतरण सुविधाएँ : नई दवा अनुसंधान और मरीजों में उसके पूर्ण मूल्यांकन की प्रक्रिया के पांच महत्वपूर्ण चरण हैं। प्री-क्लीनिकल, फेज़-I, फेज-II, फेज-III और फेज-IV राष्ट्रीय स्तर पर प्री-क्लीनिकल टोक्सीकॉलोजी; आयुश विज्ञान) व फेज़-I विलनिक ट्रांयल-। सुविधाओं की मांग बढ़ रही है, जिनके मूल्यांकन को स्टार्ट-अप, लघु मध्यम उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधानकर्ताओं तक उनके अग्रणी अनुसंधान का विधिमान्यकरण और प्रयोगों को अगले चरण तक ले जाना है। तथापि, ऐसी सुविधाएँ निजी क्षेत्र के पास हैं, ऐसे में स्टार्ट-अप, लघु एवं मध्यम उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के संरथानों के अनुसंधानकर्ताओं को दवा अनुसंधान की प्रक्रिया में अपनी वर्तमान सुविधाओं को संलग्न करने में कठिनाई महसूस हो रही है। इस मिशन के माध्यम से स्टार्ट-अप, लघु एवं मध्यम उद्योग की संवर्धित क्षमताओं को प्रोत्साहित करने, पोषित करने और सामरिक अनुसंधान को आगे ले जाने हेतु, बाइरैक निजी क्षेत्र की मौजूदा प्री-क्लीनिकल टोक्सीकॉलोजी (आयुश विज्ञान) को मजबूती प्रदान करने और उन तक स्टार्ट-अप, लघु मध्यम उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधानकर्ताओं की पहुंच कम कीमत पर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है।

6.4.2 उत्पाद नवीनीकरण और विकास हेतु अनुसंधान भागीदारी (जएसएफआईएम) :

रैपिड शुरुआत के अंतर्गत बाइरैक का मुख्य जोर राष्ट्र के लिए आवश्यक तकनीक और उत्पाद का

तीव्रतर विकास करना है, जिसके लिए राष्ट्रीय समझ और बाजार की आवश्यकताओं, नीति और हमारे आसपास की तकनीक/उत्पाद के लिए तकनीकी आवश्यकता और विकास के प्रतिवेश के लिए आपसी प्रयासों को करने की आवश्यकता है।

6.4.2.1 यूएसऐड—गेहूं परियोजना :

बाइरैक का लक्ष्य डीबीटी—आईसीएआर और यूएसऐड की भागीदारी में ताप सहनशीलता और जलवायु की नम्यता पर आधारित उन्नत गेहूं की एक परियोजना को सहायता देना विचाराधीन है, जिसका मकसद यूएसऐड के सहयोग से रैपिड पहल के अंतर्गत फसल की जैव प्रौद्योगिकी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देना है। भारत में गंगीय मैदानों की अन्न सुरक्षा इस क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या, खराब होती मिट्टी की गुणवत्ता, लगातार और पानी के अंदर के गिरते अस्थिर जल स्तर के साथ—साथ जीवनरेखा से नीचे की गरीब जनसंख्या के कारण इस पर विचार करना बहुत आवश्यक हो गया है। इस प्रस्तावित परियोजना का मकसद भारत में गंगीय मैदानों में उच्च ताप सहन करने वाली गेहूं की फसलों की प्रजाति का विकास करना है।

6.4.2.2 अवशिष्ट से उर्जा मिशन कार्यक्रम :

बाइरैक ने निगम के ठोस अवशिष्ट को उर्जा में बदलने हेतु बायो—तकनीक को प्रोन्नत करने के मकसद से एमएसडब्ल्यु से उर्जा में परिवर्तित करने के लिए मिशन कार्यक्रम को तैयार किया है। मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक निजी क्षेत्र की सहभागिता मॉडल (पीपीपी) पर आधारित एमएसडब्ल्यु के ट्रीटमेंट के लिए पायलट स्केल सुविधाएं स्थापित करना है। परियोजना के बहुविध कार्यों में ठोस अपष्टि की छांटाई के साथ साथ मूल्य आधारित चीजों की पृथक करना भी है, तथापि मुख्य जोर उर्जा उत्पादन पर ही होगा। उद्देश्य यह है कि भारत द्वारा प्रदत्त नेतृत्व वाली पायलट परियोजनाओं को वित—पोषित किया जाए, ताकि स्थिर ठोस प्रबंधन की प्रक्रिया को अपनाया जा सके।

मिश्रित ठोस हेतु अभिरुचि प्रकटीकरण दस्तावेज और वित्त पोशण के तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्टेकहोल्डरों की बैठक आयोजित की गई है तथा प्रमुख क्षेत्रों को चयनित किय गया है।

कम से कम 2 से 3 प्रदर्शन संयंत्रों में से

प्रत्येक संयंत्र को 100 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

6.4.3 गैर—सूक्ष्मजीव प्रतिरोधक (एएमआर) – नवाचार अनुसंधान के लिए एक पीपीपी कंसोर्टिया

बाइरैक का गैर—सूक्ष्मजीव प्रतिरोधक (एएमआर) पर मिशन कार्यक्रम का प्रस्ताव है। यह मिशन नई औषधियों, नैदानिकों, संक्रमण—उपचार विकल्पों और निम्नलिखित के साथ अन्य टूल पर खोज, विकास एवं विस्तार पर विशेष ध्यान देकर गैर—सूक्ष्मजीव प्रतिरोधक समस्यों से निपटने में सहायता करेगा:

- शिक्षा एवं उद्योग से जुड़े खोज अनुसंधान, मॉल्यूकुलर इपिडेमियोलॉजी एवं पूर्व अनवादात्मक कार्यक्रम।
- स्पिन आउट स्पोर्ट के लिए विकास अवसर।
- उपरोक्त के लिए दक्षता एवं क्षमता तैयार करना
- समान वैश्विक कंसोर्टिया के साथ गठजोड़ मिशन के उद्देश्यों को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी पूरा करने के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ सहभागिता की गई है। यह सहभागिता मुख्यतः इस महत्वपूर्ण पहल को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक संगठनों को साथ लाने के लिए होगी। स्टेकहोल्डरों के साथ निम्नलिखित के लिए सहभागिता की जाएगी: सहयोगात्मक अनुसंधान
- मानव संसाधन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास शिक्षा, उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं सरकारी अधिकारियों को मिलाकर स्थापना दिवस के भाग के रूप में सभी निधिदाता बैठक का आयोजन किया गया। चर्चा बैठक में निम्नलिखित प्रमुख विषय सामने आए: निगरानी डाटा का विश्लेषण तथा नये तकनीकी विकास के लिए मुख्य प्राथमिकता एवं अंतर की पहचान।
- रिपोजिटरीज, लिबेरीज, वेट्रो स्क्रीनिंग आदि तक पहुंच के लिए स्टार्ट अप एवं अनुसंधानकर्ताओं के लिए सेवा सुविधा पर विचार करना।
- निगरानी एवं नैदानिक की नई तकनीकों के लिए प्रौद्योगिकियों का बढ़ावा देना।
- जैविक नमूनों के भंडारण हेतु विकासात्मक सुविधाएं देना।

6.4.4 उत्तर पूर्व भारत के स्कूलों में जैव—शौचालय डीबीटी/बाइरैक द्वारा बिल एंड मेलइंडिया गेट्स फाउंडेशन के साथ सहभागिता द्वारा रिइन्वेंट दि टॉयलेट चैलेंज इंडिया की घोषणा के साथ भारत में सेनिटेशन की समस्या से निपटने एवं सुरक्षित एवं वहनशील सेनिटेशन के विकास पर एक पहल शुरू

की गई। बाइरैक ने आरटीटीसी—भारत पहल के अधीन 6 परियोजनाओं को पहले ही सहायता प्रदान की है।

हालांकि, देश के भीतर उपलब्ध अन्य वर्तमान समाधानों पर भी विचार करना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में, दि एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीटयूट, उत्तर पूर्व क्षेत्र भारत, गुवाहाटी से उत्तर पूर्व भारत के स्कूलों में 100 शैक्षालयों के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसे निधिकरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को भेजा गया है। यह एक समाज से जुड़ा एक कार्यक्रम में जिसमें तीन क्षेत्रों (अ.जा., अ.ज.जा. एवं महिला) को शामिल किया गया है। कार्यक्रम प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना द्वारा बाइरैक निम्न समग्र समन्वयन का उत्तरदायी होगा:

- समग्र परियोजना का सम्पूर्ण प्रबंधन एवं समन्वयन
- सही तकनीकी प्रदाताओं को जोड़ना
- कार्यान्वयन

7. उद्यमिता विकास

7.1 बायो इन्क्यूबेटर सपोर्ट (बीआईएस)

बायो इन्क्यूबेशन अवसंरचना के साथ ही साथ मेनटरिंग एवं नेटवर्किंग प्लेटफार्म की पहुंच द्वारा नये उद्यमों की उद्यमशीलता क्षमता को बढ़ाने में सहायता कर रहा है जो नये उद्यमों के उनके प्राथमिक चरण के दौरान उपयोग में लाया जा सकता है।

बाइरैक ने देश के कई सामरिक स्थानों पर वर्तमान इन्क्यूबेशन सुविधाओं का उन्नयन एवं विस्तार किया है। बाइरैक ने बायोटेक पार्क, आईआईटी, विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थानों में जैव अनुसंधानकर्ताओं और निम्न विवरणानुसार बायोटेक कल्टर को सहायता प्रदान की है।

निरंतर सहयोग के माध्यम से, बाइरैक ने लगभग **1,24,000 वर्ग फीट** कार्यात्मक बायोइन्क्यूबेशन स्पेस सृजन को प्रबंधित किया है। इन बायोइन्क्यूबेशन सुविधाओं के माध्यम से बाइरैक ने **199 स्टार्ट अप/उद्यमियों** को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी है।

ये बायोइन्क्यूबेशन सुविधाएं स्टार्ट अप को न केवल उत्कृष्ट इंस्ट्रूमेंटेशन सुविधाएं प्रदान करेगा बल्कि स्टार्ट अप का सीधे स्टेकहोल्डरों — व्यवसाय एवं

वैज्ञानिक सलाहकारों, अच्छे फर्मों एवं उद्यमों से जोड़ने को सुगम बनाएगा। ये बायोइन्क्यूबेटर बेहतर स्थानीय इकोसिस्टम का भी सृजन करेंगे।

अब तक, बाइरैक ने पूरे देश में पन्द्रह बायो इन्क्यूबेटर्स को सहायता में विस्तार किया है।

क्र. सं.	बायोइन्क्यूबेटर
1	केआईपी नॉलेज पार्क, हैदराबाद
2	वेन्चर सेन्टर, एनसीएल पुणे
3	सी—सीएएमपी, बंगलौर
4	एफआईआईटी, आईआईटी, दिल्ली
5	केआईआईटी—टीबीआई, भुवनेश्वर
6	आईआईटी मद्रास — आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क
7	एसआईडीबीआई, आईआईटी, कानपुर
8	एसबीटीआईसी, हैदराबाद
9	जेटीएम—बीपीडी, आईएआरआई, दिल्ली
10	एचटीआईसी, आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क, चेन्नई
11	गोल्डन जुबली वोमेन बायो पार्क, चेन्नई
12	आरसीबी बायो कलस्टर, फरीदाबाद
14	जीएसबीटीएम, सावली
15	केएसआईडीसी, त्रिवेन्द्रम

बाइरैक ने जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केन्द्र (आरसीबी), फरीदाबाद में विश्वसरतरीय बायोइन्क्यूबेशन सेन्टर के विकास पर विशेष ध्यान दिया है जो एनसीआर, फरीदाबाद के डीबीटी बायोकलस्टर का भाग है जिसमें ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एवं टेक्नोलॉजी इंस्टीटयूट (टीएचएसटीआई) शामिल है। इसके अलावा, बायोइन्क्यूबेटर, गुडगांव में आईटी टेक्नोलॉजी हब को गतिशीलता के साथ ही साथ आईआईटी—दिल्ली, एम्स, दिल्ली, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान (एनआईआई) दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ सम्पर्क के माध्यम से नई बायोइनोवेशन समन्वयन स्थापित करेगा। यह सुविधा स्टार्ट अप की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही साथ कम्पनियों के लिए सॉफ्ट-लैंडिंग स्पेश प्रदान करेगी जो विदेशों से तकनीकों का अधिग्रहण कर भारत में प्रचालित करेगी।


बाइरैक ने सेन्टर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफार्म (सी-कैम्प), बंगलौर को सहायता प्रदान की है जो बंगलौर बायो कलस्टर का भाग है।

सी-कैम्प एक प्रमुख टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म है जो बायोइन्क्यूबेशन स्पेश के अलावा, उद्योगों एवं स्टार्टअप को अपने हाई एंड इंस्ट्रूमेंटेशन तक पहुंच उपलब्ध कराता है। इसी तरह, आईकेपी नॉलेज पार्क, हैदराबाद (देश के सबसे पुराने बायोटेक/लाइफसाइंस पार्क में से एक) में बाइरैक सहायता प्राप्त बायोइन्क्यूबेटर कार्यरत है।

देश में एक उभरती हुई मेडटेक इंडस्ट्री है और बाइरैक ने मेडटेक इन्क्यूबेटर स्थापित करने के लिए आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क में हेल्थ टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेन्टर (एचटीआईसी) को सहायता प्रदान कर इस द्यूमेन को सामरित तौर पर आगे बढ़ाया है जो उद्योग सहभागिता के माध्यम से तकनीकी विकास के लिए नये आयामों के अलावा मेडटेक स्टार्टअप को संरक्षित एवं पोषित करेगा। एचटीआईसी इन्क्यूबेटर के पास मुख्य इकिविपमेंट सुविधा के साथ ही पॉलिसी सेन्टर होगा।

जैव प्रौद्योगिकी में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए बाइरैक ने विशेषतः जैव प्रौद्योगिकी में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन जुबली बायोटेक पार्क, चेन्नई को अपनी सहायता का विस्तार किया है।

BIRAC Supported Incubators at Different Centres



बीआईसी सपोर्ट के माध्यम से बीआईएस ने बायोइन्क्यूबेशन मैनेजमेंट में विशेषज्ञ मानवशक्ति का सृजन किया है। अब तक, 6 इन्क्यूबेशन के माध्यम से 41 पद/कार्य सृजित किये जा चुके हैं। अन्य निधिपोषित इन्क्यूबेटर के प्रचालन के बाद इस संख्या में वृद्धि होगी।


- बाइरैक बायो-इन्क्यूबेटर प्रोग्राम निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान करता है:
- स्टार्टअप एवं उद्यमियों के लिए इन्क्यूबेटर स्पेश की स्थापना जिसमें शामिल हैं:
- लैब स्पेश: 200 वर्ग फीट, 300 वर्ग फीट, 500 वर्ग फीट
- बैच स्पेश : हॉफ/फुल बैच
- ऑफिस स्पेश
- विशेषज्ञ सुविधा का सृजन
- प्लांट ग्रोथ, गुणवत्ता जांच, सूक्ष्मजीव किण्वन
- सेन्ट्रल इकिविपमेंट फैसिलिटी में विशेष उपकरण पूल उपलब्धता
- उद्योग-शिक्षा के बीच बेहतर ज्ञान प्रबंधन और आवश्यक तकनीकी मेंटरशिप की उपलब्धता के साथ दोनों के बीच परस्पर तालमेल एवं सुगमता।
- निम्नलिखित के लिए सेवाएं देना और आवश्यक मेंटरशिप उपलब्ध कराना:
- बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर)
- विधि परामर्श
- व्यवसाय मेंटरिंग
- अन्य परामर्श सेवाएं
- अन्य निधिपोषक सहायता
- संसाधन उपयोग एवं नेटवर्किंग प्लेटफार्म
- अन्य सेवाएं
- बायो-इन्क्यूबेटर चलाने के लिए आवश्यक संगत जनशक्ति

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

बीआईएस के अंतर्गत कुछ परिचालित बायोइंक्यूबेटर एवं फैसिलिटी निम्नानुसार हैं:



बाइरैक इंक्यूबेशन फैसिलिटी
सी-कैम्प, बंगलौर



C-CAMP

बायो-इंक्यूबेटर स्पेस : 3000 वर्ग फीट **रेजिडेंट इंक्यूबेटीज़ की संख्या : 6**

सी-कैम्प एक प्रमुख प्लेटफार्म टेक्नोलॉजी, उद्योग-सम्पर्क और इंक्यूबेटर यूनिट बनने की दिशा में प्रयत्नशील है जो बंगलौर बायो कलस्टर का एक भाग है

मुख्य क्षेत्र : जीवन विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी तकनीक





- लैब स्पेस, ऑफिस स्पेस
- आर एंड डी और हाई इकिवपमेंट्स फैसिलिटी सपोर्ट
- मास स्पेक्ट्रोमेट्री, कॉनफोकल इमेजिंग, फलो सिस्टोमेट्री, नेक्स्ट जनरेशन जिनोमिक्स, हाई थ्रू पुट स्क्रीनिंग
- हाई एंड इकिवपमेंट्स हाउसिंग के लिए शोधन एवं डाउनस्ट्रीम सुविधा
- आधुनिक तकनीकों एवं औजारों का विकास
- बौद्धिक सम्पत्ति प्रबंधन तथा तकनीक हस्तांतरण सेवाएं
- आईआईएम-बंगलौर के सहयोग से उद्यमिता विकास



बाइरैक बायो-इंक्यूबेटर
वेन्चर सेन्टर, एनसीएल पुणे



**VENTURE
CAPITAL**

बायो-इंक्यूबेटर स्पेस : 6000 वर्ग फीट **रेजिडेंट इंक्यूबेटीज़ की संख्या : 18**

वर्चुअल इंक्यूबेटीज़ की संख्या : 2

बाइरैक बायो-इंक्यूबेटर, वेन्चर सेन्टर का उद्देश्य तकनीक एवं नॉलेज-आधारित उद्यमों को न्यूकिलेट एवं पोषित करना है।

मुख्य क्षेत्र : बायोटेक | बायोमेड | बायोइंफार्मैटिक्स | बायोमास स्टार्ट-अप एवं उद्यमी





- लैब स्पेस
- ऑफिस स्पेस
- आरएंडडी एवं इकिवपमेंट स्पोर्ट
- हाई एंड इकिवपमेंट फैसिलिटी
- माइक्रोवेव प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर
- हाई रिजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर
- फलो सिस्टोमीटर
- स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
- कॉनफोकल माइक्रोस्कोप
- सलाह, मेटरिंग एवं रिफरल
- विजिबिलिटी एवं ब्राडिंग
- तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाएं
- बीज निवेश



बाइरैक इन्क्यूबेशन फैसिलिटी

जेडटीएम एवं बीपीडी यूनिट, आईएआरआई, नई दिल्ली

बायो-इन्क्यूबेटर स्पेस : 3000 वर्ग फीट

रेजिञ्चेंट इन्क्यूबेटीज़ की संख्या : 5



जेडटीएम एवं बीपीडी यूनिट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), कृषि व्यवसाय क्षेत्र में नये उद्यमों को तकनीकी उन्नयन एवं विकास में सहायता करता है

मुख्य क्षेत्र : एग्री बायोटेक | बीज प्रौद्योगिकी | जैव उर्वरक | बायोमास | नये उद्यम एवं उद्यमी



- लैब स्पेस, इन्क्यूबेशन एवं ऑफिस स्पेस
- आरएंडडी एवं इकिवपमेंट्स स्पोर्ट
- विशेषज्ञ सुविधा
- सूक्ष्मजीव किण्वन / जैव उर्वरक यूनिट
- कृषि प्रसंस्करण यूनिट
- पीपीवी एवं एफआर अधिनियम के अंतर्गत प्रजातियों का संरक्षण और पेटेंट / कॉपीराइट / ट्रेडमार्क के रूप में बौद्धिक सम्पदा संरक्षण
- तकनीक का वाणिज्यिकरण
- मेंटरिंग स्पोर्ट एवं परामर्श सेवाएं
- तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाएं



बाइरैक लाइफ साइंस इन्क्यूबेटर

आईकेपी नॉलेज पार्क, हैदराबाद



बायो-इन्क्यूबेटर स्पेस : 3000 वर्ग फीट

रेजिञ्चेंट इन्क्यूबेटीज़ की संख्या : 12

वर्चुअल इन्क्यूबेटीज़ की संख्या : 10

आईकेपी नॉलेज पार्क ने पूर्णतः सजित लैब स्पेस, शेयर्ड इकिवपमेंट्स और सहायक प्रोग्राम के साथ एक लाइफ साइंस इन्क्यूबेटर स्थापित किया है।

मुख्य क्षेत्र : फार्मा | डायग्नोस्टिक्स | इंडस्ट्रियल बायोटेक | खाद्य एवं पोषण | नये उद्यम एवं उद्यमी



- इन्क्यूबेशन लैब स्पेस— सजित/बिना सजित: बैच/डेर्स्क स्पेस/ऑफिस स्पेस
- आरएंडडी एवं इकिवपमेंट्स स्पोर्ट
- हाई एंड इकिवपमेंट्स फैसिलिटी
- डिजिटल कॉनफोकल माइक्रोस्कोप
- एनएमआर
- एलसी-एमएस/एमएस
- एकतायूरिकायर यूपीसी100 कोर सिस्टम
- जीसी – एमएस
- एचपीएलसी/जीसी
- एनीमल सेल कल्वर फैसिलिटी
- तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाएं
- एनएसटीईडीबी एवं डीएसटी से बीज निधि सहायता
- अनुदान कार्यक्रम – टेक्नोप्रिन्यूर प्रोग्राम (टीईपीपी) एवं बाइरैक बीजी पार्टनर
- आईपी एवं तकनीक प्रबंधन



जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद



बाइरैक बायो-इन्क्यूबेटर

केआईआईटी, मुमनेश्वर



बायो-इन्क्यूबेटर स्पेस : 8000 वर्ग फीट रेजिडेंट इन्क्यूबेटीज़ की संख्या : 5

केआईआईटी में बाइरैक बायोइन्क्यूबेटर ओडिशा का पहला इन्क्यूबेटर है जो लाइफ साइंस के विविध क्षेत्रों में नवाचार विचारों को वाहि ग्राह्यक व्यवहार्य वेन्चर्स के रूप में पोषित करने के लिए समग्र इकोसिस्टम प्रदान करता है।

मुख्य क्षेत्र : इंडस्ट्रियल बायोटेक | एग्री बायोटेक | डायग्नोस्टिक | बायोमेड | बायोइन्फार्मेटिक्स | स्वच्छ एवं नव. ैकरणीय ईंधन/रसायन/सामग्री



- स्टार्ट-अप के लिए इन्क्यूबेशन स्पेस
- पॉयलट लेवल अप-स्केलिंग के लिए किण्वक
- कॉमन इकिवर्मेट सुविधाएं
- उत्पाद विकास एवं मान्यता लैब
- आईपी एवं तकनीक प्रबंधन, विधि एवं अनुबंध, संसाधन उपयोग और नेटवर्किंग प्लेटफार्म के लिए आवश्यक सेवाएं एवं मेंटरशिप
- एनालाइटिकल इंस्ट्रुमेंटेशन फैसिलिटी
- नये उद्यमों के लिए तकनीकी एवं व्यवसाय मैटरिंग
- नये उद्यमों एवं इन्क्यूबेटर्स के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं



बाइरैक बायो-इन्क्यूबेटर

एलेक्जेंड्रिया नॉलेज पार्क, एसबीटीआईसी, हैदराबाद

बायो-इन्क्यूबेटर स्पेस : 3550 वर्ग फीट रेजिडेंट इन्क्यूबेटीज़ की संख्या : 10

एलेक्जेंड्रिया नॉलेज पार्क में डीबीटी सहायताप्राप्त बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेन्टर (बीटीआईसी), एक विशिष्ट सार्वजनिक स्वामित्व एवं निजी प्रबंधन मॉडल के अंतर्गत एलेक्जेंड्रिया द्वारा संचालित हाई एंड इन्क्यूबेशन सेन्टर है। डीबीटी-बाइरैक की सहायता से यह सुविधा सृजित की गई है।

मुख्य क्षेत्र : जैव प्रक्रियाओं एवं प्रौद्योगिकियों को बढ़ाना। नये उद्यम एवं उद्यमी



- गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण एवं मिलावट रोकने के लिए सीजीएमपी के अनुरूप पायलट प्लांट सुविधाएं
- अनुसंधान प्रयोगशालाएं, नॉलेज आधारित सर्विस सेन्टर और यूटिलिटी जनरेशन फैसिलिटी
- हाई एंड इकिवर्मेट फैसिलिटी:
- एवीएस, एनएमआर 500
- एलसीएमएस
- एचपीएलसी
- माइक्रोप्लेट मल्टीमोड रीडर एवं ल्यूमिनोमीटर
- यूवी/वी स्पेक्ट्रोमीटर





बाइरैक बायो-इन्क्यूबेटर

आईआईटी दिल्ली में बायोटेक्नोलॉजी बिजनैस इन्क्यूबेशन फैसिलिटी (बीबीआईएफ)

बायो-इन्क्यूबेटर स्पेस : 3000 वर्ग फीट

एफटीटीआई, आईआईटी दिल्ली में बाइरैक बायोइन्क्यूबेटर आईआईटी कैम्पस से निकलने वाले लाइफ साइंस आधारित स्टार्टअप की सहायता के लिए स्थापित किया गया है।

मुख्य क्षेत्र : मेडिकल डिवाइस | बायोइन्फार्मेटिक्स | स्वच्छ एवं नवीकरणीय ईंधन/रसायन/जैव सामग्री





- स्टार्टअप कंपनियों के लिए इन्क्यूबेशन स्पेस
- पॉयलट लेवल अप-स्केलिंग के लिए किण्वक
- कॉमन इकिवपमेंट फैसिलिटी
- उत्पाद विकास एवं सत्यापन प्रयोगशाला
- आईपी एवं तकनीकी प्रबंधन, विधि एवं अनुबंध, संसाधन उपयोग और नेटवर्किंग प्लेटफार्म के लिए आवश्यक मेंटरिंग एवं सेवाएं
- एनालाइटिकल इंस्ट्रुमेंटेशन फैसिलिटी
- स्टार्टअप के लिए तकनीकी एवं व्यवसाय मेंटरिंग
- स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेटर्स के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं





बाइरैक बायो-इन्क्यूबेटर

आईआईटी कानपुर में एसआईडीबीआई इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन सेंटर (एसआईआईसी)

बायो-इन्क्यूबेटर स्पेस : 7000 वर्ग फीट

तकनीक में नवाचार, अनुसंधान एवं उद्यमिता कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए बाइरैक इन्क्यूबेटर

मुख्य क्षेत्र : बायोटैक | बायोमेड | बायोइन्फार्मेटिक्स | बायोमास स्टार्टअप एवं इंटरप्रिन्यूअर्स





- स्टार्टअप कंपनियों के लिए इन्क्यूबेशन स्पेस
- कॉमन इकिवपमेंट / एनालाइटिकल इंस्ट्रुमेंटेशन फैसिलिटी
- सीड कैपिटल सपोर्ट / द्वितीय चरण निधिपोषण
- आईपी एवं तकनीकी प्रबंधन, विधि एवं अनुबंध, संसाधन उपयोग और नेटवर्किंग प्लेटफार्म के लिए आवश्यक मेंटरिंग एवं सेवाएं
- स्टार्टअप के लिए तकनीकी एवं व्यवसाय निगरानी
- स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेटर्स के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं





बाइरैक बायो-इन्क्यूबेटर

मेडटेक कोर फैसिलिटी एवं इन्क्यूबेटर, एचटीआईसी, मद्रास रिसर्च पार्क



बायो-इन्क्यूबेटर स्पेस : 20250 वर्ग फीट रेजिडेंट इन्क्यूबेटीज़ की संख्या : 6

मेडटेक में नवाचार, अनुसंधान एवं उद्यमिता कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए बाइरैक इन्क्यूबेटर

मुख्य : बायोमेड-मेडटेक-इंफार्मेटिक्स



- मेडटेक उद्यमियों के लिए इन्क्यूबेशन सुविधा
- मेडटेक के विकास के लिए मेड-टेक उद्योग, उद्यमियों एवं इन्क्यूबेटीज़ द्वारा उपयोग के लिए कोर सुविधा
- डिजाइन, परिकल्पना, अभियांत्रिकी, जांच, सत्यापन एवं बैधता सहायक दक्षताओं के साथ जांच एवं सत्यापन।
- उच्च गुणवत्ता एवं प्रभावी मेडटेक के सृजन हेतु एचटीआईसी में आरएंडडी, कोर फैसिलिटी, प्रशिक्षण एवं इन्क्यूबेशन की विशेष एकीकृत संरचना
- सीड फंड से सेवा एवं पूँजी को बढ़ाना





बाइरैक बायो-इन्क्यूबेटर

आईआईटी मद्रास-आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क



बायो-इन्क्यूबेटर स्पेस : 3000 वर्ग फीट रेजिडेंट इन्क्यूबेटीज़ की संख्या : 4

आईआईटी मद्रास में बाइरैक बायोइन्क्यूबेटर द्वारा आईआईटी मद्रास में और उसके आसपास के शैक्षणिक संस्थानों, छात्रों एवं संकाय सदस्यों और अन्य आरएंडडी लैब द्वारा बायोटेक कंपनियों को स्थापित करने में सहायता की जाती है।

मुख्य क्षेत्र : किण्वन जीव विज्ञान | सूक्ष्मजीव विज्ञान | डायग्नोस्टिक्स



- स्टार्ट-अप कंपनियों के लिए इन्क्यूबेशन स्पेस
- पायलट लेवल अप-स्केलिंग के लिए किण्वन
- कॉमन इकिवपमेंट / एनालाइटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी
- आईआईटीएम एल्यूमिनी के उद्यमिता स्पोर्ट स्कीम से निधिपोषण
- आईपी एवं तकनीकी प्रबंधन, विधि एवं अनुबंध, संसाधन उपयोग और नेटवर्किंग प्लेटफार्म के लिए आवश्यक मेंटरिंग एवं सेवाएं
- स्टार्ट-अप के लिए तकनीकी एवं व्यवसाय मेंटरिंग
- स्टार्ट-अप एवं इन्क्यूबेटर्स के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं



7.2 यूनिवर्सिटी इनोवेशन कलस्टर (यूआईसी) : उद्योग के साथ सहभागिता : एक सार्वजनिक–निजी सहभागिता मॉडल

अनुसंधानकर्ताओं के बीच सम्बद्ध अनुसंधान और जरूरत आधारित (सामाजिक या उद्योग) नवाचार को बढ़ाने और उन्हें व्यावसायिक मैटरिंग एवं जरूरी सहयोग देने के उद्देश्य से यह अनिवार्य है कि लोकल ईकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने में विशेष ध्यान दिया जाए। उपरोक्त को ध्यान में रखकर, बाइरैक ने क्षेत्रीय स्तर पर बायोइनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 5 राज्य विश्वविद्यालयों में 5 यूनिवर्सिटी इनोवेशन कलस्टर स्थापित किए हैं।

ये पांच यूआईसी हैं:



1. अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई
2. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़
3. तमिलनाडू कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
4. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
5. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड



अन्ना विश्वविद्यालय में यूआईसी सुविधा का उदघाटन

प्रत्येक यूआईसी को 2500–3000 वर्ग फीट इन्क्यूबेशन स्पेस और फैलोशिप (2 पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप और 4 पोस्ट मास्टर फैलोशिप) के साथ सहायता दी गई

है। प्रत्येक पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप के रूप में आईएनआर 50000 / प्रतिमाह प्लस आईएनआर 500,000 का अनुदान प्राप्त करता है जबकि पोस्टमास्टरसे इनोवेशन फैलो आईएनआर 30,000 / प्रतिमाह और आईएनआर 200,000 का अनुदान प्राप्त करता है।



यूआईसी–पंजाब विश्वविद्यालय में शैक्षणिक समुदाय–उद्योग कार्यशाला

प्रत्येक यूआईसी स्थानीय तौर पर बायोइन्क्यूबेशन को बढ़ावा देने तथा उद्योग इनपुट, बाइरैक इनोवेशन फैलो का मार्गदर्शन करने, उद्यमिता एवं तकनीकी कार्यशालाएं आयोजित करने और फेलो के लाभ के साथ ही साथ अन्य उद्यमियों के लाभ के लिए नेटवर्क सृजित करने का कार्य करता है। अब 5 यूआईसी प्रचालनरत हैं और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से 6 पोस्ट इनोवेशन फैलो और 9 पोस्टमास्टर्स इनोवेशन फैलो का पहले की चयन किया जा चुका है।

पंजाब विश्वविद्यालय में यूआईसी ने मिकरॉन–2015 सेमिनार, इकोनॉमिक में माइक्रोब्स की भूमिका पर चर्चा के लिए सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय में यूआईसी के विकास पर पैनल चर्चा की गई।

7.3 जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सृष्टि के साथ सहयोग




बाइरैक ने छात्रों के बीच विश्वविद्यालय/कॉलेज स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सृष्टि (संधारणीय प्रौद्योगिकियां एवं संस्थानों के लिए अनुसंधान एवं पहल हेतु सोसाइटी), एक गैर-लाभकारी संगठन

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

के साथ सहयोग किया है। बाइरैक ने सृष्टि के साथ सहभागिता से पूरे भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर 15 उद्यमशील विचारों को बढ़ावा देने के लिए बाइरैक-सृष्टि जीवाईटीवाई एवार्ड संस्थापित किया है जिसे आईएनआर 15 लाख के अनुदान के साथ 2 वर्ष अवस्थिति के लिए पोषित किया जाएगा। इसके साथ ही अपने नवाचार को अगले चरण में ले जाने के लिए 100 युवा नवाचारकों को आईएनआर 1 लाख की राशि दी जाएगी। इसका उद्देश्य युवा छात्रों के बीच उद्यमशीलता की भावना जागृत करना जिससे वे अपना नवाचार वाणिज्यिक स्तर पर ले जा सकें।

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में 8 मार्च, 2015 को पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। पांच परियोजनाओं को बाइरैक-जीवाईटीवाई एवार्ड और चार परियोजनाओं को बाइरैक-जीवाईटीवाई सराहना पुरस्कार प्रदान किए गए।



- | बाइरैक-जीवाईटीवाई पुरस्कार के विजेता थे:
- | फ्लैक्सीकार्प: फ्रैक्चर हुए अंगों के चालन के लिए ब्रिथेबल, वाशेबल और कर्स्टोमाइज कार्स्ट

इनोवेटर : निखिल जामदाडे, आईआईटी कानपुर

| राइटबायोटिक : सबसे तेज एंटीबायोटिक फिन्डर इनोवेटर : शिवानी गुप्ता, बीआईटीएस पिलानी, हैदराबाद कैम्पस

| पार्किनसन रोगियों के लिए पुनः परिभाषित स्पून इनोवेटर: ध्याय मयंक कुमार शाह, आईआईटी गांधीनगर | सभी औषधि प्रतिरोधी बैक्टीरिया को मारने के लिए पावरफुल न्यू एंटीबायोटिक का विकास

इनोवेटर : वेंकटेश्वरलू यारलागड्डा, जवाहर लाल

नेहरू सेन्टर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (जेएनसीएसएसआर)

- | मोबाइल प्लेटफार्म (एंड्रॉयड) पर इमेज प्रोसेसिंग के माध्यम से रियल टाइम वाउन्ड मैनेजमेंट सेंगमेंटेशन एवं एनालाइसिस

इनोवेटर : अभिराज गुप्ता, मनिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी

7.4 आईकेपी नॉलेज पार्क, हैदराबाद में बाइरैक क्षेत्रीय नवाचार केन्द्र (बीआरआईसी)

वर्ष 2013 में बाइरैक ने क्षेत्र के जीवन विज्ञान आधारित संगठनों के साथ जुड़ने के लिए दक्षिण क्षेत्र में बाइरैक के अधिदेश को बढ़ाने के लिए आईकेपी में बाइरैक क्षेत्रीय नवाचार केन्द्र (बीआरआईसी) स्थापित किया। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू और केरल के आरआईएस मैपिंग को सम्पादित करने, लाइसेंसिंग के बाहर और भीतर तकनीकों के डाटाबेस का विकास, आईपी एवं तकनीक मूल्यांकन और आरएंडडी संस्थानों एवं कॉलेजों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय नवाचार केन्द्र स्थापित किया गया है।

क्षेत्रीय केन्द्र ने हैदराबाद क्षेत्र की आरआईएस मैपिंग पूरी कर ली है और बंगलौर के लिए मैपिंग प्रारंभ की गई है। केन्द्र ने विश्वविद्यालयों के साथ ही साथ नये उद्यमों के लिए पेटेंट सर्च, पेटेंट लैंडस्केप एनालाइसिस का कार्य भी सम्पादित किया है। केन्द्र ने विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में आईपी जागरूकता एवं उद्यमशीलता कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं।

7.5 बाइरैक एसीई – इकिवटी फंड

तीसरे स्थापना दिवस के दौरान, बाइरैक ने इकिवटी आधारित फंडिंग प्रोग्राम – बाइरैक एसीई फंड : उद्यमी विकास प्रारंभ करने की घोषणा की। प्रोग्राम में इन्क्व्यूबेट्स, एंगल फर्मो, बिजनैस एसिलिरेट्स एवं पूर्व चरण वीसी के साथ को-फंडिंग मॉडल पर कार्य करना है जिसमें उद्यमियों को उनके बैचर को अगले चरण में ले जाने के लिए आईएनआर 1 करोड़ तक की इकिवटी फंडिंग प्रदान की जाएगी। श्री यालामनचिली सत्यनारायण चौधरी, माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं भू विज्ञान राज्य मंत्री ने प्रोग्राम के शुभारंभ की घोषणा की। प्रोग्राम शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है।

8. परामर्श एवं क्षमता निर्माण

8.1 विनियामक सुविधाएं



बाइरैक के पास इन-हाउस विनियामक सुविधा प्रकोष्ठ है जो भारत के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बाइरैक निधिपोषित प्रस्तावों की जांच एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित करता है। प्रकोष्ठ में केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), आईसीएमआर और चिकित्सा संस्थानों एवं उद्योगों से विशेषज्ञ शामिल हैं। विनियामक प्रकोष्ठ का उद्देश्य शिकायतों को दूर करना एवं उत्पादन अनुमोदन के विनियामक अनुपालनों से संबंधित मामलों पर युवा उद्यमियों, शैक्षणिक संस्थानों एवं नये उद्यमों का क्षमता निर्माण करना है।

क्षमता निर्माण अधिदेश के अंतर्गत बाइरैक ने विलनिकल डेवलपमेंट सर्विसेज एजेंसी (सीडीएसए) के साथ मिलकर उत्तर एवं दक्षिण भारत में “उत्पाद अनुमोदनों के लिए भारतीय औषधि विनियामकों का पालन करना” के अंतर्गत चार विनियामक कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना है।

“नई औषधियों”, “बायोफार्मेसिटिकल्स”, फाइटोफार्मेसिटिकल्स” और “मेडिकल डिवाइस एवं डायग्नोस्टिक्स” के विनियमों पर उत्तर भारत में पहले चरण में चार कार्यशालाएं पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं। इन विनियामक कार्यक्रमों में लगभग 330 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

8.2 बाइरैक-कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय उद्यमशीलता शिक्षा कार्यक्रम :



कैम्ब्रिज में बाइरैक इग्नाइट फैलो

बाइरैक और सेन्टर ऑफ इंटरप्रिन्यूल लर्निंग (सीएफईएल) ऑफ जज बिजनैस स्कूल, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने सहभागिता की है जो सीएफईएल के फ्लैगशिप इंटेशिव इंटरप्रिन्यूल बूट-कैम्प प्रोग्राम “इग्नाइट” में बाइरैक से सहायताप्राप्त आवेदकों को भागीदारी के लिए सक्षम बनाएगा और इसका उद्देश्य वैज्ञानिकों एवं पूर्ववर्ती नये उद्यमों को अपने नवाचार विचारों को आगे बढ़ाने एवं इसे व्यवसाय प्रोजेक्ट में बदलना है। वर्ष 2014 में, बाइरैक के साथ ही इसके इग्निशन ग्रांट पार्टनरों (सी-कैम्प, आईकेपी नॉलेज पार्क और एफआईटी, आईआईटी दिल्ली) ने कैम्ब्रिज में इंटेशिव प्रोग्राम में भाग लेने के लिए पांच उम्मीदवारों के दूसरे बैच का चयन किया। बाइरैक सहायताप्राप्त इग्नाइट 5 उम्मीदवारों के दूसरे बैच ने जुलाई 2014 में दो सप्ताह के लिए कैम्ब्रिज में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

यह कैम्पिज बायो कलस्टर में सफल जैव-उद्यमियों, कंपनियों और निधिपोषकों के साथ बैठक, जज बिजनैस स्कूल में मार्केट रिसर्च कार्यकलाप, उनकी कंपनियों की कार्य योजना, उनकी व्यवसाय योजनाओं पर प्रतिक्रियाएं, इग्नाइट बाइरैक प्रतिनिधियों द्वारा 1:1 मीटिंग, अपने विचारों को रखने का अवसर, अनुभवी लोगों के साथ चर्चा, उनकी योजनाओं पर विशेषज्ञ पैनल की राय पर केन्द्रित दो सप्ताह का कार्यक्रम था।

8.3 एबीएलई के साथ उद्यमिता विकास एवं जागरूकता कार्यक्रम



नेसेंट उद्यमी विकास कार्यक्रम

बाइरैक ने 4 शैक्षणिक संस्थानों – राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ और तमिलनाडू कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर में आयोजित जैव उद्यमी चर्चा कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के माध्यम से विश्वविद्यालय छात्रों में उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देने के लिए एबीएलई के साथ समझौता किया है।

युवा नवाचार जिनको बाजार नीतियों, व्यवसाय मॉडलिंग एवं प्रतिस्पर्धी स्थिति को समझने में सहायता की जरूरत है, उनके लिए दिल्ली, चेन्नई एवं अहमदाबाद में एबीएलई

के साथ मिलकर 3 कार्यशालाएं (विकासोन्मुख उद्यमी विकास कार्यक्रम) आयोजित की गई।

8.4 बाइरैक रोडशो, आईपी जागरूकता एवं ग्रांट राइटिंग वर्कशॉप



गांधीनगर, गुजरात में बाइरैक रोडशो एवं आईपी कार्यशाला

बाइरैक द्वारा अपनी पहुंच बढ़ाने एवं भारत में उभरते हुए जैव प्रौद्योगिकी परिक्षेत्र और विशेषकर जैव प्रौद्योगिकी नवाचार के निधिपोषण परिदृश्य एवं कैसे बाइरैक नवाचार को बढ़ावा देता है, इस बारे में स्टेकहोल्डरों एवं सक्षम इनोवेटरों के बीच जागरूकता लाने के लिए गांधीनगर, गुवाहाटी, गंगटोक एवं लखनऊ में रोडशो एवं आईपी प्रबंधन कार्यशालाएं आयोजित की गई। इसमें प्रभावी ग्रांट राइटिंग कौशल के साथ ही साथ आईपी मामलों पर समर्पित कार्यशाला भी शामिल है। चार कार्यशालाओं में इनावेटरों, वैज्ञानिकों, शैक्षणिक, एवं लघु एवं बड़े उद्योगों के प्रतिनिधियों, नये उद्यमों एवं छात्रों ने सहित लगभग 240 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

8.5 कौशल विकास पर प्रायोगिक प्रशिक्षण



बाइरैक-जेएनयू प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रतिभागी



प्रशिक्षण के दौरान स्थापित प्रयोगशाला

भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग विशेषकर परामर्श सहायता के द्वारा वहनीय उत्पादों के सृजन के लिए नये उद्यमों एवं एसएमई में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना बाइरैक का मुख्य उद्देश्य है। बाइरैक नये उद्यमों एवं एसएमई की नवाचार दक्षताओं को बढ़ाने के लिए तकनीक किण्वन के क्षेत्र में प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजित करने का इच्छुक है।

जैव प्रक्रिया इंजीनियरिंग में प्रयुक्त औजारों एवं तकनीकों के संबंध में उद्योग कार्मिकों की तकनीकी दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करना महत्वपूर्ण है।

इसी क्रम में बाइरैक ने जैव प्रौद्योगिकी स्कूल, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में बैकटीरियल सिस्टम के लिए रिकम्बीनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन के आप्टिमाइजेशन एवं स्केल-अप के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का प्राथमिक उद्देश्य उद्योगों से जुड़े उन प्रतिभागियों को प्रायोगिक प्रशिक्षण देना था जो रिकम्बीनेंट सिस्टम पर मुख्य ध्यान के साथ जैव प्रक्रिया ऑप्टिमाइजेशन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। प्रशिक्षण में निम्नलिखित शामिल हैं:

- | प्रयोगशाला तकनीकों पर प्रायोगिक प्रशिक्षण
- | प्रयोगशाला तकनीकों एवं वर्तमान क्षेत्रों पर व्याख्यान

16 विभिन्न बाइरैक निधिपोषित उद्यमों से कुल 20 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया।

9. आउटरीज पहले

9.1 बाइरैक आई3 – बाइरैक का तिमाही समाचारपत्र



बाइरैक आई3 – बाइरैक का तिमाही समाचारपत्र मार्च 2014 में प्रारंभ हुआ और अब इसको दो वर्ष हो गए हैं। प्रकाशन मुख्य रूप से जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उभरते हुए विषय, उद्योग की चुनौतियां, जैव उद्यमियों की सफलताएं एवं अनुभव और बाइरैक के वर्तमान एवं भविष्य के प्रोग्राम शामिल हैं। समाचारपत्र में बाइरैक से जुड़े नवीनतम समाचार और बाइरैक द्वारा आयोजित कार्यशालाएं केन्द्रित रहती हैं।

9.2 हुनरबाज़: जीतने का कौशल

राष्ट्रीय स्तर पर बाइरैक सहायताप्राप्त उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए बाइरैक ने सिनेमा इंडिया विज़न – एक मीडिया फर्म के साथ सहभागिता की है।



सहभागिता का मुख्य उद्देश्य इनोवेटर्स को नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर लाना और जैव उद्यमिता को अपना कॉरियर बनाने के लिए इनोवेटर्स को प्रोत्साहित करना है। दूरदर्शन पर हुनरबाज शो के विभिन्न एपिशोड के दौरान 13 नवाचारकों के अनुसंधान को दिखाया गया।

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

9.3 बायोटेक जापान 2014 में बाइरैक की उपस्थिति



बायोटेक जापान 2014 में बाइरैक

बायोटेक जापान 2014 एक अंतर्राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन था और यह सम्मेलन टोक्यो, जापान में 14 से 16 मई के बीच आयोजित किया गया। बाइरैक ने इसमें “भारत सरकार की जैव प्रौद्योगिकी नीति एवं पूर्व-चरण सहायता” विषय के साथ सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में विभिन्न देशों के शिक्षा, उद्योग एवं सरकारी पृष्ठभमि से जुड़े लोगों ने भाग लिया।

9.4 जैव प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2014, सान डियागो में बाइरैक की उपस्थिति

वर्ष 2014 में जैव प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 23 से 26 जून को आयोजित किया गया। बैठक में जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों पर बैठक, परस्पर सम्पर्क एवं चर्चा की गई और विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न देशों में जैव प्रौद्योगिकी क्षमता को प्रदर्शित किया गया। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन (बीआईओ) द्वारा सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें 50 राज्यों एवं 70 देशों के लगभग 2,500 सीईओ सहित 15,667 उद्योग से जुड़े अग्रणी लोगों ने भाग लिया।

बीआईओ में भारतीय पैविलियन का औपचारिक उद्घाटन डॉ. के. विजयराघवन, अध्यक्ष, बाइरैक और सचिव, डीबीटी द्वारा 24 जून 2014 को किया गया था। उद्घाटन सत्र के दौरान, प्रदर्शक विवरणिका का भी विमोचन किया गया। इंडिया सैशन में प्रो. के. विजयराघवन, अध्यक्ष, बाइरैक एवं सचिव, डीबीटी द्वारा “सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव के लिए जैव प्रौद्योगिकी : सहभागिता के साथ असंभव को संभव बनाएं” पर मुख्य भाषण दिया गया। सम्मेलन में अग्रणी जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों सहित मुख्य अनुसंधान प्रयोगशालाओं एवं सरकारी एजेंसियों और अग्रणी परामर्श एवं सेवा कंपनियों ने भाग लिया। बाइरैक ने सम्मेलन में एक बूथ स्थापित किया था जिसमें भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में बाइरैक की क्षमता एवं दक्षता को प्रदर्शित किया गया था।



बायो इंटरनेशनल कंवेन्शन 2014, सान डियागो में बाइरैक

9.5 भारत-अमेरिका तकनीक सम्मेलन एवं नॉलेज एक्सपो

बाइरैक ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भारत-अमेरिका तकनीक सम्मेलन एवं नॉलेज एक्सपो में भाग लिया। कार्यक्रम में 300 से अधि-

एक भारतीय एवं यूएस स्टेकहोल्डरों द्वारा नीति चर्चा एवं प्रदर्शनी पर केन्द्रित विज्ञान, तकनीक, नवाचार एवं शिक्षा में भारत-अमेरिका सहयोग के लिए एक मंच बनाया। सम्मेलन में विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा, जीवन विज्ञान, औषधि शास्त्र, जैव प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य सेवाएं तथा प्राकृतिक संसाधन मुख्य विषय थे। कार्यक्रम इंडिया एक्सपो सेन्टर, ग्रेटर नोएडा में 18 से 21 नवम्बर 2014 को आयोजित किया गया। डॉ. हर्ष वर्धन, माननीय केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथक्की विज्ञान मंत्री, भारत सरकार के साथ डॉ. वैंकटेश वेल्लूरी, अध्यक्ष, सीआईआई राष्ट्रीय समिति, सुश्री डायन फेरेल, कार्यवाहक अध्यक्ष, यूएस इंडिया बिजनैस काउंसिल और डॉ. नौशाद फोर्ब्स, उपाध्यक्ष, सीआईसी द्वारा उद्घाटन सत्र का शुभारंभ किया गया।

श्रीमती स्मृति ईरानी, माननीय केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार द्वारा नॉलेज एक्सपो का उद्घाटन किया गया। बाइरैक ने दो कार्यक्रमों में भाग लिया और लोगों के बीच अपने कार्यक्रमों को संचालित करने के बारे में जानकारी के साथ बूथ लगाया। डॉ. रेनू खरिष, सलाहकार, डीबीटी एवं प्रबंध निदेशक, बाइरैक ने जैव प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और जैव प्रौद्योगिकी में महिला उद्यमियों की भूमिका एवं अवसर पर पैनल चर्चा के दौरान डीबीटी एवं बाइरैक के परिदृश्य को समझाया।



9.6 राष्ट्रपति भवन में नवाचार उत्सव

नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया (एनआईएफ), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय समाज के असंगठित क्षेत्र के जमीनी स्तर के इनोवेटर्स एवं उत्कृष्ट पारंपरिक नॉलेज होल्डरों को संस्थागत सहायता प्रदान करता है। एनआईएफ ने 7-13 मार्च, 2015 के दौरान राष्ट्रपति भवन में नवाचार उत्सव का आयोजन किया जिसमें जमीनी स्तर के इनोवेटर्स को राष्ट्रीय मंच पर लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के साथ नवाचारकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पांच इनोवेटर्स को बाइरैक-जीवाईटीआई पुरस्कार एवं चार नवाचारकों को बाइरैक-सृष्टि सराहना पुरस्कार भी दिए गए।

डॉ. रेनू खरिष, प्रबंध निदेशक, बाइरैक एवं बाइरैक के वरिष्ठ सदस्यों ने इनोवेटर्स के समग्र नवाचार एवं फाइनेंसिंग पर राजुंड टेबल चर्चा में भाग लिया।

9.7 बंगलौर इंडिया बायो

9-11 फरवरी तक आयोजित बंगलौर इंडिया बायो में जैव प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम के सहभागियों एवं अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच पारस्परिक सम्पर्क के लिए बाइरैक ने एक मंच प्रदान किया। तीन दिवसीय सम्मेलन में कृषि जैव प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर के साथ जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के व्यापक परिदृश्य पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में जैव प्रौद्योगिकी निवेश, कृषि जैव प्रौद्योगिकी, बायोफार्मस्यूटिकल्स, बायो मेडिकल इनोवेशन एवं नैदानिक तकनीक के अलावा अन्य जैव प्रौद्योगिकी विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम ने नवाचार एवं उत्पाद विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में अपने योगदान को दर्शाने के लिए बाइरैक को एक मंच प्रदान किया।

9.8 बायोएशिया

बायोएशिया सम्मेलन हैदराबाद में 2-4 फरवरी 2015 को आयोजित किया गया। बायोएशिया तकनीकी सम्मेलन विज्ञान-व्यापार सम्पर्क का कार्य करता है जिसका उद्देश्य जीवन विज्ञान उद्योग में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बहु आयामी वातावरण बनाना है। सम्मेलन में 51 देशों के लगभग 1200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य विषय – जीवन विज्ञान का नया युग, परिवर्तन अवसर था। बाइरैक ने “ओषधि खोज सम्मेलन – भारतीय ओषधि विज्ञान खोज को बढ़ावा देने” पर विषय के साथ एकदिवसीय सत्र में भाग लिया। बाइरैक ने अपने कार्यकलाप एवं पहलों की पहुंच एवं ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी क्षेत्र में एक स्टॉल भी लगाया।

10 उद्योग शिक्षा सम्पर्क

10.1 नवाचारक बैठक



तीसरी बाइरैक निवेशक बैठक 2014

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

बाइरैक की तीसरी इनोवर्टर्स बैठक 22 एवं 23 सितम्बर 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें शिक्षा, उद्योग, मुख्य पण्धारकों एवं नीति निर्धारक क्षेत्र के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का विषय – “वहनीय उत्पाद विकास के लिए नवाचार अनुसंधान को प्राथमिकता” था।

डॉ. रेनू स्वरूप, प्रबंध निदेशक, बाइरैक एवं वरिष्ठ सलाहकार, डीबीटी द्वारा स्वागत भाषण एवं विषय प्रस्तावना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। डॉ. स्वरूप ने देश की सबसे बड़ी चुनौती से निपटने के लिए ठोस एवं स्टीक नवाचार अनुसंधान पर जोर दिया। उसके बाद डॉ. एम के भान, पूर्व सचिव, डीबीटी ने मुख्य भाषण दिया जहां उन्होंने नवाचार परिवेश के विकास के लिए कार्यनिष्ठादान मैट्रिक्स एवं कार्यक्रम बनाने की बात कही। प्रो. पदमनाभम, वरिष्ठ विज्ञान एवं नवाचार सलाहकार, बाइरैक ने जैव उद्यमियों को सहायता देने के बारे में बताया और एक संघारणीय भविष्य के लिए जैव विनिर्माण की दिशा में ठोस प्रयास करने को कहा। प्रो. के. विजयराधवन, सचिव, डीबीटी एवं अध्यक्ष, बाइरैक ने भी बैठक को संबोधित किया और फंडिंग के लिए रेडिकल एवं नवाचार पद्धतियों को खोजने एवं बाइरैक की पहुंच सार्क देशों तक पहुंचाने पर जोर दिया।



तीसरी बाइरैक निवेशक बैठक 2014

फलैगशिप बाइरैक नवाचार पुरस्कार लाभप्रद नवाचार उत्पाद देने के लिए उद्योग के चार श्रेष्ठ इनोवर्टर्स को दिया गया। चयन मापदंड के अंतर्गत नवाचार, वैज्ञानिक मैरिट एवं प्रत्येक परियोजना से जुड़े जोखिम कारक शामिल रहे।

| स्वास्थ्य क्षेत्र में श्रेष्ठ अनुसंधान के लिए हेल्थलाइन प्राइवेट लिमिटेड को नॉन वूवन सिल्क शीट पर अन्य नेचुरल बायो-एकिट एजेंट और सेरिसिन के उपयोग से कास्मेस्टियूटिकल एप्लीकेशन के लिए फेस मास्क के विकास में उनके योगदान के लिए

पुरस्कृत किया गया।

| बायोमेडिकल डिवाइन, इम्प्लांट्स एवं डायग्नोस्टिक क्षेत्र में श्रेष्ठ नवाचार के लिए जनाकेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और नारायण हुरदयालय हॉस्पिटल, बंगलौर को “साफ्टवेयर प्लेटफार्म –डीएक्सफोन”, एक पी–ओ–सी डायग्नोस्टिक टूल जिसमें नोवल हार्डवेयर सेन्सर लगा है जो किसी भी स्मार्टफोन पर लगाया जा सकता है और छ: ब्लड पैरामीटर—ब्लड गुलकोज, एचबीएसी, लिपिड, ट्रिग्लाइसिराइड्स, हिमोग्लोबिन और सेरियम क्रिटनाइन की जांच के लिए प्रोप्राइटरी ड्राई-कैमिस्ट्री का एक माध्यम है, में योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया।



तीसरी बाइरैक नवाचार बैठक में राउंडटेबल चर्चा

| कृषि क्षेत्र में श्रेष्ठ नवाचार के लिए इंडो-अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर को मार्कर सहायक सलेक्शन के उपयोग से धान (ओरिजा साटिवा) में सॉल्ट टोलरेंट हाइब्रिड के विकास के लिए नवीनतम अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया।



तीसरी बाइरैक नवाचार बैठक 2014 का समूह चित्र

| औद्योगिक प्रक्रिया एवं हरित तकनीक के क्षेत्र में श्रेष्ठ नवाचार के लिए रोसारी बायोटेक लि., मुम्बई को औद्योगिक खपत एवं स्वास्थ्य क्षेत्र की विशाल

मांग के अनुसार कच्ची सामग्री के रूप में कृषि अवशिष्ट उत्पाद का उपयोग कर व्यवहार्य एंजाइम के उत्पादन की दिशा में नवाचार अनुसंधान में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया।

तकनीकी चर्चा के मुख्य विषय निम्नलिखित थे:

- i नवाचार अनुसंधान एवं उत्पाद विकास – बायोफार्मेसिटिकल्स, मेडिकल तकनीकों, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों के लिए प्राथमिकता तय करना।
- i सफल बायोवेन्चर्स की सहायता के लिए संसाधनों तक पहुंच एवं उनका उपयोग।

10.2 बाइरैक स्थापना दिवस



बाइरैक के तीसरे स्थापना दिवस पर दीप प्रज्जवलन

बाइरैक ने 19–20 मार्च 2015 को अपने तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर मेक इन इंडिया पर केन्द्रित दो दिवसीय तकनीकी कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का मुख्य विषय : “नवाचार को बढ़ावा देना : भारत, अगला बायोटेक ग्लोबल हब” रखा गया। डॉ. हर्ष वर्नि, माननीय केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भू विज्ञान मंत्री, भारत सरकार के विडियो मैसेज के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ जिसमें उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और देश में बायोटेक लैंडस्केप के भीतर उद्यमिता वातावरण को प्रोत्साहित एवं मजबूत बनाने

में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बाइरैक को बधाई दी। श्री वाई.एस. चौधरी, माननीय केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री तीसरे स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए “बाइरैक एसीई फंड” की घोषणा की। इकिवटी फंड का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्यमिता विकास की जरूरतों को पूरा करना है और इसे भागीदारों के रूप में व्यवसाय सहयोगियों एवं इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से बाइरैक द्वारा प्रचालित किया जाएगा।



बाइरैक स्थापना दिवस में पैनल सदस्य

उसके बाद, नवाचार परिदृश्य पर बाइरैक की भूमिका, कार्यकलाप एवं प्रभाव पर डाक्यूमेंटरी फिल्म दिखाई गई। प्रो. के. विजयराघवन, सचिव, डीबीटी एवं अध्यक्ष, बाइरैक ने भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए बाइरैक के भविष्य के कार्यक्षेत्र का उल्लेख करते हुए मुख्य भाषण दिया। डॉ. रेनू स्वरूप, वरिष्ठ सलाहकार, डीबीटी एवं प्रबंध निदेशक, बाइरैक ने स्थापना से बाइरैक की यात्रा पर स्वागत भाषण दिया। उन्होंने पिछले तीन वर्षों में नवाचार वातावरण को प्रोत्साहित करने और भविष्य के प्रयासों के लिए इसके विजय को बताया। श्री वाई एस चौधरी, प्रो. के विजयराघवन एवं डॉ. रेनू स्वरूप ने वर्ष 2015 के लिए बाइरैक विवरणिका का शुभारंभ



तीसरे स्थापना दिवस पर बाइरैक टीम

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

किया। उद्घाटन सत्र के दौरान, बाइरैक सहायताप्राप्त नवाचारकों (अचिरा लैब, पंडोरम टेक्नोलॉजीज एवं नव्या बायोटेक्नोलॉजीज) ने बाइरैक की सहायता से अपनी उद्यमशीलता की यात्रा एवं सफलता के बारे में बताया।



बाइरैक विवरणिका विमोचन

सायंकालीन पहले पैनल चर्चा का विषय “भारत आने वाले समय में वैश्विक बायोटेक हब : हमारी तैयारी की स्थिति?” पर चर्चा हुई जिसमें जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रख्यात वक्ताओं ने भाग लिया। पैनल का संचालन श्री उत्कर्ष पालनिटकर, साझेदार, केपीएमजी द्वारा किया गया और इनमें निम्नलिखित पैनल सदस्य शामिल थे:

- | प्रो. के. विजयराधवन, सचिव, डीबीटी एवं अध्यक्ष, बाइरैक
- | डॉ. एम के भान, पूर्व सचिव, डीबीटी एवं संस्थापक सचिव, बाइरैक
- | प्रो. जी. पद्मनाबन, इन्सा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं वरिष्ठ विज्ञान एवं नवाचार सलाहकार, बाइरैक
- | श्री अमिताभ कांत, सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
- | डॉ. वी एम कटोच, पूर्व महानिदेशक, आईसीएमआर
- | डॉ. किरण मजूमदार—शॉ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बायोकॉन
- | डॉ. कृष्णा एम. ईल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत बायोटेक
- | श्री प्रमोद चौधरी, कार्यपालक अध्यक्ष, पराज इंडस्ट्री पैनल ने नीतियों एवं तौर-तरीकों में परिवर्तन जो भारत को ग्लोबल बायोटेक लैंडस्केप बनने का पसंदीदा स्थान बनाने की प्रक्रिया को गति देगा, पर चर्चा की। चर्चा के कार्यक्षेत्र में बायोटेक उद्योग का आकार एवं प्रकार, बायोटेक स्टार्ट-अप एवं एसएमई के लिए वित्तीय परिदृश्य, भारतीय नवाचारकों एवं उद्यमियों की जोखिम क्षमता, निवेशकों का जोखिम प्रतिकूल पद्धति, क्षेत्र में ऋणों को बढ़ावा देने के लिए कर लाभ एवं सरकारी

पहल और देश में विश्वविद्यालय स्तर पर उद्यमशील वातावरण के सृजन पर पैनल ने अपने विचार रखे।

बैन एंड कम्पनी द्वारा थीम प्रेजेंटेशन – इनेबलिंग बाइब्रेंट बायोटेक हब इन इंडिया के साथ दूसरा दिन शुरु हुआ जिसका उद्देश्य बायोटेक उद्योग के लिए भारत एक पंसदीदा स्थान बनाने के लिए आवश्यक भारत में बायोटेक इकोसिस्टम के क्रिटिकल कम्पोनेंट्स की भूमिका पर चर्चा करना था। उसके बाद में डॉ. किरण मजूमदार—शॉ द्वारा “मेक इन इंडिया” : जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर एक परिदृश्यः अवसर पर पूर्ण सत्र हुआ जिसमें उन्होंने अग्रणी जैव प्रौद्योगिकी की वाणिज्यिक क्षमता पाने के लिए शैक्षणिक समूह एवं उद्योग के बीच मजबूत संबंध की महत्ता का उल्लेख किया।

दूसरे दिन की चर्चा के मुख्य विषय था:

- | भारत एक जैव-विनिर्माण हब: गुणवत्ता एवं वहनीयता के लिए उदाहरण बनाना
- | प्रोडक्ट पाइपलाइन को बढ़ावा देने के लिए इकोसिस्टम एवं प्लेटफार्म : अगले स्तर तक ट्रांजिशन को सुगम बनाना
- | मेक इन इंडिया के लिए सहभागिता को बढ़ावा देना : दक्षता विस्तार के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग
- | बाजार सृजन एवं प्रसार के माध्यम से नवाचार को आगे बढ़ाना: स्टेकहोल्डरों की प्रभावी भूमिका



डॉ. किरण एम. शॉ, सीएमडी, बायोकॉन लिमिटेड द्वारा बाइरैक तीसरे स्थापना दिवस पर सम्बोधन



बाइरैक तीसरे स्थापना दिवस पर पैनल चर्चा

कार्यक्रम में शिक्षा, उद्यमी, नीति निर्धारक, उद्योग, एसएमई एवं स्टार्ट अप क्षेत्र के लगभग 250 अनुसंधानकर्ताओं ने भाग लिया।

11. बौद्धिक सम्पदा एवं तकनीकी प्रबंधन सहायता : भारतीय जैव प्रौद्योगिकी नवाचार का संरक्षण

11.1 बौद्धिक सम्पदा

बाइरैक का इनहाउस आईपी प्रकोष्ठ विभिन्न सार्वजनिक-निजी सहभागिता फंडिंग स्कीम जैसे बीआईपीपी, सीआरएस, बीआईजी, स्पर्श, बीएमजीएफ, वेलकम ट्रस्ट आदि के अंतर्गत प्राप्त सभी योग्य प्रस्तावों के लिए आईपी सही उद्यम आयोजित करता है। बाइरैक ने डीबीटी-आईसीटी सेन्टर ऑफ एनर्जी बायो-साइंस में एक बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन एवं तकनीक वाणिज्यिकरण (आईपीएम-आईसीटी) यूनिट स्थापित की है और विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों में इसी तरह का समान यूनिटों की स्थापना का विचार है। भारत के उन्नतशील जैव प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता इकोसिस्टम के साथ संलग्न लगनशील प्रयासों को देखते हुए, बाइरैक ने “पेटेंट असिस्टेंट स्कीम” के माध्यम से बौद्धिक सम्पदा संरक्षण को सहायता देना प्रारंभ किया है।

सार्वजनिक संस्थानों के जीवन विज्ञान नवाचार के अनुपात, जो ट्रांसलेट किए जा सकते हैं, को बढ़ावा देने के लिए बाइरैक ने डीबीटी संस्थानों में टेक्नोलॉजी मैपिंग की शुरुआत की है। टेक्नोलॉजी मैपिंग में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान के सहयोग की मैपिंग, दाखिल पेटेंट/वाणिज्यिकरण की संख्या और कंपनियों को स्थानांतरण के लिए तकनीकी पूल का सृजन शामिल है। इस प्रक्रिया के दौरान, एनसीसीएस से दो तकनीक, एनआईआई से एक तकनीक और एनआईपीजीआर से दो तकनीक को कंपनियों को ट्रांसफर के लिए चयनित किया गया था। बाइरैक इन संस्थानों के साथ कोई और तकनीक जिसे आगे सहायता की जरूरत है, के लिए निरंतर सम्पर्क में है।

विभिन्न आईपी सेवाओं के अलावा, आईपी प्रकोष्ठ विश्वविद्यालयों एवं संगठनों की पेटेंट नीतियों को प्रतिपादित करने में भी सहायता करता है। भारत में नवाचार वातावरण को बढ़ावा देने और तकनीक के वाणिज्यिकरण के लिए बाइरैक आईपी एवं तकनीक प्रबंधन की विविध श्रृंखला सेवाएं एसएमई, स्टार्ट-अप, शैक्षणिक समूह और भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग को भी प्रदान करता है। आईपी एवं तकनीक प्रबंधन सेवाओं में पेटेंट सर्च, पेटेंट ड्राफिटिंग, आईपी नीति

विकास एवं प्रक्रिया स्थापना, तकनीक मूल्यांकन, विपणन, लाइसेंस नियोजित और आईपी एवं तकनीक प्रबंधन जागरूकता तथा क्षमता निर्माण प्रोग्राम शामिल हैं।

11.2 पेटेंट सहायता योजना

उद्यमिता उद्योग और एसएमई बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण को सुगम बनाने के लिए बाइरैक ने देश में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु पेटेंट सहायता योजना प्रारंभ की है। योजना के कार्यान्वयन हेतु बाइरैक ने तकनीकी दक्ष एवं अनुभवी आईपी तथा तकनीक स्थानांतरण (टीटी) फर्मों को सूचीबद्ध किया है जो आवश्यकता पड़ने पर पेटेंट सर्च, ऐसी तकनीकों की फाइलिंग, ड्राफिटिंग और वाणिज्यिकरण में सहायता प्रदान कर सकें। बाइरैक ने बीआईजी, एसबीआईआई और बीआईपीपी के अंतर्गत परियोजना को सहायता दी थी और फ़िलिंग प्रोग्राम में जनरेट आईपी को सहायता देने में सहयोग प्रदान किया था। पेटेंट सहायता योजना (पीएएस) के माध्यम से दो पेटेंट को सहायता दी गई है। पेटेंट फाइलिंग स्पोर्ट विभिन्न देशों जैसे यूएस, ईयू, आर्टिलिया और भारत में राष्ट्रीय चरण एंट्री के लिए बढ़ाया गया है। ये पेटेंट एप्लीकेशन मुख्यतः द्वितीयकृषि एवं स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में दाखिल किए जाते हैं।

11.3 आईपी एवं तकनीक हस्तांतरण कार्यकलाप के लिए डीबीटी-आईसीटी सेन्टर

बाइरैक ने मुम्बई में डीबीटी-आईसीटी सेंटर फॉर एनर्जी बायो-साइंसेज में आईपी प्रबंधन एवं तकनीक वाणिज्यिकरण (आईपीएम-टीसी) यूनिट स्थापित की है और विभिन्न संस्थानों में समान तरह के सेन्टर स्थापित करने का इच्छुक है जो भारत में स्थानीय इकोसिस्टम को दक्ष आईपी एवं तकनीक प्रबंधन से संबंधित कार्यकलापों में सहायता दे सकते हैं। सेन्टर का विशिष्ट उद्देश्य सेन्टर पर जनरेट तकनीकों का संरक्षण करना है जिनमें वाणिज्यिक क्षमता, तकनीक स्थानांतरण ड्राफिटिंग एमओयू से संबंध में आईपी प्रबंधन और अन्य संगत समझौते तथा सेन्टर से बाहर और भीतर आईपी संरक्षण से संबंधित जागरूकता तथा आईसीटी के भीतर तथा आईसीटी से बाहर आईपी से जुड़े मामलों में सहायता शामिल है।

डीबीटी-आईसीटी आईपीएम-टीसी यूनिट ने भारतीय पेटेंट कार्यालय में 20 से अधिक पेटेंट एप्लीकेशन दाखिल की हैं जिसमें से 3 पेटेंट एप्लीकेशन यूएस, ईपी, ईयू, जेपी, पाकिस्तान, कोरिया आदि जैसे कई देशों के राष्ट्रीय चरण में शामिल हो चुके हैं। आईपीएम-टीसी यूनिट ने 30 से अधिक परियोजनाओं के लिए पेटेंट

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

आधारित सर्च भी सम्पादित किए हैं और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के साथ एमओयू, सीडीए हस्ताक्षरित किए हैं।

11.4 बाइरैक -क्यूयूटी आस्ट्रेलिया - केले में बायो-फोर्टिफिकेशन तथा रोग प्रतिरोधकता

क्वीन्सलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, आस्ट्रेलिया ने यूगाण्डा में विटामिन ए और आयरन की कमी को खत्म करने के ग्लोबल हेत्थ प्रोग्राम में महाचुनौती के अंतर्गत बायो-फोर्टिफाइड केले का विकास किया है। उन्होंने बनाना बंची टॉप वायरस (बीबीटीवी) और केले में फ्यूजेरियम विल्ट रेजिस्टेस से संबंधित तकनीकों को भी विकास किया है। भारत में केले में बायो-फोर्टिफिकेशन तथा रोग प्रतिरोधकता के लिए क्वीन्सलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से "तकनीक के विकास एवं स्थानांतरण के लिए भारत सरकार की ओर से बाइरैक ने क्यूयूटी, आस्ट्रेलिया के साथ 24 अगस्त, 2012 को समझौता किया है।

इस परियोजना के अंतर्गत क्वीन्सलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (क्यूयूटी), आस्ट्रेलिया के अनुभव एवं उपलब्धियों को भारतीय केले की किस्मों में विशिष्ट ट्रेट्स के विकास, सत्यापन और स्थानांतरण में उपयोग में लाया गया है। क्यूयूटी ने अच्छे परिणामों सहित प्रोविटामिन ए (पीवीए) और आयरन बायो-फोर्टिफिकेशन के लिए केले में प्रभावी रिजनरेशन एवं ट्रांसफार्मेशन पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने बनाना बुंची टॉप वायरस (बीबीटीवी) और फ्यूजेरियम विल्ट रेजिस्टेस से संबंधित सुखद परिणाम प्राप्त किए हैं। क्यूआईटी उपरोक्त जीन की प्रभावकारिता में वृद्धि के संबंध में कंस्ट्रक्ट्स (जनरेशन 1, जन 2 और जन 3) का भी सुधार कर रही है जो जहां भी आवश्यक होगा भारतीय परस्थिति के अनुकूल विभिन्न किस्मों के केले के विकास में उपयोग में लाया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से डाटा का विकास एवं जन 2 एवं जन 3 की शेयरिंग द्वारा इसे जारी रखा जाएगा।

क्यूयूटी, आस्ट्रेलिया से बायो-फोर्टिफाइड केले के लिए तकनीक स्थानांतरण भारतीय केले की किस्मों में विकास एवं सत्यापन के लिए 5 भारतीय भागीदारों को स्थानांतरित किया गया है।

- नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, मोहाली, पंजाब
- नेशनल रिसर्च सेन्टर फॉर बनाना, त्रिची, तमिलनाडू
- भाभा एटॉमिक रिसर्च सेन्टर, द्राम्बे, मुम्बई

- तमिलनाडू एग्रीकल्वरल यूनिवर्सिटी, सेन्टर फॉर प्लांट मॉल्यूकूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, कोयम्बटूर
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्वरल रिसर्च, बंगलौर, कर्नाटक

अनुमानित उत्पाद एवं प्रक्रियाओं को दर्शाने वाले अनुप्रयोक का क्षेत्रः यह अध्ययन भारतीय केले में बायो-फोर्टिफाइड के विकास एवं रोग प्रतिरोधक ट्रांसजेनिक में सहायता करेगा। क्यूआईटी, आस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त प्रयासों के माध्यम से केरोनिटाइड एवं फ्यूजेरियम रेजिस्टेस से शामिल जीन कंस्ट्रक्ट्स के हाई लेवल एक्सप्रेशन के उद्देश्य को पूरा करेगा। माइलस्टोन के सफल उपलब्धि पर, रासथाली एवं ग्रांड नैन की बायो-फोर्टिफाइड एवं रोग प्रतिरोधक किस्में विकसित की जाएंगी। अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिसबेन में आयोजित जी20 सम्मेलन के दौरान क्यूयूटी का भ्रमण किया। प्रो. डेल एवं उनकी टीम ने प्रधानमंत्री के साथ क्यूयूटी-बाइरैक बायोफोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट पर चर्चा की।

12. विधि सलाह सहायता

बाइरैक का विधि प्रकोष्ठ संगठन के विभिन्न कार्यकलापों को सहायता देने के लिए अनुबंध, समझौतों व आंतरिक नीतियों की ड्राफिटिंग, पुनः समीक्षा, सम्पादन एवं संशोधन सहित सभी सांविधिक एवं विधिक आवश्यकताओं के अनुरूप उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सलाह सहायक सेवाएं प्रदान करता है।

विधि प्रकोष्ठ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में चालू एवं नये फंडिंग प्रोग्राम पर विधि दिशानिर्देश प्रदान करना, प्रबंधन को विधि संरक्षण एवं जोखिम प्रबंधन सलाह प्रदान करना, बाइरैक की विभिन्न फंडिंग योजनाओं से संबंधित विधिक प्रक्रियाओं को संचालित करना और आंतरिक नीतियों तथा प्रक्रियाओं पर प्रबंधन को समीक्षा एवं सलाह देना शामिल है।

13. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी उपयुक्तता

कम्पनी के अपने व्यवसाय के प्रकार एवं आकार के अनुसार पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। ऐसी प्रणालियों को उपयुक्त रूप से आलेख किया गया है। गोपनीयता और हित को प्रभावित करने वाले कारकों के निपटान के लिए स्पष्ट नीति बनाई गई है।

14. मानव संसाधन

मानव संसाधन विकास कम्पनी के सबसे मूल्ययान – इसके कर्मचारियों के प्रबंध द्वारा कम्पनी की मानव संसाधन जरूरतों को पूरा करता है। नियमित विकास के माध्यम से कार्यकुशलता एवं कार्याबल प्रबंधन का सही स्तर बनाएं रखने के लिए प्रशासन सहित कुछ अधिकारियों द्वारा विभिन्न एचआर कार्यों का निष्पादन किया जाता है। वर्ष 2014–15 के दौरान, बाइरैक ने विभिन्न प्रमुख पदों पर चार सहायक स्टॉफ सहित 12 कार्मिकों की नियुक्ति की जिन्होंने विभिन्न शाखाओं एवं प्रभारों के कार्यों में सहायता की। इससे कम्पनी को अपने कार्यों को सुगमता से करने में सहायता मिली।

पिछले वर्ष बाइरैक ने सितम्बर 2014 में अपना कार्यालय नये परिसर में स्थानांतरित किया और यह शिपिटंग सभी बातों को ध्यान में रखकर की गई जिससे न्यूनतम मानव संसाधन के बावजूद भी दैनिक कार्यालयीन कार्य को बिना किसी बाधार के सुगम एवं सुरक्षित ढंग से किया जा सके।



8 सितम्बर 2014 को एमटीएनएल भवन में नये कार्यालय का उद्घाटन

कम्पनी के मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, एचआर

एवं प्रशासन विभाग ने कम्पनी के मुख्य आधार के रूप में विभिन्न कार्यकलापों के लिए लॉजिस्टिक एवं अन्य सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित रूप से कार्य किया। कम्पनी के विभिन्न विभागों के बीच लिंक के रूप में यह नीतियों एवं दिए गए समय के अनुरूप सूचनाओं का सुगम आदान–प्रदान भी सुनिश्चित करते हैं।

प्रशिक्षण एवं निष्पादन रेटिंग

बदलते वैशिक परिप्रेक्ष्य के साथ कम्पनी में निरंतर आर्थिक बदलाव जरूरी होते हैं। कौशल एवं क्षमताओं के विकास के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कम्पनी की सफलता के लिए इसके संगठनात्मक उद्देश्यों को हासिल किया जा सकें। कर्मचारियों के क्षमता विकास के लिए विभिन्न मानव संसाधन विकास गतिविधियां सम्पादित की गईं। कम्पनी की कार्यसंस्कृति को बनाएं रखने और उनके व्यावसायिक विकास में कर्मचारियों की सहायता के लिए व्यापक ओरिएंटेशन एवं प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानव संसाधन को सही जगह पर तैनात कर उनसे बेहतर कार्य लिया जाए, मानव संसाधन विभाग ने एक प्रभावी कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) स्थापित की है और तदनुसार उनका वेतन निर्धारित किया है।

कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र का विकास एवं उनकी कार्यकुशलता एवं ज्ञान को बढ़ाने के लिए बाइरैक के कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वित्त वर्ष 2013–2014 में 40 मानव दिवस की तुलना में वित्त वर्ष 2014–2015 के दौरान कुल 81.5 मानव दिवस प्रशिक्षण दिया गया।

बाइरैक के सभी कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में विशिष्ट विषयवार प्रशिक्षण आयोजित किया गया था:

1. नोटिंग एवं ड्राफिटंग स्किल – श्री सुरेन्द्र नाथ, निदेशक एवं फैकल्टी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरियल ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट
2. सूचना का अधिकार अधिनियम – श्री महाबीर सिंह कसाना, पूर्व संकाय सदस्य एवं संयुक्त निदेशक, आईएसटीएम। एनएएचआरडी द्वारा आयोजित कार्यशाला।
3. भ्रष्टाचार को रोकने में तकनीक सक्षम – श्री के. वी.एल. नरसिंहन, निदेशक (तकनीकी) एवं सीवीओ (एडसिल) इंडिया लिमिटेड

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

बाइरैक कार्मिकों ने नीचे दर्शाए गए अनुसार प्रतिष्ठित संस्थानों/संगठनों पर अपने विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण में भाग लिया:

क्र. सं.	प्रशिक्षण का क्षेत्र	संस्थान
1	एफईएमए एंड एफडीआई नीति पर उभरते हुए विषय एवं वर्तमान अनुसंधान	होटल रॉयल प्लाजा, कनॉट प्लेस, दिल्ली में आयोजित वीसी सर्किल, प्रशिक्षण
2	परियोजना – वित्तीय फिडिंग एवं अनुमोदन	फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, दिल्ली
3	परियोजना योजना, कार्यान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन	आईआईएम, कोजीकोड
4	वाणिज्यिक अनुबंध प्रबंधन	फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, दिल्ली
5	भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रक्रिया	पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉर्मर्स, नई दिल्ली
6	कार्यस्थलों पर अंतर व्यक्तित्व कौशल सुधार	फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, दिल्ली
7	वाटर सेनिटेशन एवं हाइजीन	तारा लाइवलीहुड अकादमी, दिल्ली

विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजनः—

बाइरैक ने तत्परता से विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें शामिल हैं:

स्वच्छ भारत अभियान — स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर, 2014 को एक स्वच्छता अभियान एवं निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें 16 व्यक्तियों ने भाग लिया।



स्वच्छ भारत अभियान, 2 अक्टूबर 2015

महिला दिवस — महिला दिवस के अवसर पर 9 मार्च 2015 को विभिन्न खेलों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।



9 मार्च 2015 महिला दिवस

सतर्कता जागरूकता सप्ताह — सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन के दौरान “भ्रष्टाचार रोकने में तकनीक सक्षम” पर व्याख्यान आयोजित किया गया। श्री के.वी.एल. नरसिंहन, निदेशक (तकनीकी) एवं सीवीओ (एडसिल) इंडिया लिमिटेड को व्याख्यान के लिए 27 अक्टूबर 2014 को आमंत्रित किया गया।

हिन्दी पखवाड़ा — 15–30 अक्टूबर, 2014 को हिन्दी पखवाड़े के दौरान निबंध एवं कविता लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सभी कर्मचारियों ने भाग लिया।



15–30 अक्टूबर 2014 हिन्दी पखवाड़ा

बैठकों एवं सम्मेलनों में भागीदारी

- इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्रीन अर्बन प्यूर्चस – विकसित देशों में शहरी स्वच्छता चुनौतियां : पहले एवं नवाचार – डॉ. शिल्पी गुप्ता
- बंगलौर इंडिया बायो – डॉ. अमिता जोशी एवं सुश्री जया सीताराम

- बायो एशिया हैदराबाद – डॉ. धीरज कुमार एवं डॉ. ज्योति शुक्ला
- बायोटेक जापान – डॉ. विनीता जिन्दल
- बायो, यूएसस – डॉ. शिल्पी गुप्ता
- भारत-अमेरिका तकनीक सम्मेलन और ज्ञान प्रदर्शनी– श्री अंकूर गुप्ता, श्री सारिक सुहाली, डॉ. अमिता जोशी और डॉ. सोनिया गांधी
- नेनो-इंडिया सम्मेलन, एसोचैम – डॉ. पीकेएस शर्मा और डॉ. अमिता जोशी
- टीएनटीडीपीसी द्वारा आईपीआर एवं बायोडायवर्सिटी सेमिनार – डॉ. विनीता जिन्दल और श्री अमित कटियार
- बायोफार्म इंटरनेशनल कांफ्रेंस, चैम्पटेक फाउंडेशन – श्री अंकूर गुप्ता
- ग्लोबल आरएंडडी, फिक्की – डॉ. ज्योति शुक्ला एवं डॉ. धीरज कुमार
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस – डॉ. विनीता जिन्दल एवं श्री अंकूर गुप्ता
- वेन्चर सेन्टर पर आईपीआर वर्कशॉप, एनसीएल पुणे– डॉ. विनीता जिन्दल
- नवाचार उत्सव, राष्ट्रपति भवन – डॉ. सत्य प्रकाश दास, डॉ. संजय सक्सेना, डॉ. पीकेएस शर्मा, सुश्री ललिथा बालाकृष्णन और श्री अंकूर गुप्ता

15. भविष्य का परिदृश्य

पिछले 3 वर्षों में बाइरैक अपने कार्यकलापों को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है और इसने भारतीय जैव प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम के लिए अच्छा पोषक वातावरण तैयार किया है। बाइरैक का ध्यान भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग की जरूरतों को समझने और वर्तमान अंतर को खत्म करने के लिए प्रभावी कार्यतंत्र बनाना एवं उसका कार्यान्वयन करना है।

कुछ कार्यक्रम जैसे बीआईजी, एसबीआईआरआई, बीआईपीपी, बीआईएस ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। बाइरैक फंडिंग, मेंटरिंग, भारतीय आईपी को सुरक्षित बनाने में सक्षम रहा है और नवाचार उत्पादों के विकास का उत्प्रेरक है जो उच्च गुणवत्ता एवं वहनीयता को सुनिश्चित करता है।

2014-15 में बाइरैक एक एक तरफ अपने कार्यकलापों

का विस्तार किया वहीं दूसरी ओर अपने कुछ वर्तमान कार्यक्रमों को और उद्देश्यपूर्ण बनाया। वर्ष 2015-16 में बाइरैक ने निम्नलिखित के माध्यम से उच्च प्रभाव के सृजन पर ध्यान दिया है:

1. बाइरैक एसीई फंड का डिजाइन एवं शुरूआत जो एक इकिवटी फंड है तथा यह रूग्ण भारतीय बायोटेक स्टार्ट-अप को सहायता करता है। यह भारत में जैव प्रौद्योगिकी स्टार्ट अप में गहरा प्रभाव छोड़ने का महत्वपूर्ण कदम होगा।
2. उद्यमिता विकास के लिए बाइरैक क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना जो भारत में बायोटेक स्टार्ट अप की जरूरतों को पूरा करने के बाइरैक के प्रयासों का विस्तार करेगा।
3. पेटेंट सहायता योजना का विस्तार जो बाइरैक को बाइरैक सहायताप्राप्त परियोजनाओं के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण आईपी को सहायता एवं सुरक्षा में सक्षम बनाता है।
4. वैश्विक तकनीकों के अधिग्रहण के लिए तकनीक अधिग्रहण एवं विकास निधि की स्थापना जो देश के भीतर नवाचार उत्पादों के आगे के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण होगा।
5. बायोफार्मस्यूटिकल्स पर अपने मिशन का विस्तार ओर सभी स्टेकहोल्डरों की सलाह से बायोथिरेपेटिक्स के कुछ सामरिक क्षेत्रों में विशेष ध्यान।
6. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, द्वितीयक कृषि और जैव प्रौद्योगिकी के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सामरिक सहभागिता का विस्तार।

जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद अनुसंधान सहायता परिषद

संलग्नक-1

वहनीय उत्पाद, प्रौद्योगिकियां और बौद्धिक सम्पदा

श्रेणी	उपलब्धि
उत्पाद / प्रौद्योगिकियां	05
प्रारंभिक चरण प्रौद्योगिकियां	05
आईपी जनरेटेड	05

संलग्नक-2

बाइरैक निधिपोषण के माध्यम से उत्पाद / प्रौद्योगिकियां / प्रक्रिया विकास प्रौद्योगिकी / उत्पाद

1. मलेरिया एंटीजन डिटेक्शन किट:

मलेरिया रोग के निदान में एक सहायक के रूप में पूरे खून में मानव मलेरिया एंटीजन की गुणात्मक पहचान के लिए एक रैपिड जांच। यह जांच प्लाजमोडियम फालसीफेरम और अन्य प्लाजमोडियम प्रजाती (वाणिज्यिकरण) के बीच विभिन्नता निदान के लिए डिजाइन की गई है।

2. मैंगो पत्प में वाइन:

विसकस मैंगो पत्प से कलेरिफाइड जूस एवं विलयर वाइन उत्पाद की तकनीक। इसके परिणामस्वरूप वाइन में शुगर की मात्रा और विशिष्ट फ्लेवर में कमी (वाणिज्यिकरण के लिए तैयार)।

3. टमाटर से लाइकोपिन:

टमाटर की उच्च उत्पाद किस्मों से लाइकोपिन, फाइटोन्यूट्रिएंट को अलग करने की तकनीक। प्रतिदिन 24 किग्रा. लाइकोपिन उत्पाद के साथ 2 टन प्रति घंटा क्रुशिंग की क्षमता का प्रमाणीकरण। (आगे के प्रमाणीकरण/वाणिज्यिकरण के लिए तैयार)।

4. इंडस्ट्रियल एंजाइम के उत्पादन के लिए नोवल स्ट्रेन एक ई.कोली के 12 स्ट्रेन जो इंडस्ट्रियल एवं थिरेपैटिक महत्ता की रिक्मीनेंट तकनीक जिसे कल्वर मीडियम में विकसित किया गया था। इस तकनीक से आसान शोधन में सहायता तथा उत्पाद की लागत एवं प्रक्रिया में कमी। (आगे के प्रमाणीकरण के लिए तैयार)

5. एसएसएफ तकनीक के प्रयोग से डेक्सट्रानेज का उत्पादन

देश में पहली बार 30000 डीयू/ग्राम की एविटिविटी के साथ ठोस स्वरूप किण्वन का प्रयोग कर डेक्सट्रानेज का उत्पादन। उत्पादित डेक्सट्रानेज ने केन शुगर उत्पादन प्रक्रिया में डेक्स्ट्रेन का औसत 51 प्रतिशत कम हुआ। (आगे के प्रमाणीकरण/वाणिज्यिकरण के लिए तैयार)

प्रूफ ऑफ कंसेप्ट

1. नीमा पावर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी:

इंटोमोपैथोजनिक निमेटोड (ईपीएन) अर्थात् नीमा पावर के उत्पादन के लिए ठोस स्वरूप किण्वन जो नट में रुट गुब्स के मैनेजमेंट में काम आता है।


2. मायोकार्डियल इंफरक्शन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी:

10 से कम मिनट में हाई सेंसिविटी एवं सलेक्टिविटी के साथ मल्टीपल कॉर्डिएक मार्कर की पहचान द्वारा मायोकार्डियल इंफरक्शन का रैपिड निदान। ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों या छोटे एम्बुलेंस में प्रयोग किया जा सकता है (अगले चरण के लिए तैयार)



3. घांव प्रबंधन के लिए मॉड्यूलर रेसिलिन-मिमेटिक एलास्टोमेरिक प्लेटफार्म:

नवीन किस्म का बायो-कंपेटिबल स्केफोर्ड मैट्रियल जिससे हाइड्रोजेल मैट्रियल और इनकैप्सुलेट कॉम्प्लैक्स लोडस बनाया जा सकता है। टिश्यू इंजीनियरिंग और रिजनरेशन में विभिन्न अनुप्रयोग और आधुनिक घांव प्रबंधन के लिए उपयोगी (अगले चरण के लिए तैयार)।



4. कैंसर के उपचार के लिए एक्टीवेटेड डेन्ड्रिटिक सेल:

कैंसर कोशिका के विरुद्ध प्रोटीन इम्यून रेस्पांस के माध्यम से कैंसर के उपचार हेतु थिरेपी के रूप में ऑटोलोगस एक्टीवेटेड डेन्ड्रिटिक सेल जिसके परिणामस्वरूप कैंसर बढ़ने में कमी और तेजी से सुधार (अगले चरण के लिए तैयार)।

5. ट्यूबरकुलोसिस मार्कर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी:

विशिष्ट गुणों के साथ मानव में नवीन ट्यूबरकुलोसिस मार्कर की पहचान करने के लिए एक एटॉमर आधारित प्लेटफार्म अर्थात् लो सैम्प्ल वाल्यूम, टर्नअराउंड टाइम, ऑटोमेटेड फ्लूयिड मूवमेंट कंट्रोल, लो रिएंजेट कंज्यूमशन और सेसिटिव फ्लोरोसेंट रिडिंग्स (अगले चरण के लिए तैयार)।



बौद्धिक सम्पदा

निम्नलिखित पेटेंट दाखिल किए गए:

- परक्यूटेनियस एरोटिक वाल्व इम्प्लांट (72/सीएचई/2014) के लिए परक्यूटेनियस एरोटिक वाल्व (71/सीएचई/2014) और डिलीवरी सिस्टम।
- लिङ्गोसेल्यूलॉजिक बायोमास का एफिशिएंट एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस (आईएन 1907/एमयूएम/2014)
- 2, 3 - व्यूटिनिडॉयल के उत्पादन को बढ़ाने और उसके प्रयोग के लिए माइक्रोआर्गेनिज्म (3120/डीईएल/2014)
- बायो-ऑयल एक्सट्रेक्शन को रोककर बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड पाल्म फाइबर मैट (4613/सीएचई/2014)
- अवययों का विश्लेषण प्रक्रिया के लिए इमेज आधारित फ्लो साइटोमीटर द्वारा ऑटोमेटेड विलनिकल माइक्रोस्कोपी (2432/सीएचई/2014)

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देशों में बाइरैक का विचार

कॉर्पोरेट शासन उन प्रणालियों, सिद्धांतों और प्रक्रमों का सेट है जिससे कंपनी का अभिशासन होता है। ये दिशानिर्देश प्रदान करते हैं कि कंपनी को किस प्रकार निर्देशित या नियंत्रित किया जाए कि यह किस प्रकार अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को पूरा कर सकें जो कंपनी की मान्यता बढ़ाते हैं और साथ ही दीर्घ अवधि में सभी पणधारियों के लिए भी लाभकारी हैं। इस मामले में पणधारी में निदेशक मंडल, प्रबंधन, शेयरधारकों से लेकर ग्राहक, कर्मचारी और संस्था में से प्रत्येक शामिल होंगे। बाइरैक अपनी सभी नीतियों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं के संबंध में नैगम शासन के मजबूत सिद्धांतों के प्रति बचनबद्ध है। कंपनी की नीति में स्पष्ट रूप से पारदर्शिता की मान्यताएं, व्यावसायिकता और जवाबदेही प्रकट होती है। बाइरैक इन मान्यताओं को धारित करने का निरंतर प्रयास करता है ताकि यह अपने सभी पणधारकों को दीर्घ अवधि आर्थिक मूल्य प्रदान कर सकें।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल में सात निदेशक हैं जो हैं एक कार्यकारी अध्यक्ष, एक कार्यकारी प्रबंध निदेशक, 4 स्वतंत्र निदेशक और 1 सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक।

कंपनी की पांच बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित की गई थी : 3 जून 2014, 13 अगस्त 2014, 9 सितम्बर 2014, 12 दिसम्बर 2014 और 27 फरवरी 2015।

निदेशकों तथा बोर्ड की बैठकों में भाग लेने का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	श्रेणी	अन्य कंपनियों में निदेशक पद	अन्य कंपनियों में समितियों के सदस्य / अध्यक्ष	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (सं)	पिछली एजीएम में उपस्थिति
			सदस्य	अध्यक्ष	
प्रो. के. विजयराघवन	अध्यक्ष (कार्यकारी)	3	शून्य	शून्य	5 हाँ
डॉ. रेनू स्वरूप	प्रबंध निदेशक (कार्यकारी)	1	शून्य	शून्य	5 हाँ
डॉ. अशोक झुनझुनवाला	स्वतंत्र निदेशक	11	4	2	3 लागू नहीं
डॉ. दीपक पेंटल	स्वतंत्र निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य	5 लागू नहीं
डॉ. दिनकर मसानू सांलुके	स्वतंत्र निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य	5 लागू नहीं
डॉ. गगनदीप कांग	स्वतंत्र निदेशक	1	शून्य	शून्य	3 लागू नहीं
डॉ. मो. असलम	सरकारी नामिति	शून्य	शून्य	शून्य	5 लागू नहीं

कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों के सदस्य और 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं है, जैसा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केन्द्रीय लोक उद्यम (सीपीएसई) के लिए नैगम शासन पर जारी दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है।

कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशकों का कोई आर्थिक संबंधों या लेनदेन नहीं है।

3. लेखापरीक्षा समिति

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन में तीन निदेशकों, प्रो. अशोक झुनझुनवाला, डॉ. दिनकर मसानू सालुंके के साथ किया गया, जो स्वतंत्र निदेशक हैं और डॉ. रेनू स्वरूप, जो कंपनी की प्रबंध निदेशक हैं, शामिल हैं। डॉ. दिनकर मसानू सालुंके को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों को चार लेखापरीक्षा समिति बैठकें हुई थी : 2 जून 2014, 9 सितम्बर 2014, 12 दिसम्बर 2014 और 27 फरवरी 2015। लेखापरीक्षा समिति में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	लेखापरीक्षा समिति बैठक में उपस्थिति की सं.
डॉ. दिनकर मसानू सालुंके	4
डॉ. अशोक झुनझुनवाला	3
डॉ. रेनू स्वरूप	4

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

4. बोर्ड प्रक्रिया

निदेशकों की बैठक आम तौर पर नई दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती है। बोर्ड बैठकें आयोजित करने के लिए सांविधिक आवश्यकताओं का पालन किया जाता है। सांविधि द्वारा बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता के मामलों के अलावा वित्तीय परिणामों सहित सारे प्रमुख निर्णय वास्तविक संचालन, फीड बैक रिपोर्टों और बैठकों के कार्यवृत्त रूप में बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं।

5. 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों की सूचना

वर्ग कोड	शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरों की कुल सं.	शेयरों का कुल मूल्य (₹.)	शेयरों की कुल सं. के प्रतिशत के रूप में कुल शेयरधारिता
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक श्रेणी की शेयरधारिता	भारत के राष्ट्रपति	9000	90,00,000	100
	प्रो. के. विजयराघवन (भारत के राष्ट्रपति की ओर से)	900	90,000	
	डॉ. रेनू स्वरूप (भारत के राष्ट्रपति की ओर से)	100	10,000	
	कुल योग	10000	1,00,00,000	100

6. महानिकाय की बैठक

वार्षिक आम बैठक और अतिविशिष्ट सामान्य बैठक का विवरण निम्नानुसार है:

क) वार्षिक आम बैठक

अवधि समाप्ति की तिथि	स्थल	तिथि	समय
31.03.2013	ए-254, तीसरा तल, भीष्म पितामह मार्ग, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024	30.09.2013	11.30 प्रातः
31.03.2014	एमटीएनएल बिल्डिंग, प्रथम तल, 9 सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	30.09.2014	10.00 प्रातः
31.03.2015	एमटीएनएल बिल्डिंग, प्रथम तल, 9 सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	09.09.2015	4.30 सायं

पिछली वार्षिक आम बैठक में कोई भी विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।

ख. अतिविशिष्ट सामान्य बैठक

अवधि समाप्ति की तिथि	स्थल	तिथि	समय	विशेष प्रस्ताव पारित होने का विवरण
31.03.2015	2, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, सातवां तल, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	30.03.2015	10.00 प्रातः	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन

7. प्रकटन (डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार)

1. कंपनी के निदेशकों या प्रबंधकों या उनके संबंधियों के साथ किसी सामग्री, वित्तीय या वाणिज्यिक लेनदेन नहीं किया है, जिसमें वे निदेशक और/या भागीदार के तौर पर अपने संबंधियों के माध्यम से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दिलचस्पी रखते हैं।
2. कंपनी ने लागू नियमों और विनियमों का संकलन किया है तथा पिछले दो वर्षों के दौरान किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई दंड या शास्तियां अधिरोपित नहीं की गई थी।
3. कंपनी ने कॉर्पोरेट शासन के दिशानिर्देशों के लागू प्रावधानों का पालन किया है।
4. लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 29.07.2010 को एक आदेश जारी किया जिसमें सभी सीपीएसई को डीपीई द्वारा जारी नीतियों एवं दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून तक जमा करनी है। डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बाइरैक ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग को अपनी अनुपालन रिपोर्ट डीपीई तक अग्रसारित करने के लिए जमा कर दी है।
5. लेखा बहियों में व्यय के कोई मद नामे नहीं डाले गए थे, जो संगठन के प्रयोजन हेतु नहीं थे।
6. निदेशक मंडल के सदस्यों के व्यक्तिगत प्रकार के कोई व्यय कंपनी की निधि से नहीं किए गए थे।
7. बाइरैक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित उपयुक्त जोखिम प्रबंधन नीति प्रतिपादित की है।
8. संचार के साधन

सदस्यों/शेयरधारकों को प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में कंपनी के निष्पादन से अवगत कराया जाता है। एक गैर सूचीबद्ध कंपनी, निजी धारा 8 कंपनी है और इसलिए तिमाही या अर्ध वार्षिक परिणाम संप्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।

9. निदेशकों का प्रशिक्षण

कंपनी द्वारा अपने निदेशकों के लिए पहली स्वतंत्र निदेशक क्षमता निर्माण कार्यशाला 9 फरवरी 2015 को आयोजित की थी। लोक उद्यम विभाग द्वारा स्कोप कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली में प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इसमें सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

10. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

पहली बैठक 12 दिसम्बर 2014 को आयोजित की गई थी और इसमें सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

11. अनुपालन प्रमाणपत्र

नैगम अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश के खंड 8.2 के संदर्भ में कार्यरत कंपनी सचिव मैसर्स नीलम गुप्ता एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली की ओर से नैगम शासन रिपोर्ट के भाग के रूप में नैगम शासन के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि का प्रमाणपत्र।

12. आचार संहिता

बाइरैक व्यापार नीति और अनुपालन सहित लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के उच्चतम स्तर के अनुसार व्यापार के लिए प्रतिबद्ध है। बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए डीपीई दिशानिर्देश सहित व्यापार आयोजन और नैतिकता की संहिता बनाई गई है।

बोर्ड के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुपालन की पुष्टि करते हैं। व्यापार आयोजन और नैतिकता की संहिता को कंपनी की वेबसाइट लूँगपतंबण्डपबण्पद पर भी प्रदर्शित किया गया है।

नैगम शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों पर आवश्यकता के अनुसार घोषणा

“बोर्ड के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक व्यापार आयोजन और नैतिकता की संहिता के अनुपालन की पुष्टि करते हैं।”

पूर्णकालिक कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार नैगम शासन के अनुपालन का प्रमाणपत्र

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक) के सदस्यों के लिए

हमने 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (कंपनी) द्वारा नैगम शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है जो 14 मई 2010 को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए नैगम शासन दिशानिर्देशों के निर्दिष्ट है।

नैगम शासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच डीपीई के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी और यह कंपनी द्वारा नैगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित था। यह न तो लेखापरीक्षण है न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने डीपीई के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट नैगम शासन की शर्तों का पालन किया है।

हम पुनः कहते हैं कि उक्त पालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है या कंपनी के कार्यों के आयोजन के लिए प्रबंधन की दक्षता या प्रभावशीलता है।

नीलम गुप्ता एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

हस्ता./—
(नीलम गुप्ता)
कार्यरत कंपनी सचिव
स्वामी
पीसीएस 6950

तिथि : 29 जुलाई 2015

स्थान: नई दिल्ली

लेखा परीक्षक
की रिपोर्ट
एवं वार्षिक
लेखा

सम्पर्क एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सेवा में सदस्यगण

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलनपत्र और समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय के विवरण, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए कम्पनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है जो भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा मानकों सहित कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्देशित लेखा मानकों के अनुरूप कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नगदी प्रवाह विवरण का सही एवं निष्पक्ष चित्र देते हैं। उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की रक्षा करने और धोखेबाजी को रोकने एवं पहचान करने तथा अन्य नियमिताएँ : उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन एवं आवेदन; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय रिकार्ड का कार्यान्वयन एवं रखरखाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्ड का रखरखाव भी शामिल हैं जो लेखा मानकों की शुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने, वित्तीय विवरणों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यकुशल थे और जो इनका सही एवं निष्पक्ष चित्र देते हैं तथा मिथ्या बयान, चाहे चूक या धोखेबाजी हो से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम की धारा 140(10) के अधीन विनिर्देशित लेखा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और यह उचित आश्वासन देने के लिए लेखा परीक्षण की योजना और निष्पादन करें कि वित्तीय विवरण सामग्री के गलत विवरणों से मुक्त हैं।

चुनी गई प्रक्रियाओं में लेखा परीक्षक के निर्णय के साथ वित्तीय विवरण के जोखिमों का आंकलन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। इन जोखिम आंकलनों में लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों के निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के संगत आंतरिक नियंत्रण और ऐसे नियंत्रण के कार्यकुशल परिचालन तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और कंपनी की तैयारी के संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं ताकि, परिस्थितियों के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को बनाया जा सके। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों को मूल्यांकन एवं उपयुक्तता तथा कम्पनी के निदेशक द्वारा तय किए गए लेखा अनुमानों का विवेकपूर्ण औचित्य के साथ ही साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि जो हमने लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं वह हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए पर्याप्त एवं उपयित हैं।

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

राय

हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसार अधिनियम द्वारा आवश्यक सूचना देने वाले भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिंद्हांतों के आधार पर 31 मार्च, 2015 को कम्पनी के वित्तीय मामलों, इसके आय एवं व्यय खाता और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके नगदी प्रवाह विवरण का सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

अन्य मामला:

बीसीआईएल से बाइरैक के खाते में लिए गए कुल डीबीटी पोर्टफोलियों रु. 253.64 करोड़ में से रु. 79.60 करोड़ के पोर्टफोलियों की अधिशेष प्रकृति के कारण सुविचारित सामरिक रिकवरी योजना में जरूरत है। रु. 79.60 करोड़ के इस पोर्टफोलियों में 57 खाते, रु. 27.87 करोड़ 31 मार्च, 2015 को मूल एवं व्याज खाते पर बकाया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2015 ("आदेश") के माध्यम से आवश्यक अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के संबंध में लागू नहीं है।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार अपेक्षित, हम रिपोर्ट देते हैं कि:

(क) हमने ऐसे सभी सूचनाओं एवं व्याख्याओं की जांच कर ली है जो हमारे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी;

(ख) हमारी राय में विधि के अनुसार कम्पनी द्वारा लेखा बहियों को उचित तरीके से रखा गया है जो हमें इन बहियों की हमारी जांच करते समय हमें प्रतीत हुआ;

(ग) इस रिपोर्ट द्वारा परिभाषित तुलनपत्र, आय एवं व्यय का विवरण और नगदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में, तुलन पत्र, आय एवं व्यय विवरण कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्देशित लेखा मानकों के अनुसार हैं;

(ङ) कम्पनी (लेखा एवं लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और हमें दी गई व्याख्या के अनुसार:

(1) कम्पनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो इसके वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

(2) कम्पनी के पास गौण अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिससे कोई प्रत्याशा योग्य हानियां हुईं थी।

आगे, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के निर्देशों के अनुसार हम धारा 143(5) के अधीन पूछे गए बिन्दुओं पर निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं:

क्र.सं.	धारा 143(5) के अधीन निर्देश	उत्तर
1.	यदि कम्पनी को विनिवेश के लिए चुना जाता है तो परिसम्पत्तियों (अमूर्त परिसम्पत्तियां एवं भूमि सहित) और देनदारियां (प्रतिबद्ध एवं सामान्य आरक्षित सहित) के मूल्यांकन के संबंध में पूरी स्थिति रिपोर्ट विनिवेश प्रक्रिया की पद्धति एवं वर्तमान चरण सहित) की जांच की जा सकती है।	लागू नहीं

2.	<p>कृपया बताएं क्या छूट/ऋणों को बट्टे खाते डालना/ऋण/ब्याज आदि का कोई मामला है, यदि हाँ तो कारण और शामिल राशि बताएं।</p>	<p>हाँ, वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान दो ऋण लेखाओं के पुर्णनिर्धारण पर रु. 100.26 लाख की अतिरिक्त ब्याज राशि बोर्ड प्रस्ताव दिनांक 27.02.2015 द्वारा अनुमोदित की गई है। अतिरिक्त ब्याज की छूट और पुनः निर्धारण के आशय इस बात के उत्तरदायी है कि कम्पनी के कार्यनीतियों का वाणिज्यिकरण नहीं किया गया जिसके कारण हानि हुई।</p>
3.	<p>क्या तीसरे पक्षों के पास पड़ी मालसूचियों और सरकार तथा अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में प्राप्त परिसम्पत्तियों के रखरखाव का उचित रिकार्ड रखा है।</p>	लागू नहीं
4.	<p>लंबित विधिक/पंचायती मामलों का आयु-वार विश्लेषण सहित लंबित रहने का कारण और सभी विधिक मामलों (विदेशी एवं स्थानीय) पर व्यय के लिए निगरानी तंत्र की व्यवस्था/प्रभावकारिता दी जा सकती है।</p>	लागू नहीं

हस्ता/-
कृते सम्पर्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
 फर्म पंजीकरण सं. 013022एन

सीए. पंकज शर्मा
 भागीदार
 सदस्यता सं. 093446

स्थान: नई दिल्ली
 दिनांक: 30.06.2015

कार्यालय: 102–03 / 106 / 302, नीलकंठ हाउस, एस–524, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली–110092

फोन: 011–22481918, 22482446, मोबाइल: 9810955575, 9212343336

ई–मेल : sharmapanjul@gmail.com/keshavfca@gmail.com

कृपया प्रश्ना कार्यालय में कूरियर करें: 302, तीसरा तल, नीलकंठ हाउस, ए–524,
 स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली–110092

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

31 मार्च, 2015 के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रु. में)

विवरण	नोट सं.	वर्तमान रिपोर्टर्धीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2015)	पिछली रिपोर्टर्धीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2014)
1 इकिवटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधि			
(क) शेयर पूँजी	1	1,00,00,000	1,00,00,000
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	2,72,93,40,718	2,55,37,78,458
वर्तमान देयताएं			
वर्तमान देयताएं	3	22,65,11,051	27,16,03,433
कुल		2,96,58,51,769	2,83,53,81,891
2. परिसम्पत्तियां			
(1) गैर-वर्तमान परिसम्पत्तियां			
स्थायी परिसम्पत्तियां	4		
(क) मूर्त परिसम्पत्तियां		2,40,10,521	40,15,442
(ख) अमूर्त परिसम्पत्तियां		51,135	3,96,690
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	5	2,06,72,86,658	1,99,96,98,736
वर्तमान परिसम्पत्तियां			
(क) नकद एवं नकद समकक्ष	6	31,77,35,589	26,27,48,934
(ख) अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	7	55,67,67,865	56,85,22,089
कुल		2,96,58,51,769	2,83,53,81,891
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और सहवर्ती लेखाओं पर टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं)	13 व 14		

बाइरैक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कविता अनंदानी
(कम्पनी सचिव)

रेनू स्वरूप
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन नं. 01264943

के. विजयराघवन
(अध्यक्ष)
डीआईएन नं. 02721859

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

संलग्न सम तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते सम्पर्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 013022एन

सीए. पंकज शर्मा
(भागीदार)
सदस्यता सं. 093446

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.06.2015

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के लिए आय एवं व्यय का विवरण

(राशि रु. में)

विवरण	नोट सं.	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2015)	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2014)
(1) आय:			
अनुदान प्राप्ति और उपयोग	8	74,83,45,941	61,76,67,081
अन्य आय	9	1,16,24,247	88,33,798
कुल राजस्व (क)		75,99,70,188	62,65,00,879
(2) व्यय			
कार्यक्रम व्यय	10	63,19,14,165	49,88,93,042
कर्मचारी हितलाभ व्यय	11	2,77,28,579	2,20,69,034
मूल्यदाता और परिशोधन व्यय	4	49,31,239	10,17,870
अन्य व्यय	12	8,73,32,223	9,67,05,006
कुल व्यय (ख)		75,19,06,206	61,86,84,952
(3) आपवादिक एवं अतिविशिष्ट मदों से पूर्व व्यय पर आय का अधिशेष ग = (क-ख)		80,63,982	78,15,927
(4) जोड़ें: पूर्व अवधि आय (निवल) (घ)		36,693	31,87,314
(5) अतिविशिष्ट मदों से पूर्व अधिशेष (ङ = ग+घ)		81,00,675	1,10,03,241
(6) अतिविशिष्ट मदें (च)		.	.
(7) कर पूर्व आय (छ = ड-च)		81,00,675	1,10,03,241
जोड़ें: पूंजी आरक्षित से समायोजित मूल्यदाता		60,27,983	.
		1,41,28,658	1,10,03,241
घटाएं : आयकर के लिए प्रावधान		.	.
आरक्षित एवं अधिशेष खाते को अग्रेसित वर्ष के लिए अधिशेष		1,41,28,658	1,10,03,241
प्रति इकिवटी शेयर अर्जन		.	.
(क) मूल		1,413	1,100
(ख) तनुकृत		1,413	1,100
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और सहवर्ती लेखाओं पर टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग है)	13 व 14		

बाइरेक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कविता अनंदानी
(कम्पनी सचिव)
लेखाप्रीक्षकों की रिपोर्ट
संलग्न सम तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते सम्पर्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 013022एन

सीए. पंकज शर्मा
(भागीदार)
सदस्यता सं. 093446

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.06.2015

रेनू स्वरूप
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन नं. 01264943

के. विजयराघवन
(अध्यक्ष)
डीआईएन नं. 02721859

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद		
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण		
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	(राशि रु. में)	
परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :		
आय एवं व्यय लेखा के अनुसार निवल अधिशेष		80,63,982
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
मूल्यदारस	49,31,239	
प्रबंधन व्यय – बीएमजीएफ	(11,86,786)	
विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव	(37,707)	
ब्याज आय	(1,03,69,398)	(66,62,652)
प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) – देय	73,12,666	
अनुदान उपयोग में वृद्धि / (कमी)	(5,24,05,048)	
दीर्घकालिक देयताओं में वृद्धि / (कमी)	(64,436)	
पूँजी आरक्षित में वृद्धि (गैर आवर्तक)	2,45,80,763	
आई एवं एम क्षेत्र में निधि उपयोग (निवल)	14,29,45,258	
वर्तमान परिसम्पत्तियों में (वृद्धि) / कमी–प्रतिभूतियां	17,06,073	
गैर–वर्तमान परिसम्पत्तियों में (वृद्धि) / कमी – वसूली योग्य	3,18,60,894	
आई एवं एम क्षेत्र में अग्रिमों में वृद्धि (निवल)	(8,81,39,480)	6,77,96,690
परिचालनों से / (उपयोग) अर्जित नकदी		6,91,98,019
आयकर रिफंड / (भुगतान)		
परिचालन कार्यकलापों से (उपयोग में) निवल नकदी (क)		6,91,98,019
स्थायी परिसम्पत्तियों से (उपयोग में) निवल नकदी (ख)	(2,45,80,763)	(2,45,80,763)
वित्तीय कार्यकलापों से (उपयोग में) नकदी प्रवाह:		
ब्याज	1,03,69,398	
वित्तीय कार्यकलापों से (उपयोग में) नकदी प्रवाह (ग)		1,03,69,398
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि घ=(क+ख+ग)		5,49,86,655
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य (ङ)		26,27,48,934
वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य चत्र(च=ङ)		31,77,35,589
टिप्पणी: पिछले वर्ष के आकांक्षों को नहीं दिया गया है जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण तैयार करने की आवश्यकता 1 अप्रैल, 2014 से प्रारंभ हुई है।		

बाइरैक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कविता अनंदानी
(कम्पनी सचिव)
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
संलग्न सम तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृपे सम्पर्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 013022एन

सी.ए. पंकज शर्मा
(भागीदार)
सदस्यता सं. 093446

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.06.2015

रेनू स्वरूप
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन नं. 01264943

क. विजयराघवन
(अध्यक्ष)
डीआईएन नं. 02721859

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

वित्तीय विवरणों के नोट

1. पूँजीगत शेयर

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टर्डीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2015)	पिछली रिपोर्टर्डीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2014)
क. अधिकृत प्रत्येक रु. 1000/- के 10,000 (10,000) इकिवटी शेयर	1,00,00,000	1,00,00,000
ख. प्रदत्त, अभिदत्त एवं पूर्ण भुगतान प्रत्येक रु. 1000/- पूर्णतः प्रदत्त के 10,000 (10,000) इकिवटी शेयर	1,00,00,000	1,00,00,000
कुल	1,00,00,000	1,00,00,000
ग. शेयरों की संख्या का सामंजस्य		
विवरण	वर्तमान रिपोर्टर्डीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2015)	पिछली रिपोर्टर्डीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2014)
प्रारंभ में इकिवटी शेयरों की सं. जोड़े: वर्ष के दौरान जारी इकिवटी शेयर अंत में इकिवटी शेयरों की सं. (अंत शेष)	शेयरों की सं. 10,000 10,000	शेयरों की सं. 10,000 10,000

घ. कम्पनी के इकिवटी शेयरों में 5 प्रतिशत से अधिक दिए गए शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	पूर्ण भुगतान शेयरों की सं.	शेयर धारिता प्रतिशत	वर्तमान रिपोर्टर्डीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2015)	पिछली रिपोर्टर्डीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2014)
भारत के राष्ट्रपति	9,000	90	9,000	9,000
डॉ. (प्रो.) के. विजयराघवन (भारत के राष्ट्रपति की ओर से धारित)	900	9	900	900
डॉ. रेनू स्वरूप (भारत के राष्ट्रपति की ओर से धारित)	100	1	100	100
कुल	10,000	100	10,000	10,000

उ. अन्य विवरण एवं अधिकार

- कंपनी के पास प्रत्येक रु. 1000 के सम मूल्य पर जारी किए गए इकिवटी शेयरों का केवल एक ही वर्ग है।
- प्रत्येक इकिवटी शेयरधारक के पास प्रति शेयर अधिकार के लिए एक वोट है।
- शेयर लाभांश का अधिकार नहीं है।
- शेयरों के परिसमापन की स्थिति में शेयर वितरण का अधिकार नहीं है।

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

2. आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टर्डीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2015)	पिछली रिपोर्टर्डीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2014)
1. पूँजी आरक्षित		
बाइरेक निधि (गैर अनुबर्ती)		
प्रारंभिक शेष	55,08,846	43,37,966
जोड़ें : वर्ष के दौरान लेखा पर पूँजीगत व्यय	2,45,80,763	11,70,880
	3,00,89,609	55,08,846
घटाएं : पूँजीगत व्यय पर मूल्यदास (नोट सं. 4.1 देखें)	60,27,983	
	2,40,61,626	55,08,846
2. अन्य आरक्षित		
(क) डीबीटी द्वारा प्रि—बाइरेक फंडिंग		
(डीबीटी ट्रांसफर आदेश दिनांक 25 सितम्बर, 2012 और बोर्ड आदेश दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 के अनुसार 31.03.2014 को बीसीआईएल से बाइरेक द्वारा लेखा में लिया गया डीबीटी पोर्टफोलियो)		
बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड से लिया गया ऋण पोर्टफोलियो	2,26,90,07,696	2,50,25,74,146
ऋण पोर्टफोलियो संपादित	26,73,92,527	3,38,26,078
	2,53,64,00,224	2,53,64,00,224
घटाएं : पूर्व वर्षों में उपार्जित व्याज के अधिक प्रयोग के कारण कटौती	64,436	
	2,53,63,35,788	2,53,64,00,224
घटाएं : बाइरेक, आईएंडएम प्रोग्राम में उपयोग की गई निधि	17,89,10,137	
	2,35,74,25,651	2,53,64,00,224
(ख) 31.03.2014 के बाद आईएंडएम सैक्टर के अधीन ऋणों के लिए उपयोग की गई निधियां(रु)	32,18,55,395	
(नोट सं. 5 देखें)(**)		
ग. सामान्य आरक्षित		
अधिशेष		
प्रारंभिक शेष	1,18,69,388	8,66,147
जोड़ें : आय एवं व्यय विवरण से ट्रांसफर	1,41,28,658	1,10,03,241
	2,59,98,046	1,18,69,388
(रु) अब तक संपादित न किया गया उपार्जित व्याज शामिल		
कुल	2,72,93,40,718	2,55,37,78,458

3. अन्य वर्तमान देयताएं*

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टार्डीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2015)	पिछली रिपोर्टार्डीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2014)
उपयोग न किया गया अनुदान (डीबीटी/वेलकम ट्रस्ट)	11,69,11,122	10,99,33,492
उपयोग न किया गया अग्रेषित अनुदान	5,33,00,246	1,12,97,260
	3,50,00,000	
उपयोग न किया गया अग्रेषित अनुदान		
बाइरैक निधि (आई एंड एम) क्षेत्र		11,08,09,529
बाइरैक निधि (गैर अनुवर्ती) खाता		44,91,154
बाइरैक निधि (अनुवर्ती) खाता		2,10,84,981
	20,52,11,368	25,76,16,416
अन्य देय		
सांविधिक देयताएं	9,48,918	6,03,979
डीबीटी-बीएमजीएफ-पीएमयू के अंतर्गत देयता	60,10,350	63,33,536
डीबीटी-वेलकम ट्रस्ट के अंतर्गत देयता	27,18,799	
अन्य	1,16,21,616	70,49,502
	2,12,99,683	1,39,87,017
कुल	22,65,11,051	27,16,03,433
(*) नोट 14.13 और 14—16 देखें।		

4. स्थायी परिसम्पत्तियों की सूची

(राशि रु. में)

परिसम्पत्ति विवरण	को	सकल ब्लॉक			मूल्यदाता				निवल ब्लॉक	
		संयोजन	बिक्री/ संयोजन	को	को	वर्ष के लिए	समायोजन	का	को डब्ल्यूडीवी	को डब्ल्यूडीवी
	1 अप्रैल 2014	2014–2015	2014– 2015	31 मार्च 2015	1 अप्रैल 2014	2014–2015	2014–2015	31 मार्च 2015	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014
मूर्ति परिसम्पत्तियां										
फर्नीचर एंड फिक्वर्स	26,85,011	2,78,74,314	45,00,000	2,60,59,325	1,93,337	31,98,048	.	33,91,385	2,26,67,940	24,91,674
कार्यालय उपकरण	31,517	2,06,276	.	2,37,793	460	83,811	.	84,271	1,53,522	31,057
कम्प्यूटर	20,66,329	32,48,618	22,48,445	30,66,502	5,73,618	13,03,825	.	18,77,443	11,89,059	14,92,711
कुल मूर्ति परिसम्पत्तियां	47,82,857	3,13,29,208	67,48,445	2,93,63,620	7,67,415	45,85,684	.	53,53,099	2,40,10,521	40,15,442
अमूर्ति परिसम्पत्तियां	7,26,019	.	.	7,26,019	3,29,329	3,45,555	.	6,74,884	51,135	3,96,690
कुल अमूर्ति परिसम्पत्तियां	7,26,019			7,26,019	3,29,329	3,45,555	.	6,74,884	51,135	3,96,690
कुल	55,08,876	3,13,29,208	67,48,445	3,00,89,639	10,96,744	49,31,239	.	60,27,983	2,40,61,656	44,12,132
पिछले वर्ष के आंकड़े	43,37,996	46,27,832	34,56,952	55,08,876	1,93,730	10,17,870	(1,14,856)	10,96,744	44,12,132	41,44,266

नोट 4.1: पूँजीगत आक्रिति के अधीन स्थायी परिसम्पत्तियों पर 31 मार्च, 2015 तक मूल्यदाता परिशोधित किया गया है।

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

5. गैर वर्तमान देयताएँ

(राशि रु. में)

दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2015)	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2014)
सुरक्षा जमाराशियां – एमटीएनएल परिसर		94,08,300	1,05,28,300
सुरक्षा जमा – बीसीआईएल		6,74,242	12,60,315
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम			
बैंक गारंटी/बंधक/व्यक्तिगत गारंटी के अधीन प्रतिभूत – अच्छा माना गया			
बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड से लिया गया ऋण पोर्टफोलियो	2,26,88,58,230		2,50,25,74,145
ऋण लेखा (आईएंडएम) पर ब्याज – अब तक कार्यान्वयन न किया गया (**)	4,78,35,795		.
वर्ष के दौरान चुकाया गया ब्याज (आईएंडएम) (**)	27,40,19,600		.
	2,59,07,13,625		
घटाएँ : वर्तमान परिसम्पत्तियों के अंतर्गत दर्शाए गए दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों की वर्तमान स्थिति (नोट नं. 7 देखें)	53,35,09,509	2,05,72,04,116	(51,46,64,024)
कुल		2,06,72,86,658	1,99,96,98,736
(**) रु. 53,35,09,509.00 दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम की वर्तमान स्थिति में लेखाओं पर टिप्पणी के नोट सं. 14.3 के अधीन बकाया शामिल है।			
(**) 31.03.2014 के पश्चात ऋण पोर्टफोलियो पर अदा किया गया एवं उपार्जित ब्याज			

6. वर्तमान परिसम्पत्तियां

(राशि रु. में)

नकदी एवं नगदी समतुल्य		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2015)	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2014)
अपने पास नकदी		14,330	18,771
बैंकों के साथ शेष :			
कारपोरेशन बैंक (बाइरैक)	1,68,15,585	76,25,381	
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (आईएंडएम)	2,18,50,891	11,01,23,742	
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद – एफडी (पोर्टफोलियो फंड)	10,51,81,873	1,93,85,503	
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद – एफडी (डीबीटी/वेलकम ट्रस्ट)	11,34,56,217	10,81,62,118	
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद – (डीबीटी/बीएमजीएफ पीएमयू)	11,06,097	10,62,938	
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद – (डीबीटी/बीएमजीएफ पीएमयू)	5,93,10,596	1,63,70,481	
कुल	31,77,35,589	26,27,48,934	

7. अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टार्डीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2015)	पिछली रिपोर्टार्डीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2014)
दीर्घावधि ऋणों एवं अग्रिमों की वर्तमान स्थिति : बैंक गारंटी/बंधक/व्यक्तिगत गारंटी के अधीन प्रतिभूत — अच्छा माना गया	53,35,09,509	51,46,64,024
अन्य परिसम्पत्तियां		
(अप्रातिभूत — अच्छा माना गया)		
एफडी पर उपार्जित व्याज — (आईएंडएम, डीबीटी/वेलकम ट्रस्ट)	46,70,034	4,38,712
सरकारी एजेंसियों से वसूली योग्य (कर क्रेडिट)	25,61,033	8,15,523
पूर्व में भुगतान किया गया व्यय	31,95,769	1,92,50,625
बीसीआईएल से वसूली योग्य	37,30,807	1,22,24,864
डीबीटी/बीएमजीएफ फंड से वसूली योग्य	58,88,066	61,09,262
डीबीटी/वेलकम ट्रस्ट फंड से वसूली योग्य	27,18,799	.
अन्य वसूली योग्य अग्रिम	4,93,848	1,50,19,079
कुल	55,67,67,865	56,85,22,089

8. आय

(राशि रु. में)

विवरण	थर्वमान रिपोर्टार्डीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2015)	पिछली रिपोर्टार्डीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2014)
उपयोग न किया गया प्राप्त अनुदान		
आईएंडएम स्कीम		
— जैव प्रौद्योगिकी उद्योग सहभागिता कार्यक्रम	15,07,86,019	11,94,57,575
— बायो इन्क्यूबेटर सहायता योजना	10,40,58,042	19,25,64,000
— लघु व्यवसाय नवाचार अनुसंधान पहल	6,73,21,676	6,70,58,258
— जैव प्रौद्योगिकी इम्निशन अनुदान	14,90,32,201	5,50,66,671
— अनुबंध अनुसंधान योजना	5,45,99,401	1,20,55,000
— पूर्व अनुवादात्मक उत्प्रेरक	62,06,292	.
— विश्वविद्यालय नवाचार कलस्टर	3,94,84,942	.
बाइरैक कार्यकलाप	6,03,98,946	5,26,91,537
मानवशक्ति व्यय	2,77,28,579	2,20,69,034
अनुवर्ती व्यय	8,73,32,223	9,67,05,006
खर्च न किया गया अनुदान वापिस एवं अतिरिक्त व्याज — (आईएंडएम)	13,97,621	.
कुल	74,83,45,941	61,76,67,081

नोट 14.13 एवं 14.16 देखें।

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

9. अन्य आय

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2015)	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2014)
ब्याज प्राप्त -बैंक खाता	1,03,82,600	80,93,580
प्रबंधन व्यय - बीएमजीएफ	11,86,786	5,73,217
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव	37,707	1,40,914
विविध आय	17,154	26,087
कुल	1,16,24,247	88,33,798

10. कार्यक्रम व्यय (*)

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2015)	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2014)
संवितरित अनुदान		
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग सहभागिता कार्यक्रम (बीआईपीपी)	12,97,06,000	9,06,74,900
लघु व्यवसाय नवाचार अनुसंधान पहल (एसबीआईआरआई)	5,77,60,516	4,42,23,361
बायो इन्फ्यूवेटर सहायता योजना (बीआईएसएस)	10,30,13,000	19,25,64,000
जैव प्रौद्योगिकी इग्निशन अनुदान (बीआईजी)	14,22,00,000	5,23,57,832
विश्वविद्यालय नवाचार कलस्टर (यूआईसी)	3,81,00,000	.
पूर्व अनुवादात्मक उत्प्रेरक (ईटीए)	62,04,000	.
अनुबंध अनुसंधान योजना (सीआरएस)	5,04,98,900	1,20,55,000
कुल संवितरित अनुदान (क)	52,74,82,416	39,18,75,093
कार्यकलाप		
सहभागिता कार्यक्रम	2,57,80,605	19,41,040
क्षमता विकास	69,30,944	96,87,345
तकनीक हस्तांतरण एवं अधिग्रहण	1,06,63,904	1,63,40,776
बौद्धिक सम्पत्ति सेवाएं	1,06,32,030	1,67,00,569
उद्यमिता विकास/ क्षेत्रीय केन्द्र	63,91,463	80,21,807
प्रबंधन शुल्क	.	27,08,839
कुल कार्यकलाप (ख)	6,03,98,946	5,54,00,376
कार्यक्रम व्यय (ग)	4,40,32,803	5,16,17,573
विज्ञापन, बैठक एवं पीएमसी पर आईएंडएम परिचालन व्यय		
कुल (क+ख+ग)	63,19,14,165	49,88,93,042
(*) नोट 14.14 देखें।		

10 क. कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट डीबीटी एवं बीएमजीएफ
(राशि रु. में)

विवरण		वर्तमान रिपोर्टर्डीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2015)	पिछली रिपोर्टर्डीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2014)
कार्यक्रम व्यय (जीसीआई)		1,94,36,000	
परिचालन व्यय		3,36,83,572	1,86,58,213
	(क)	5,31,19,572	1,86,58,213
घटाएँ:			
डीबीटी से कार्यक्रम निधियां (जीसीआई)		88,98,000	
बीएमजीएफ से कार्यक्रम निधियां (जीसीआई)		88,99,000	
यूएसएआईडी से कार्यक्रम निधियां (जीसीआई)		16,39,000	
	(ख)	1,94,36,000	
घटाएँ:			
डीबीटी से परिचालन व्यय		1,13,67,146	93,29,106
बीएमजीएफ से परिचालन व्यय		2,23,16,426	93,29,107
	(ग)	3,36,83,572	1,86,58,213
नोट 14.13 देखें	(क—ख—ग)		

11. कर्मचारी हितलाभ व्यय
(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टर्डीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2015)	पिछली रिपोर्टर्डीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2014)
कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ते	2,60,81,444	2,06,77,289
भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान	16,47,135	13,91,745
कुल	2,77,28,579	2,20,69,034

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

12. अन्य व्यय

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टर्डीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2015)	पिछली रिपोर्टर्डीन अवधि की समाप्ति पर आंकड़े (31.03.2014)
(क) किराया	4,54,41,910	4,59,91,700
(ख) विज्ञापन एवं प्रचार	19,05,356	1,03,46,122
(ग) पत्रिकाएं एवं सब्सक्रिप्शन	1,95,25,809	1,18,51,195
(घ) बैठकें :		
बैठकें एवं सम्मेलन	53,77,544	91,30,622
बैठक शुल्क एवं टीए व डीए	6,87,801	14,12,985
(ङ) कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय:		
यात्रा	45,38,675	92,97,151
कार्यालय व्यय	43,44,859	41,30,154
एएमसी कम्प्यूटर	5,14,180	
विधिक एवं व्यावसायिक	16,53,828	15,95,708
डाक एवं टेलीफोन व्यय	4,99,699	7,22,464
ऊर्जा एवं बिजली	8,80,972	9,27,630
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2,81,636	10,87,990
इंटरनेट व्यय	10,72,333	
(च) प्रशिक्षण व्यय	3,52,271	
(छ) सांविधिक लेखापरीक्षक शुल्क	1,41,349	1,39,888
(ज) विविध व्यय	1,14,002	71,397
कुल	8,73,32,223	9,67,05,006
देखें नोट: 14.16 वित्तीय विवरण में प्रयुक्त संकेताक्षरों की सूची		

13. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. नैगम सूचना:

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक) "कंपनी" दिनांक 20 मार्च, 2012 की पंजीकरण सं. यू73100डीएल2012एनपीएल233152 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक धारा 8 "गैर-लाभकारी कंपनी" है। बाइरैक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकृत भी है। कंपनी जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के पोषण, संवर्धन एवं मेंटरिंग के कार्य में संलग्न है।

2. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप (भारतीय जीएएपी) के अनुसार बनाए गए हैं। कंपनी ने ये वित्तीय विवरण सभी सामग्री संदर्भों के पालन हेतु बनाए हैं, जो कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित लेखा मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुसार बनाए गए हैं। ये वित्तीय विवरण प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं और ऐतिहासिक लागत परम्परा के अधीन हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को रिपोर्टिंग अवधि की परिसम्पत्तियों, व्यय और आय की बताई गई राशि के विषय में अनुमान और अवधारणाएं बनानी हैं। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण और युक्तिसंगत हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच, यदि कोई अंतर होते हैं तो इन्हें रिपोर्टिंग अवधि में पहचाना जाता है, जिसमें परिणाम ज्ञात और / या साकार किए गए हैं।

2.1 राजस्व मान्यता:

(i) ब्याज़:

- क) ब्याज की लागू दर तथा बकाया राशि को गणना में लेकर समयानुपात में प्रदान किए गए ऋण पर ब्याज की मान्यता दी जाती है। विभिन्न योजनाओं के अधीन ऋणों पर वर्ष के दौरान उपार्जित ब्याज, जो अब तक कार्यान्वित नहीं हुआ है, अन्य आरक्षित के अंतर्गत दर्शाया गया है। विलंबित भुगतान पर अतिरिक्त ब्याज को रसीद आधार पर मान्यता दी जाती है।
- ख) बैंकों में सावधि जमा पर ब्याज की गणना प्रोद्भूत आधार पर की जाती है।
- (ii) रॉयल्टी को लाभार्थी के प्रति देय ज्ञान के आधार पर प्रोद्भूत रूप में मान्यता दी जाती है।
- (iii) प्रबंधन शुल्क को प्रोद्भूत आधार पर संगत करार की शर्तों के अंदर मान्यता दी जाती है।

2.2 सहायता अनुदान:

सहायता अनुदान के रूप में आय को लेखा के मिलान सिद्धांत के तहत मान्यता दी जाती है। सहायता अनुदान के तहत किए गए सभी व्यय, अन्य कार्यक्रम गत व्यय और संवितरित अनुदान सहित आय की समान राशि के साथ मिलाए जाते हैं और सहायता अनुदान के प्रति इनका समायोजन किया जाता है। सहायता अनुदान का अव्ययित शेष अगले वर्षों में उपयोग हेतु देयता के तौर पर अग्रेषित किया जाता है।

विभिन्न योजनाओं के तहत ऋणों के संवितरण के लिए निधि के आवेदन को वर्ष के दौरान गैर वर्तमान परिसम्पत्तियों के तहत ऋण एवं अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है और लेखाओं के मिलान सिद्धांत के अनुसार अन्य आरक्षित के अंतर्गत दर्शाया गया है।

2.3 व्ययः

सभी व्यय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

सहायता अनुदान के रूप में जारी निधियां आय और व्यय खाते में व्यय के रूप में ली गई हैं। पुनः

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अनुसार अप्रयुक्त राशि गणना में परियोजनाओं की पूर्णता पर आय मानी जाती है।

2.4 आरक्षित एवं अधिशेष :

- क) अधिग्रहित परिसम्पत्तियों को पूंजीगत आरक्षित के रूप में माना जाता है और प्रभारित मूल्यद्वास के साथ प्रत्येक वर्ष परिशोधित किया गया।
- ख) डीबीटी ट्रांसफर आदेश दिनांक 25 सितम्बर 2012 के द्वारा 31.03.2014 को बीसीआई से बाइरैक द्वारा गणना में लिए गए और बाइरैक के बोर्ड द्वारा 17 दिसम्बर, 2013 को अनुमोदित किए गए डीबीटी पोर्टफोलियों को "अन्य आरक्षित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ग) वित्तीय वर्ष के दौरान संवितरित ऋण एवं उपार्जित व्याज, लेकिन कार्यान्वित न किया गया, को "अन्य आरक्षित" में दर्शाया गया है।

2.5 अचल परिसंपत्तियां:

अचल परिसंपत्तियों को लागत, संचित मूल्यद्वास के निवल और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, के अनुसार बताया जाता है। अचल परिसंपत्तियों की मान्यता समाप्त करने से होने वाले लाभ या हानि को मान्यता समाप्त परिसंपत्ति की अग्रेषण राशि और निवल निपटान प्राप्तियों के बीच अंतर मापा जाता है।

2.6 मूल्यद्वास और परिशोधन :

परिसम्पत्तियों पर मूल्यद्वास कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अंतर्गत निर्धारित उपयोग जीवन अवधि आधार पर प्रदान किया जाता है।

वर्ष/अवधि के दौरान जोड़ी/निपटान की गई अचल परिसम्पत्तियों का मूल्यद्वास जोड़ने/निपटान की तिथि के संदर्भ में यथानुपात आधार पर किया जाता है।

2.7 अमूर्त परिसम्पत्तियां:

अमूर्त परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण अलग से लागत पर मापा जाता है। अमूर्त परिसम्पत्तियां लागत से संचित बंधक राशि और संचित क्षति हानि यदि कोई हो, हटा कर ली जाती है। आंतरिक तौर पर उत्पन्न होने वाले अमूर्त परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण नहीं किया जाता है और इन्हें उस वर्ष में आय एवं व्यय के विवरण में खर्च के तौर पर दिखाया जाता है जिसमें व्यय किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्तियां कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में दी गई उपयोग न की गई जीवन अवधि के रूप में लेखाकरण मानक-26 के अनुसार पांच वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित की गई हैं।

2.8 विदेशी मुद्रा लेनदेन/रूपांतरण:

विदेशी मुद्रा लेनदेन और संतुलन: विदेशी मुद्रा अंतरण सरकार के अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। विदेशी इकाइयों से प्राप्त किसी योगदान के लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त किए जाते हैं।

(1) आरंभिक मान्यता : विदेशी मुद्रा लेनदेन की रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच लेनदेन की तिथि पर विनियम दर लागू करते हुए दर्ज किया जाता है।

(2) रूपांतरण : विदेशी मुद्रा के मौद्रिक मद रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित विनियम दर का उपयोग करते हुए पुनः रूपांतरित किए जाते हैं।

(3) विनियम अंतर : दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा मदों से उत्पन्न होने वाली विनियम दरें अचल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित होती है, जिनका पूंजीकरण किया जाता है और परिसम्पत्ति के बचे हुए उपयोगी जीवन में मूल्यद्वास लगाया जाता है। अन्य विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनियम अंतर को " विदेशी

मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतरण अंतरखाता” में रखा जाता है और संबंधित मौद्रिक मद के शेष जीवन में बंधक रखा जाता है।

सभी अन्य विनिमय अंतरों को उस अवधि में आय व व्यय के रूप में लिया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न हुए।

2.9 कर्मचारी लाभ :

- क) कंपनी के सभी कर्मचारी संविदा आधार पर लिए जाते हैं। नियोक्ताओं के अंशदान के प्रावधान कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के प्रावधान के अनुसार निर्मित है।
- ख) सभी कर्मचारियों को देय होने पर उपदान की गणना की जाएगी।

2.10 प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

- क) स्वीकृत निधियों और रिपोर्टिंग अवधि तक जारी करने के लिए शेष राशि पड़ाव के समय के अंतर के कारण देयता के रूप में नहीं ली गई है, इन्हें भुगतान के वास्तविक रूप से जारी करने पर व्यय के रूप में गिना गया है।
- ख) एक प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी के पास वर्तमान बाध्यता होती है, यह संभवतः आर्थिक लाभों को निहित करने वाले संसाधनों का बाहरी प्रवाह है जो बाध्यताओं के निपटान के लिए आवश्यक होगा और बाध्यता की राशि से विश्वसनीय आंकलन किए जा सकेंगे। प्रावधानों पर उनके वर्तमान मूल्य में रियायत नहीं दी गई है और इनका निर्धारण रिपोर्टिंग तिथि पर बाध्यता के निपटान हेतु आवश्यक सर्वोत्तम आंकलन के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इन आंकलनों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान आंकलन दर्शाने के लिए समायोजन किया जाता है।

2.11 प्रति शेयर अर्जन :

कंपनी एक धारा 8 “अलाभकारी कंपनी” है। यह अपने कार्यकलापों से कोई आय/राजस्व अर्जित नहीं करती है। यह अपने शेयरधारकों को कोई लाभांश वितरित नहीं करती है। हालांकि एएस-20 के अनुपालन के लिए कंपनी निम्नानुसार ईपीएस परिकलित करती है।

- क) अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों के अवधि आरोप्य के लिए निवल आय या हानि लाभांश द्वारा मूल अर्जन प्रति शेयर की गणना।
- ख) प्रति शेयर डायल्यूटिड अर्जन गणना के उद्देश्य के लिए, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरधारकों के अवधि आरोप्य के लिए निवल लाभ या हानि को सभी डायल्यूटिंग शेयरों के प्रभावों के लिए सामंजस्य किया गया है।

14. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर टिप्पणी

- 14.1 जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद अपने संचालन के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में निधि प्राप्त करती है।
- 14.2 वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान बाइरैक ने आईएंडएम क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं में रु. 80.15 करोड़ और बाइरैक कोर के अधीन कार्यकलापों के लिए रु. 6.04 करोड़ संवितरित किए। परियोजना/कार्यकलाप के लिए निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार अंशों में संवितरण किया गया था। योजनावार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि रु. में)

आईएंडएम क्षेत्र योजना	अनुदान	ऋण	कुल
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग सहभागिता कार्यक्रम (बीआईपीपी)	12,97,06,000	23,63,43,000	36,60,49,000
लघु व्यवसाय नवाचार अनुसंधान पहलें (एसबीआईआरआई)	5,77,60,516	3,76,76,600	9,54,37,116
बायो-इन्फूबोटर सहायता योजना (बीआईएसएस)	10,30,13,000	.	10,30,13,000
बायोटेग इनिशन ग्रांट (बीआईजी)	14,22,00,000	.	14,22,00,000
विश्वविद्यालय नवाचार कलस्टर (यूआईसी)	3,81,00,000	.	3,81,00,000
अनुवादात्मक उत्प्रेरक (टीए)	62,04,000	.	62,04,000
अनुबंध अनुसंधान योजना (सीआरएस)	5,04,98,900	.	5,04,98,900
कुल	52,74,82,416	27,40,19,600	80,15,02,016
बाइरैक कार्यकलाप	अनुदान	ऋण	कुल
सहभागिता कार्यक्रम	2,57,80,605	.	2,57,80,605
दक्षता विकास एवं जागरूकता	69,30,944	.	69,30,944
तकनीक हस्तांतरण / अधिग्रहण	1,06,63,904	.	1,06,63,904
आईपी सेवाएं	1,06,32,030	.	1,06,32,030
उद्यमिता विकास / क्षेत्रीय केन्द्र	63,91,463	.	63,91,463
कुल	6,03,98,946	.	6,03,98,946

- 14.3 31.03.2015 को आईएंडएम क्षेत्र के अधीन बीआईपीपी एवं एसबीआईआरआई के रूप में पदनामित योजनाओं के अंतर्गत ऋण पोर्टफोलियों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि रु. में)

तालिका I

विवरण	01.04.2014 को प्रारंभिक शेष	वि.व. 2014–15 के दौरान संवितरित / पुर्णनिर्धारित	वि.व. 2014–15 के दौरान वसूली / पुनः निर्धारण	31.03.2015 को अंत शेष
मूल बकाया ऋण	2,37,10,83,763	28,82,56,555	21,24,16,205	2,44,69,24,113
उपार्जित बकाया ब्याज#	13,14,90,383	4,76,86,329	3,53,87,200	14,37,89,512
कुल	2,50,25,74,146	33,59,42,884	24,78,03,405	2,59,07,13,625

वर्ष के दौरान, 2 ऋण खातों को पुनःनिर्धारित किया गया जहां 31.03.2015 तक उपार्जित ब्याज रु. 1,42,36,955/- संबंधित ऋण खाते के मूल बकाया में पूंजीकृत किया गया है।

ऋण एवं अग्रिमों को बैंक गारंटी/बंधक/व्यक्तिगत गारंटी के माध्यम से प्रतिभूत किया गया है। शेष राशियों सहित रु. 53,35,09,509/- राशि के ऋण एवं अग्रिमों की वर्तमान परिपक्वता तालिका-II के अनुसार है और इन्हें “अन्य वर्तमान परिस्थितियों” के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।

(राशि रु. में)

तालिका II

विवरण	01.04.2014 को प्रारंभिक शेष	वि.व. 2014–15 के दौरान संवितरित / पुर्णनिर्धारित	वि.व. 2014–15 के दौरान वसूली / पुनः निर्धारण	31.03.2015 को अंत शेष
शेष बची राशि	20,22,54,977	12,02,92,397	4,38,09,050	27,87,38,324
31.03.2015 को शेष बची राशि पर अतिरिक्त ब्याज	3,43,58,461	4,75,72,864	2,95,561	8,16,35,764
आयुन्वार शेष की स्थिति				
एक वर्ष तक (क)	3,33,77,415	10,03,21,665	2,75,38,941	10,61,60,139
एक वर्ष से अधिक (संचयित) (ख)	16,88,77,562	1,99,70,732	1,62,70,109	17,25,78,195
			कुल (क+ख)	27,87,38,324

14.4 शेष बची राशि में बकाया ऋण की स्थिति

31 मार्च, 2015 को पिछले वर्ष के रु. 72,35,59,400/- की तुलना में शेष बची राशि के संबंध में बकाया ऋण राशि रु. 79,59,92,852/- है।

14.5 वाद दाखिला खाता

14.5.1 कंपनी द्वारा दाखिल वाद : शून्य

14.5.2 कंपनी के खिलाफ दाखिल वाद : शून्य

14.6 कार्यक्रम प्रबंधन इकाई –डीबीटी एवं बीएमजीएफ

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) ने अनुसंधान के प्राथमिकता वाले

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। बाइरैक को " तकनीकी प्रबंधन इकाई" बनने का कार्य सौंपा गया है। इस संबंध में, स्वास्थ्य सेवा एवं कृषि क्षेत्र में वहनीय उत्पाद विकास के सहायता कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई स्थापित की है। **नोट 14.14.3 देखें।**

14.7 डीबीटी—वेलकम ट्रस्ट कार्यक्रम

वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान डीबीटी—वेलकम ट्रस्ट कार्यक्रम के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त रु. 10.25 करोड़ की राशि को व्याज के साथ पृथक बैंक खाते में रखा गया है। बोर्ड ने " ट्रांसलेशनल मेडिसिन्स" पर संयुक्त कॉल का अनुमोदन कर दिया है। वेलकम ट्रस्ट के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया गया है। **नोट 14.14.4 देखें।**

14.8 बाइरैक—डायटी सहयोगात्मक कार्यक्रम

बाइरैक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डायटी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पर उद्योग नवाचार कार्यक्रम शुरू किया गया है। **नोट 14.14.5 देखें।**

14.9 पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधि मर्दों की गणना लेखांकन मानक-5 के अनुसार की गई है।

वर्तमान वित्त वर्ष में लागू आवश्यकताओं के अनुरूप पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत और पुनः समूहित किया गया है।

14.10 संबद्ध पार्टी प्रकटन

लेखांकन मानक-18 के प्रावधान लागू नहीं हैं जैसा कि रिपोर्टिंग उद्यम और इसकी सम्बद्ध पार्टियों के बीच कोई लेनदेन नहीं है।

14.11 कर के लिए प्रावधान

वर्तमान वर्ष के दौरान आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है जैसा कि कम्पनी आदेश सं. 2974 दिनांक 12 मई, 2014 के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अधीन एक चैरिटेबल इकाई है।

14.12 विदेशी मुद्रा लेनदेन:

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित आय/व्यय किया गया है:

क. आय: शून्य

ख: व्यय:

- (i) विदेश यात्रा: यूएसडी 1,450/- एवं एयूडी 5,800/-
- (ii) किताबें, पत्रिकाएं और डाटाबेस शुल्क : यूएसडी 178,383/- एवं जीबीपी 7,500/-
- (iii) उद्यमशीलता विकास : एयूडी 50,312/-

ग. वर्तमान वित्त वर्ष के लिए आयात का सीआईएफ मूल्य शून्य है।

14.13 अनुदान उपयोग का विवरण

(राशि रु. में)

क्र.सं.	विवरण	उपलब्ध निधि	उपयोग की गई निधि	शेष
1.	बाइरैक	20,00,40,511	20,00,40,511	.
2.	आईएंडएम निधियां	84,55,34,819	84,55,34,819	.
3.	पीएमयू—डीबीटी / बीएमजीएफ:			

	(i) परिचालन बीएमजीएफ डीबीटी परिचालन डीबीटी— गैर अनुवर्ती	4,53,47,659 4,23,43,723 3,936 30,00,000	3,36,83,572 2,23,16,426 91,18,701 22,48,445	1,16,64,087 2,00,27,297 (91,14,765) 7,51,555
	(i) परियोजनाएं बीएमजीएफ डीबीटी यूएसएआईडी	6,10,72,159 3,45,52,759 2,00,00,000 65,19,400	1,94,36,000 88,99,000 88,98,000 16,39,000	4,16,36,159 2,56,53,759 1,11,02,000 48,80,400
		10,64,19,818	5,31,19,572	5,33,00,246
4.	वेलकम ट्रस्ट	11,96,29,921	27,18,799	11,69,11,122
5.	डायटी	3,50,00,000	.	3,50,00,000

14.14.1 31.03.2015 को योजना शेष पर पूरक सारणी

बाइरैक निधि (आईएंडएम) क्षेत्र			राशि (रु.)
जोड़ें:	प्रारंभिक शेष डीबीटी से प्राप्त निधियां खर्च न किए गए अनुदान से वसूलिया	55,37,00,000 2,65,52,882	11,08,09,529 58,02,52,882
जोड़ें घटाएं	उपलब्ध संसाधनों से उपयोग की गई निधियां* वर्ष के दौरान संवितरित की गई राशि: अनुदान संवितरित ऋण संवितरित कार्यक्रम व्यय उपयोग न किया गया शेष अग्रेषित	52,74,82,416 27,40,19,600 4,40,32,803	69,10,62,411 15,44,72,408 84,55,34,819 84,55,34,819
			.

* डीबीटी ने 28 अप्रैल, 2015 के आदेश द्वारा वर्ष के दौरान उपलब्ध निधियों से रु. 1544.72 लाख के उपयोग के अधीन वित्त वर्ष 2015–16 के लिए रु. (–) 1482.82 लाख की राशि अग्रेषित करने की अनुमति दी है।

14.14.2

बाइरैक निधियाँ			राशि (रु.)
	प्रारंभिक शेष		2,55,76,135
	अनुवर्ती	2,10,84,981	
	गैर अनुवर्ती	44,91,154	
जोड़ें :	डीबीटी से प्राप्त		15,00,00,000
			17,55,76,135
जोड़ें:	उपलब्ध संसाधनों से उपयोग की गई निधियां*		2,44,64,376
घटाए	अनुदान के लिए संवितरित राशि		

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

	खोज उत्प्रेरक	60,01,177	
	स्पर्श	1,97,79,428	
	बौद्धिक सम्पदा	1,06,32,030	
	उद्यमिता विकास	63,91,463	
	तकनीक हस्तांतरण एवं अधिग्रहण	1,06,63,904	
	विज्ञापन, आउटरीच कार्यकलाप एवं कार्यशालाएं	69,30,944	6,03,98,946
			13,96,41,565
घटाएँ:	निम्न में उपयोगः		
	मानवशक्ति व्यय	2,77,28,579	
	गैर अनुवर्ती व्यय	2,45,80,763	
	अनुवर्ती व्यय	8,73,32,223	13,96,41,565
	उपयोग न किया गया शेष अग्रेषित		..

* डीबीटी ने 14 मई, 2015 के आदेश द्वारा वर्ष के दौरान उपलब्ध निधियों के अधीन वित्त वर्ष 2015–16 के लिए रु. (–) 247.68 लाख की राशि अग्रेषित करने की अनुमति दी है।

14.14.3

बीएमजीएफ पीएमयू		राशि (रु.)	
	प्रारंभिक शेष		1,12,97,260
	बीएमजीएफ – परिचालन	2,05,07,324	
	डीबीटी (वसूली योग्य)	(92,10,064)	
जोड़ें:	बीएमजीएफ से प्राप्त – परियोजना	3,45,52,759	
	बीएमजीएफ से प्राप्त – परिचालन	2,08,69,181	
	डीबीटी से प्राप्त – गैर अनुवर्ती	30,00,000	
	डीबीटी से प्राप्त – परिचालन	92,14,000	
	डीबीटी से प्राप्त – परियोजना	2,00,00,000	
	यूएस एआईडी परियोजना	65,19,400	9,41,55,400
	बैंक व्याज		9,67,218
जोड़ें:			10,64,19,818
घटाएँ:	परियोजना संवितरणः		
	जीसीआईः कृषि – पोषण परियोजनाएं	1,10,55,000	
	जीसीआईः आरटीटीसी परियोजनाएं	83,81,000	1,94,36,000
घटाएँ:	व्यय		
	मानवशक्ति व्यय	38,50,076	
	बैठक व्यय	1,03,75,274	
	स्थल व्यय	1,32,42,260	

प्रशासनिक व्यय	27,64,531	
उपकरण व्यय	22,64,645	
प्रबंधन व्यय	11,86,786	3,36,83,572
उपयोग न किया गया शेष अग्रेषित		5,33,00,246
शेष निधि		
बीएमजीएफ – परियोजनाएं	2,56,53,759	
डीबीटी – परियोजनाएं	1,11,02,000	
यूएसएआईडी – परियोजनाए	48,80,400	
बीएमजीएफ – परिचालन	1,97,00,891	
डीबीटी – परिचालन	(80,36,804)	5,33,00,246
		5,33,00,246

14.14.4

वेलकम ट्रस्ट		राशि (रु.)
	प्रारंभिक शेष	10,99,33,492
जोड़ें :	बैंक ब्याज	43,159
	एफडी ब्याज	54,91,914
	उपार्जित ब्याज	41,61,356
	कुल	11,96,29,921
घटाएं:	विज्ञापन एवं अन्य व्यय	27,18,799
	उपयोग न किया गया शेष अग्रेषित	11,69,11,122

14.14.5

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डायटी)		राशि (रु.)
	प्रारंभिक शेष	.
जोड़ें :	डायटी से प्राप्त	3,50,00,000
	उपयोग न किया गया शेष अग्रेषित	3,50,00,000

14.15 वर्ष 2014–15 के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में किए गए संशोधन व्याख्यात्मक प्रकृति के हैं। इन संशोधनों का लेखाओं पर वित्तीय प्रभाव निम्नानुसार है:

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

क्र.सं.	विवरण	प्रभाव
1.	आरक्षित एवं अधिशेष	रु. 2,45,80,769/- राशि के अधिग्रहित परिसम्पत्तियों से पूँजीगत आरक्षित एवं मूल्यद्वास में वृद्धि हुई है और पूँजीगत आरक्षित की राशि रु. 60,27,983/- घटी है।
2.	मूल्यद्वास एवं परिशोधन	कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अंतर्गत निर्धारित उपयोग अवधि आधार पर परिसम्पत्तियों पर मूल्यद्वास का प्रावधान किया गया है जिसके कारण आय एवं व्यय खाते में रु. 17,41,856 अधिक मूल्यद्वास प्रभारित हुआ है।

14.16 वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त संकेताक्षरों की सूची

क्र.सं.	संकेताक्षर	विवरण
1	बाइरैक	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद
2	बीसीआईएल	बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड
3	बीआईजी	बायोटेक्नोलॉजी इंजिनिशन ग्रांट
4	बीआईपीपी	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग सहभागिता कार्यक्रम
5	बीआईएसएस	जैव नवाचारक सहायता कार्यक्रम
6	बीएमजीएफ	बिल मेलइंडिया गेट्स फाउंडेशन
7	सीआरएस	अनुबंध अनुसंधान योजना
8	डीबीटी	जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार
9	डायटी	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
10	ईटीए	पूर्व अनुवादात्मक उत्प्रेरक
11	एफडी	अचल परिसम्पत्तियां
12	आईएंडएम	उद्योग एवं विनिर्माण
13	आईपी	बौद्धिक सम्पदा
14	विविध	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
15	एमटीएनएल	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
16	पीएमयू	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
17	एसबीएच	लघु व्यवसाय नवाचार अनुसंधान पहल
18	एसबीआईआरआई	यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता
19	टीए एंड डीए	विश्वविद्यालय नवाचार कलस्टर

20	यूआईसी	वेलकम ट्रस्ट
21	डब्ल्यूटी	परियोजना निगरानी समिति
22	पीएमसी	भारत में बड़ी चुनौतियां
23	जीसीआई	लंतंदक बिंससमदहमे वापिसकं

14.17 वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू आवश्यकताओं के अनुसार तुलनात्मक आंकड़े बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत एवं पुनः समूहित किया गया है।

बाइरैक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कविता अनंदानी
(कम्पनी सचिव)

रेनू स्वरूप
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन नं. 01264943

के. विजयराघवन
(अध्यक्ष)
डीआईएन नं. 02721859

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
संलग्न सम तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते सम्पर्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 013022एन

सीए. पंकज शर्मा
(भागीदार)
सदस्यता सं. 093446

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.06.2015

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) खे के तहत 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक) के वित्तीय लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक) के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार बनाना कंपनी प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षण मानकों के अनुरूप स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अदि अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के उत्तरदायी हैं। इसे दिनांक 30.06.2015 को उनकी लेखा परीक्षण रिपोर्ट द्वारा बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया है और अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत मेरी कोई टिप्पणी नहीं है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता./—
(डॉ. आशुतोष शर्मा)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा एवं
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड—IV

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 05.08.2015

पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, एमटीएनएल बिल्डिंग, 9, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
वेबसाइट www.birac.nic.in **ई-मेल** birac.dbt@nic.in **फोन:** +91-11-24389600, **फैक्स:** 011-24389611
सीआईएन: U73100DL2012NPL233152

उपरिथिति पर्ची

सदस्य/प्रतिनिधि का नाम (बड़े अक्षरों में)	
सदस्य/प्रतिनिधि का पता	
फोलियो नं.	
धारित शेयरों की सं.	

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं कंपनी की सदस्य/सदस्य का प्रतिनिधि हूँ।

मैं एतदद्वारा एमटीएनएल भवन, प्रथम तल, 9, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में बुधवार, 9 सितम्बर, 2015 को सायं 4:30 बजे आयोजित तीसरी वार्षिक आम सभा में अपनी उपरिथिति दर्ज करवाता हूँ।

डमउइमतरै छत्वगलरै पहदंजनतम

पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, एमटीएनएल बिल्डिंग, 9, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
वेबसाइट www.birac.nic.in **ई-मेल** birac.dbt@nic.in **फोन:** +91-11-24389600, **फैक्स:** 011-24389611
सीआईएन: U73100DL2012NPL233152

प्रतिनिधि प्रपत्र

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सदस्य(यों) का नाम		ई-मेल आईडी
पंजीकृत पता		फोलियो नं.

मैं/हम उपरोक्त नामित कंपनी केशेयरों की सदस्य(यों) रहते हुए, एतदद्वारा नियुक्त करते हैं:

(1) नाम

पता

ई-मेल आईडी

हस्ताक्षर

जैसा कि मेरे/हमारे प्रतिनिधि मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से एमटीएनएल भवन, प्रथम तल, 9, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में बुधवार, 9 सितम्बर, 2015 को सायं 4:30 बजे कंपनी की तीसरी वार्षिक आम सभा में उपरिथित होने एवं मतदान (मतदान होने पर) कर रहे हैं और ऐसे प्रस्तावों के संबंध में किसी ख्याल की लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक नियोजित करना है:

क्र.सं.	प्रस्ताव	के लिए	के विरुद्ध
1.	सामान्य व्यवसाय निदेशकों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ ही 31 मार्च 2015 को कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को प्राप्त, विचार तथा स्वीकार करने, इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (ख) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ		
2.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139(5) के प्रावधानों के संबंध में वित्त वर्ष 2015-16 के लिए सावित्रीक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक नियोजित करना		

हस्ताक्षरितदिन2015, शेयरधारक के हस्ताक्षर.....

प्रथम प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दूसरे प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

इलेक्ट्रॉनिक रूप में निवेशक धारित शेयरों के लिए लागू

राजरव
टिकट
चिपकार

टिप्पणियाँ:

- उपरिथित एवं मतदान का अधिकार रखने वाले सदस्य अपने स्थान पर उपरिथित होने एवं मतदान करने के लिए एक या अधिक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। प्रतिनिधि वैध होना चाहिए और उससे संबंधित जानकारी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के तय समय से कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए।
- केवल कंपनी के वास्तवित सदस्य, जिनका नाम सही तरीके से भरी हुई एवं हस्ताक्षर की हुई मान्य उपरिथित पर्ची के धारण में सदस्यों की पंजिका में शामिल है, को बैठक में उपरिथित होने की अनुमति दी जाएगी। कंपनी को यह अधिकार है कि वह बैठक में गैर-सदस्यों को उपरिथित होने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए।

निदेशक मंडल



(बायें से दायें) : डॉ. दिनकर मसानू सालुंके, प्रो. अशोक झुनझुनवाला, डॉ. गगनदीप कांगा,
प्रो. के. विजयराधवन, डॉ. रेनू स्वरूप, प्रो. दीपक पेटल, डॉ. मो. असलम



जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रथम तल, एमटीएनएल बिल्डिंग, 9 सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
ई-मेल: birac.dbt@nic.in, वेबसाइट: www.birac.nic.in